लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४७, १९६०/१८८२ (शक)

[१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
18-5-91
Fumigated
On 29/11/82
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४७ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ४७—अंक १ से १०—१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण १८८२ (शक)]

अंक १ **सोमवार, १४ नवम्बर, १९६०** पृष्ठ

२३ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ . . . १—२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४२ . . . २३—२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३ . . . ४०—६३

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ६२

स्थगन प्रस्तावों के बारे में . . . ६२—६३

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में . . . ६३—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ६५—६८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ६८—६९

सिन्धु पानी सन्धि के बारे में वक्तव्य . . . ६९—७१

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . ७२

मोटरगाड़ी कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ७२

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित. . ७२

मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ७३—७५

खण्ड २ से १० तथा १ पारित करने का प्रस्ताव ७५

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक ७५—९५

विचार करने का प्रस्ताव ७५—९२

खण्ड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव . ९३—९५

पृष्ठ

बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ९६—९७
खण्ड १ से ४—पारित करने का प्रस्ताव . ९७
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९७—१०२
खंड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव १०२
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०२—१०४
सभा का कार्य १०४—०५
दैनिक संक्षेपिका १०६—११४

अंक २—मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५२ ११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ९४ १३९—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से २३९ . १६०—२०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र
कार्य मंत्रणा सलिति . २०३—२०४
छप्पनवां प्रतिवेदन २०४
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . २०५—२१०
भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव . २१०—३२
खण्ड २ से १३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . २३२—३३
समवाय (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव २३३
दैनिक संक्षेपिका २३४—४०

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तांराकिन प्रश्न संख्या ९५ से १०, २४१—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से ११४ और ११६ से १६८ २६१–९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ स १८५ और १८७ से २४४ २९४–३३९
स्थगन प्रस्ताव —
प्रधान मंत्री का वक्तव्य—सिन्धु पानी संधि के बारे में ३४०–४१
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ३४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४२—४५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इकहत्तरवां प्रतिवेदन ३४५
समवाय संशोधन विधेयक—
विचाराधीन प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३४६—८३
दैनिक संक्षेपिका ३८४—९४

अंक ४—गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १६९ से १७७ ३९५—४१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २०९ . . ४१८—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ से ३०९, ३११ और ३१२ . ४३१—६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४६२–६३
याचिकायें—
(१) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक और . ४६३
(२) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक . ४६३
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४६३–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —
गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन . ४६४—६६
समवाय (संशोधन) विधेयक —
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४६६—९१
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९२—९७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०/२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६, २१८ से २२१, २४१ और २४४ ४९९—५२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७, २२२ से २४०, २४२, २४३ और २४५ से २५९ . . . ५२५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ४०१ ५४१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८१

सभा का कार्य ५८१—८२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ५८२

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक ५८२—८४

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक ५८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८५—६०९

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन . . ६०९—१०

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ६१०—२५

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६२६

दैनिक संक्षेपिका . . ६२७—३३

अंक ६—सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६९ . ६३५—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७० से ३१२ और ३१४ से ३२४ . ६५६—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ से ४९९ और ५०१ से ५०४ . ६८३—७२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—
(१) बम्बई में विस्फोट . ७२७–२८
(२) हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना . . ७२८–२९
(३) उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित प्रचार ७२९—३२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ७३२–३३
कार्य-मंत्रणा समिति—
सत्तावनवां प्रतिवेदन . . ७३३
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव ७३३—५०
खण्ड २, ३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . ७५०
इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५१—६३
दैनिक संक्षेपिका ७६४—७१

अंक ७—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३३५ और ३३७ ७७३—९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३३६ और ३३८ से ३६२ . . ७९७—८०९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५४८, ५५० से ५७७ और ५७९ से ५८१ ८०९—४१
स्थगन प्रस्ताव—
(१) गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना . . ८४२–४३
(२) बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गंभीर मतभेद . . ८४३—४५
(३) कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ८४५–४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र ८४६–४७
समितियों के लिये निर्वाचन—
(१) प्राक्कलन समिति ८४७
(२) लोक लेखा समिति . ८४७–४८
विधेयक—पुरस्थापित—
(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक . . ८४८
(२) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ८४८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
सत्तावनवां प्रतिवेदन ८४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ८५०—८४
दैनिक संक्षेपिका ८८५—९०

अंक ८—बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३६४, ३६६, ३६८ से ३७५ और ३७७ से ३८२ . ८९१—९१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३६३, ३६५, ३६७, ३७६, ३८३ से ३८९ और ३९१ से ४०४ . . . ९१७—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५८२ से ६७३ ९३०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९७२—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बहत्तरवां प्रतिवेदन ९७५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५—१०१७

दैनिक संक्षेपिका १०१८—२६

अंक ९—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१४, ४१६ और ४१७ . १०२७—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६, ४१५ और ४१८ से ४५२ . १०४८—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ७७८ . . १०६४—११०४

स्थगन प्रस्ताव—
(१) कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला . ११०४—१०
(२) तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना १११०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १११०—१२

मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . १११२—१४

पृष्ठ

समवाय (संशोधन) विधेयक—
खण्ड २ से ८, १०, १२, १५, १६, ९, ११, १३, १४, १७ से २३, २६ से ४१, ४३, ४६ से ५४, २४, २५, नया खण्ड ४०-क, ४२, ४४, ४५, ५५, ५६, ५८, ६० से ६४, ६७ से ६९, ७१, ७३, ७६, ७८, ५७, ५९, ६५, ६६ और ७० . 1114—40, ११४०—४४

सभा का कार्य 1140

दैनिक संक्षेपिका . . . . ११४५—५२

अंक १०—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ११५३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ से ४६५, ४८२, ४९१ और ४९६ ११५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५४, ४५७, ४६७ से ४८१, ४८३ से ४९० और ४९२ ११७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८४३ ११८८—१२१८

स्थगन प्रस्ताव—

आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव १२१९—२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२२०—२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नारियल के तेल और गोले का आयात १२२१—२२

सभा का कार्य . . . . . . १२२२—२३

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित १२२३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ७०, ७२, ७४, ७५, ७७ और ७९ . . . . १२२४—३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन १२३५

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५ कक का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) . . १२३५—३६

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) १२३६

(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक (श्री रामकृष्ण गुप्त का) १२३६

पृष्ठ

पशु खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . १२३६—४८

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)—

विचार करने का प्रस्ताव १२४६—५४

दैनिक संक्षेपिका . . १२५५—६०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—1428 (Ai LSD)—20-12-60—115.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०
२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बोकारो और रानीगंज के कोयला निक्षेप

+

*९५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री खुशवक्त राय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अमजद अली :
श्री पुन्नूस :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री साधन गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सुबिमन घोष :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री आचार :
श्री आसर :
श्री हाल्दर :
श्री हेम बरूआ :
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री दामानी :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसन्धानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बोकारो और रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में फर्स्ट ग्रेड का कोयला उपलब्ध हो सकता है ;

†मूल अंग्रेजी में

1314 (Ai) LSD—1

(ख) क्या उक्त कोयले की वैज्ञानिक जांच की गई है ;

(ग) क्या इस बात का भी पता लगाया गया है कि उक्त कोयला क्षेत्रों से कोयला उपलब्ध होने पर भारत के सभी इस्पात कारखानों को कोयला उपलब्ध किया जा सकेगा ; और

(घ) इन कोयला क्षेत्रों से कोयला निकालने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (घ). सूचना को बताने वाला एक विवरण पत्र लोक सभा पटल पर रख दिया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१।]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से पता चलता है कि रानीगंज, रामगढ़ और हीराखुन जैसे कई स्थानों में स्तरों का पता लगाया गया है। इन स्तरों की उत्पादन-क्षमता क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने रानीगंज, रामगढ़ और दिशेरगढ़ के इन क्षेत्रों में सफल जांच पड़ताल की है और उनके द्वारा खोदे गये छिद्रों से पता चला है कि धातु कार्मिक कार्यों के लिये उपयुक्त कोकिंग कोल पर्याप्त मात्रा में पाया गया है। ये खोज हमारे इस्पात संयंत्रों के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सब नये स्तरों में उपलब्ध कोयले की मात्रा की पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं की गयी है क्योंकि ब्यौरेवार कार्य अभी होना बाकी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: विवरण से पता चलता है कि रानीगंज क्षेत्र में एक ब्लाक को विकास के लिये अंकित कर दिया गया है। क्या अन्य क्षेत्रों में ब्लाकों को भी विकास के लिये अंकित किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: जैसे ही जांच पड़ताल पूरी हो जायेगी, और जी० एस० आई०, आई० बी० एम० और कोयला नियंत्रक के बीच बैठकें हो जायेंगी, अधिकाधिक क्षेत्रों को विकास के लिये दिया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ये छिद्रण कार्य कितने क्षेत्र में किये जा रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: विभिन्न सेक्शनों में क्षेत्रों का नक्शा खींचा गया है। उदाहरणतः दिशेरगढ़ क्षेत्र में कोयले के स्तर अंकित कर दिये गये हैं और लगभग २ वर्गमील जगह विकास के लिये रखी गयी है। रामगढ़ में ७४ फुट मोटा स्तर अलग रखा गया है और इस क्षेत्र का नक्शा अभी बनाया जाना है। इसी प्रकार, अन्य क्षेत्रों में भी काम चल रहा है और इस समय क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

†**डा० रामसुभग सिंह** : क्या रानीगंज, रामगढ़ और दिशेरगढ़ में इन तीनों स्तरों से प्राप्त किये जाने वाले धातुकार्मिक कोयले की कुल मात्रा का कोई मूल्यांकन किया गया है ? इनसे हमारे इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता किस हद तक पूरी हो सकेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा मैंने बताया है, ये खोज हमारे इस्पात संयंत्रों के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन स्तरों से बड़ी माड़ा में धातुकार्मिक कोयला निकाले जाने की सम्भावना है। परन्तु क्योंकि जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है, इससे पूरी की जाने वाली हमारी इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या वर्तमान खनन पट्टों में से किसी में ये खोज की गयी हैं और यदि हां, तो इन निक्षेपों के खनन के बारे में क्या नीति अपनायी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय:** ये खोज अधिकतर बिना पट्टे वाले क्षेत्रों में की गयी हैं। दुर्भाग्यवश, पहले कोयला खान उद्योग ने इन क्षेत्रों को छोड़ दिया था। अतः बिना पट्टे वाले क्षेत्र में हमें जांच पड़ताल करनी पड़ी और हमने कुछ खोज की।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सड़कें बनाने और रेलवे लाइन बिछाने का काम साथ साथ किया जायेगा ताकि खानों से कोयला निकालते ही वह इस्पात संयंत्रों को भेजा जा सके ? क्योंकि खानें सरकारी क्षेत्र में हैं, क्या वहां अत्याधुनिक ढंग की सुरक्षात्मक व्यवस्था की जावेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं समझता हूं कि सरकार इन सब बातों पर विचार कर रही है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** विवरण में कहा गया है :

> "इन कोयला-खानों से कोयले का निकालना तभी सोचा जायेगा जब गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षा हो जायेगी।"

यद्यपि अभी एक विस्तृत योजना बनाना सम्भव नहीं है, जसाकि मंत्री महोदय ने अभी बताया है, क्या मैं जान सकता हूं कि इन नये कोयला क्षेत्रों का खनन-कार्य औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रखा जायेगा या यह गैर-सरकारी स्वामियों को पट्टे पर भी दिया जायेगा

†**श्री के० दे० मालवीय :** सरकार की नीति सदन के समक्ष है और उस नीति से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या यह सच है कि कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया था कि कोयला निक्षेपों की इस खोज से इस्पात संयंत्रों के लिये कोयले की समस्या पर्याप्त समय तक के लिये सुलझ जायेगी ? यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो क्या वे कोयला निक्षेपों के गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन किये बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मेरा अपना मूल्यांकन तब किया गया था जब भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग का प्रतिवेदन निकल चुका था और मैंने उनसे बातचीत कर ली थी। परन्तु यह बात हमेशा प्रविधिक मूल्यांकन के बाद ही है जोकि अभी बाकी है और यदि मेरा अनुमान गलत निकला तो मैं सदन में घोषणा कर दूंगा कि "वे गलत थे"।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस खोज से हमारे इस्पात संयंत्रों के लिये कोयले की कार्यकारी लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं इस बारे में अन्तिम रूप से कुछ नहीं कह सकता परन्तु इससे कोयला खानों के कार्यकरण के आर्थिक पहलू में सुधार होता प्रतीत होता है क्योंकि जो स्तर बहुत गहरे, लगभग २,००० फुट लगते हैं, उन्हें अब १,२०० फुट तक पृथक किया गया है। अतः यदि इन स्तरों को अधिक फैलाया गया तो कोयला खानों के कार्यकरण का आर्थिक पहलू बहुत आशाजनक हो जायेगा।

†**श्री आचार :** क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग इस क्षेत्र में कोई विशेष जांच पड़ताल कर रहा है ? उन्होंने इस नयी खोज का कैसे पता लगाया ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** वास्तव में, इस क्षेत्र में बहुत अधिक छिद्रण किया जा रहा है। यह किसी अवसर से नहीं है कि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग को इसका पता लग गया है। बड़ी मात्रा में भूगर्भीय छिद्रण किया जा रहा है और उस छिद्रण के परिणामस्वरूप इन स्तरों का पता लगा है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या इस कोयले में राख अंश की प्रतिशतता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां, कुछ क्षेत्रों में राख अंश का मूल्यांकन किया गया है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** वह कितने प्रतिशत है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यहां मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में, कुछ स्तरों में राख अधिक मात्रा में—लगभग १५ से १८ प्रतिशत तक—है।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस्पात संयंत्रों के बारे में इस कोयले के खनन का आर्थिक पहलू क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न पूछा गया था।

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** जहां तक कोयले की लागत के बारे में आर्थिक पहलू का सम्बन्ध है, इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा सदन को ज्ञात है, कोयले का मूल्य नियंत्रित है। धातुकार्मिक कोयले की नयी खोज का हम स्वागत करते हैं क्योंकि भूगर्भवेत्ताओं और अन्य व्यक्तियों के पास जो भूगर्भीय आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे पता चलता है कि धातुकार्मिक कोयले की मात्रा सीमित है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या मंत्री महोदय का ध्यान आज के लगभग सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि कोयले के नये क्षेत्रों से खनन का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जायेगा ? क्या यह बात ठीक नहीं है ? यदि ऐसा नहीं है, तो सरकारी-क्षेत्र को बढ़ाने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। इसका कोई मतलब नहीं है। नीति का विषय है। प्रश्न पूछा गया था और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है। वह निश्चित रूप से यह बता चुके हैं कि इसमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं है। ऐसे ही प्रश्न का यह स्पष्ट उत्तर है। अन्य मंत्री से पूछने का क्या मतलब है ? क्या आप चाहते हैं कि वे एक दूसरे की बात काटें ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जी, नहीं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** सुबह के समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि वे कोयले के विकास का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय:** इसीलिये मैंने अनुमति दी थी, मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है। मैंने उन्हें देखा है। इसीलिये मैंने इस प्रश्न की अनुमति दे दी यद्यपि यह नीति का विषय है। मन्त्री महोदय बता चुके हैं कि परिवर्तन का कोई कारण नहीं है। अब माननीय सदस्य उनसे यह पूछते हैं कि यह खबर समाचार पत्रों में क्यों छपी ?

†**श्री हेम बरूआ:** जब मन्त्री महोदय असहमत हों, तो क्या यह इस बात का उदाहरण नहीं है कि मन्त्रीगण एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य इस ओर आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने तक सीमित रहें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। कोई एक दूसरे का खण्डन नहीं कर रहा है। मैं नहीं समझता कि श्री हेम बरुआ ने यह कैसे समझा। मैं समझता हूं कि यह उनकी सदैव की भांति . . .

†**श्री हेम बरूआ :** यह बात अध्यक्ष महोदय ने कही है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था। मैं मानता हूं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं? क्योंकि हमें लगा है कि इसमें काफी कमी हुई है। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि, यहां कोयला अधिक मात्रा में पाया गया है, और उनकी बार-बार दुहराई गई नीति को ध्यान में रखते हुए कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र को कार्य नहीं सौंप रहे हैं, वे सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य उसके लिये एक प्रस्ताव रखें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इस प्रश्न की अनुमति गलतफहमी दूर करने के लिये दी थी क्योंकि यह समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। यह नीति का विषय है। इसके पीछे पड़ना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न।

पाकिस्तान से सुई गैस

+

†*९६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हेम बरूआ :
श्री दामानी :
श्री असार :
श्री उस्मान अली खां :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पाकिस्तान से सुई गैस प्राप्त करने के लिये बातचीत की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). हाल में ऐसा कुछ आभास मिला है कि पाकिस्तान भारत को प्राकृतिक गैस बेचना चाहता है। अभी तक कोई निश्चित रूप से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और औपचारिक रूप से कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि आभास और औपचारिक पत्र व्यवहार में क्या अन्तर है और आभासों के औपचारिक पत्र-व्यवहार में बदलने से पहले कौन कौन से प्रक्रम पूरे करने होंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री गोरे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गुजरात राज्य ने एक समिति नियुक्त की थी और जांच पड़ताल के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सुई गैस आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होगी, बातचीत आरम्भ होने पर इस बारे में सरकार क्या करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सिवाय इसके कि कभी कभी समाचार-पत्रों में समाचार पढ़े हैं, मुझे नहीं मालूम कि गुजरात सरकार ने क्या जांच पड़ताल की है। न ही मैं यह सोचता हूं कि जब सुई गैस गुजरात राज्य के उद्योग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस प्रक्रम पर गुजरात राज्य सरकार किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकती है। इस समय सरकार समूचे प्रश्न पर विचार कर रही है। सम्बन्धित मन्त्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से पाकिस्तान की गैस के उपयोग करने की सम्भावनाओं के बारे में प्रारम्भिक अध्ययन किये जा रहे हैं।

†**श्री उस्मान अली खां**: क्या सरकार ने भारत में जैसलमेर क्षेत्र के बारे में पता लगाया है जहां कि सुई गैस के स्तर हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह गलत बात है जोकि दिल्ली के कुछ समाचार पत्रों ने फैलायी है कि सुई गैस जैसलमेर क्षेत्र तक आ गयी है। ऐसी कोई बात नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारत ज्वालामुखी से अपनी गैस का प्रयोग कब करेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसें ही ज्वालामुखी अथवा अन्य किसी क्षेत्र में गैस की कुछ मात्रा का पता लगे।

†**श्री न० रा० मनिस्वामी** : क्या यह सच है कि भारत सरकार प्राकृतिक गैस के मूल्य के बारे में बातचीत करने के लिये पाकिस्तान से एक शिष्टमण्डल बुलाने को तैयार नहीं है क्योंकि भारत सरकार को प्रविधिक और अन्य मामलों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह सच नहीं है कि सरकार पाकिस्तान से शिष्टमण्डल बुलाना नहीं चाहती। वास्तव में उनके प्रस्ताव पर हम पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम उस देश की गैस के प्रयोग करने की सम्भावनाओं की जांच कर रहे हैं। इन सब पहलुओं, जैसे मूल्य, परिवहन की सम्भाव्यता, की जांच की जा रही है और सम्भवतः वे भी इन सब प्रश्नों की जांच कर रहे हैं।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने बताया है कि वह भारत सरकार को असीमित मात्रा में सुई गैस दे सकेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे इस बात का पता नहीं है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : उस प्रस्ताव को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यदि ऐसा कोई प्रस्ताव किया गया तो सरकार उस पर समुचित विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु आभास-मात्र है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी**: यदि ऐसा आभास है तो मेरा प्रश्न है कि क्या ऐसे प्रस्ताव को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कोई पग उठाये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है ।

†**श्री आचचरः** प्रस्ताव क्या हैं और क्या हमने उन प्रस्तावों के कोई उत्तर भेज दिये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी तक जो कुछ हुआ है वह यह है कि भारत को पाकिस्तानी गैस की बिक्री का प्रश्न प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में उठाया गया था । इसके बारे में पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने एक निर्देश किया था । यह प्रश्न वित्त मंत्रियों और उनकी सरकारों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी उठाया गया था । परन्तु उसके बाद स्पष्ट रूप से हमें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है जिससे हम इस प्रश्न की जांच कर सकें । ऐसी सम्भावना की प्रत्याशा में भारत सरकार स्वयं समूचे प्रश्न की जांच कर रही है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार भी ऐसा कर रही होगी । जैसे ही कोई निश्चित प्रस्ताव किया जायेगा, भारत सरकार निश्चय ही उस देश से सुई गैस खरीदने की सम्भावनाओं पर विचार करेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: मन्त्री महोदय ने बताया कि इस बारे में बड़ी गलत धारणा है कि जसलमेर तक सुई गैस है । यदि यह सच नहीं है 'स्टैनवैक' कम्पनी ने जैसलमेर क्षेत्र में गैस का पता लगाने का प्रस्ताव किया है । उन्होंने यह बताया है कि उन्हें विश्वास है कि वहां गैस की अधिक सम्भावना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सुई गैस और जैसलमेर क्षेत्र में पाई जा सकने वाली गैस के बीच कुछ गलतफहमी है । जैसलमेर के दाहिने सीमान्त में पाकिस्तान में एक क्षेत्र है जहां 'स्टैनवैक' ने सफलतापूर्वक कुछ गैस का पता लगाया है और वह 'मारी गैस' है । 'मारी' उस जगह का नाम है जहां गैस का पता लगाया गया है । 'सुई' वहां से दूर है—मारी के उत्तर-पश्चिम अथवा पश्चिम में और यह असम्भव है कि सुई गैस जैसलमेर क्षेत्र तक है । यह सम्भव हो सकता है कि 'मारी' गैस जैसलमेर तक पाई जाये—यदि जैसलमेर में कोई गैस है तो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : 'सुई' और 'मारी' दो गांव हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : वे उन स्थानों के नाम हैं जहां गैस पायी गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्यों का शायद यह ख्याल है कि सुई गैस किसी विशेष रसायन पदार्थ वाली गैस है !

†**श्री दी० चं० शर्माः** बातचीत सफल होने पर जहां तक शक्ति के सम्भरण का सम्बंध है जो कि इस सुई गैस से पूरी की जावेगी, हमारी आर्थिक अवस्था में क्या कमी है ?

†**श्री के० दे० मालवीयः** गैस एक ईंधन है जो शक्ति बनाने के काम आता है । पश्चिमी सीमान्त में हमारे देश में कुछ क्षेत्र हैं जहां कोयला पहुंचाना कठिन है क्योंकि परिवहन की लागत बहुत अधिक बैठती है । यदि पाकिस्तान से सुई गैस अथवा अन्य कोई गैस भारत को दी गयी तो इन सब प्रश्नों पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सच है कि नेहरू-अय्यूब वार्ता के समय ऐसा आभास दिया गया था कि भारत द्वारा सुई गैस की खरीद दोनों देशों के बीच होने वाले विभिन्न आर्थिक परिवर्तनों जैसे पाकिस्तान द्वारा सीमेन्ट और लोहे तथा इस्पात की खरीद और पटसन तथा रूई और सेंधा नमक की बिक्री से सम्बन्धित है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे पता नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय**: अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों प्रश्न होते हैं परन्तु हम एक या दो प्रश्नों पर ही अड़ जाते हैं।

कोयले का स्टाक

†*९७. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने कोयले के औद्योगिक उपभोक्ताओं से कोयले का पर्याप्त स्टाक संचित करने की अपील की है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कारण कोयले के भाव चढ़ गये हैं ; और

(ग) सरकार भावों को चढ़ने से रोकने और औद्योगिक उपभोक्ताओं को संभरण में शीघ्रता लाने तथा उसे निरन्तर बनाये रखने की दृष्टि से क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). प्रतिवर्ष, जुलाई और अक्तूबर के बीच रेलवे के मन्दे मौसम में, कोयले के सब उपभोक्ताओं से, जिनमें औद्योगिक उपभोक्ता सम्मिलित हैं, प्रार्थना की जाती है कि वे परिवहन संबंधी नर्म हालत का लाभ उठा कर कोयला का स्टाक जमा कर लें। चूंकि कोयला का मूल्य नियंत्रित होता है, इस लिये इस कारण मूल्य बढ़ने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या सरकार का विश्वास है कि कोयला नियंत्रित दामों पर बिकता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जब तक माननीय सदस्य या और कोई व्यक्ति किसी मामले विशेष का पता न दे, यह सोचने का कोई कारण नहीं कि यह नियंत्रित मूल्य पर नहीं बिकता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मन्दे मौसम में अर्थात् जुलाई से अक्तूबर तक कोयला खानों के पास उद्योगपतियों को देने के लिये पर्याप्त स्टाक होता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उनके पास काफी अधिक स्टाक होता है, परन्तु जुलाई में जैसा कि माननीय सदस्य को निस्संदेह विदित है, हड़ताल के परिणामस्वरूप परिवहन पर प्रभाव पड़ा था।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या हम इस स्थिति में हैं कि देश की कोयला संबंधी सारी मांग को पूरा कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** समूची योजना इसी उद्देश्य के लिये है कि हम देश की कोयले की आवश्यकता को पूरा कर सकें। योजना का यही अर्थ है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या हम अपनी कोयले की समूची आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हैं? हम प्रतिदिन फैक्टरियां बन्द होते देखते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी थी और औद्योगिक इकाइयों में अभाव था। क्या वह समस्या हल हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के उद्योगों को लगातार कोयला भेजा जा रहा है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** औद्योगिक उपभोक्ताओं की मांग प्रायः पूरी कर दी गई हैं। परन्तु हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भट्ठों को पर्याप्त कोयला नहीं भेजा गया क्योंकि यह मुगलसराय से ऊपर है और कोयला भेजने में कठिनाइयां हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हाल ही में, कुछ दिन हुए एक फैक्टरी बन्द हो गई है जिसके दोनों ओर साठ मील पर कोयला खानें हैं। बात यह है कि खान मांग को पूरी करने में समर्थ नहीं। आज देश में यह हालत है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यदि मुझे उस फैक्टरी के बारे में बताया जाए तो मैं उसकी जांच करूंगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** आंध्र प्रदेश में वारंगल में आजमजाही मिल है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इसकी सूचना माननीय मंत्री को दे सकते हैं। इसके बन्द होने का कारण कोयले की कमी या वित्त का अभाव हो सकता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मैं उन्हें क्यों इसकी सूचना दूं? यह समाचार पत्रों में बड़े शीर्षकों में प्रकाशित हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो उन्होंने प्रश्न क्यों पूछा है?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** माननीय मंत्री ने कहा है कि हो सकता है भट्ठों के लिये कोयला उत्तर प्रदेश को न भेजा गया हो। क्या सरकार उत्तर प्रदेश के ईंटों के भट्ठों के लिये कोयला भेजने के लिये कोई कार्रवाई कर रही है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** उत्तर प्रदेश और पंजाब को ईंटों के भट्ठे के लिये कोयला मुगलसराय के ऊपर से लाना पड़ता है। ईंटों के भट्ठों के कोयला को कम प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को, अर्थात औद्योगिक निर्माण इकाइयों, थर्मल बिजली घर आदि, कोयला इससे पहले मिलना चाहिये और उसमें कठिनाइयां हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं मुगलसराय के ऊपर से जो कोयला आ सकता है वह सीमित है और उस में विभिन्न प्रतियोगी प्राथमिकताओं को स्थान देना है।

†**श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या सरकार को मालूम है कि कोयले की कमी के कारण आसाम की चाय सम्पदाओं को हानि पहुंच रही है और यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि आसाम के चाय उद्योग ने इसकी ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से दिलाया है। मैं समझता था कि आसाम में कोयला उपलब्ध हैं और मार्ग भी बहुत लंबे नहीं हैं, इसलिये मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि चाय उद्योग को क्षति पहुंची है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य स्वयं चाय उत्पादक प्रतीत होते हैं।

†**श्री गुलाम मोहीउद्दीन** : कोयले को केवल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करके क्या हम इसके अधिकतर आर्थिक लाभ नहीं खो रहे हैं और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री उनका प्रश्न समझ गये हैं?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां। उन्होंने कहा है कि कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और हम कोयले के अत्यावश्यक संभवतः सजीव सामग्री नष्ट कर रहे हैं।

†**श्री गुलाम मोहीउद्दीन** : जी हां। कोयलें से नाइट्रोजन और उर्वरक बनाने के लिये ये सब और अन्य बहुत सी चीजें मिलती हैं। और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करके हम इन सब लाभों को नष्ट कर रहे हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : बहुत से कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग जारी रहेगा। यह सच है कि कोयला का गैस रसायन संबंधी उद्योगों आदि के काम में आ सकता है। सिंद्री में कोक भट्ठी बैटरियों में तथा पश्चिम बंगाल के कोक भट्ठी संयंत्र एवं एकीकृत इस्पात संयंत्रों में भी इस का इस प्रयोजन के लिये प्रयोग किया जाता है परन्तु हमारी वर्तमान आर्थिक अवस्था में अधिकतर कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहेगा क्योंकि हमारे पास कोयले का स्थान लेने वाला कोई और ईंधन नहीं है।

जेसलमेर में पानी

†*९८. { **श्री गोरे** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसलमेर क्षेत्र में तेल के लिए छिद्रण करते समय भूतत्वीय सर्वेक्षण दल को काफी मात्रा में पानी मिला था ; और

(ख) क्या सरकार इन संसाधनों से बड़े पैमाने पर लाभ उठाने का आयोजन कर रही है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री गोरे** : समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि जब हम तेल के लिये खुदाई कर रहे थे बड़ी मात्रा में अच्छा जल मिला था। यदि उनका उत्तर नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना। क्या यह सच है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** भूमि गत जल को पाने के लिये प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने खुदाई करवाई थी, परन्तु हमारे पास प्रतिवेदन का व्यौरा नहीं आया। यह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मामले में ऐसा हुआ कि उन्होंने दो नलकूप खोदे और उनकी तंग सुराख की खुदाई से उन्हें खारा पानी मिला।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि यह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन है। और उस क्षेत्र में खोज की गई थी तथा बहुत पानी मिला था? क्या उन्हें इस मामले में उस मंत्रालय से कोई सूचना मिली है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैंने इसके बारे में सुना है। मैं पहले कह चुका हूं कि मुझे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो हम यह सूचना लेकर उन्हें दे सकते हैं।

†**श्री बासप्पा :** क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में ५५,००० गैलन पर प्रति घंटे वाला चंदन कूंआ बन रहा है और यह अच्छा जल है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** ५५,००० गैलन तक जल देने वाला कूंआ है, परन्तु यह बात भी है कि वह क्षेत्र कोयले वाला है और उसमें खनिज पदार्थ आदि होने के कारण वहां खारे पानी की भी संभावना है जिसे हम भुला नहीं सकते।

†**श्री गोरे :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान में जल बहुत मूल्यवान वस्तु है, क्या सरकार इस मामले की और जांच करके तथ्य का पता लगाएगी?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हम उस क्षेत्र में जल की खोज कर रहे हैं और यदि हमें जल प्राप्त हुआ तो हमें अति प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैं माननीय सदस्य से इस बात में सहमत हूं कि जल की बड़ी आवश्यकता है।

†**डा० सुशीला नायर :** वहां जल यदि अधिक नहीं तो कई सप्ताहों से जोरों से चल रहा है। क्या किसी ने चख कर नहीं देखा कि वह खारा है या नहीं? माननीय मंत्री उसके खारा होने की संभावना कर रहे हैं।

†**श्री स० का० पाटिल :** माननीय सदस्या ने मेरे उत्तर को गलत समझा है। वहां पहले से दो कूंए जहां बहुत जल मिला है। मुझे बताया गया है कि एक तीसरा कूंआ खोदा जा रहा है, किन्तु कुछ और कूंए भी हैं। मैं केवल यह कह रहा था कि खनिज वाले क्षेत्र में खारे जल की संभावना होती है, ऐसा नहीं कि ऐसा होता ही है।

†**सेठ अचल सिंह :** यह जो जैसलमेर में पानी पाया गया है क्या यह खेती के काम में आ सकता है?

†**श्री स० का० पाटिल :** हां, खेती के काम में लगता है। और पीने के काम भी आता है जिसकी उस क्षेत्र में बड़ी जरूरत है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं है कि जैसलमेर की ओर उस विशिष्ट स्थान में एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां भूमिगत जल की बड़ी संभावना है, और इसकी खोज की जा रही है? उस क्षेत्र में जहां जल इतने महत्व की चीज है क्या कार्रवाई की जा रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० का० पाटिल: यह एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बारे में पूछना है । यदि मुझे मालूम होता कि इन सब प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा तो मैं सब सामग्री और सूचना इकट्ठी करके लाता ।

विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

+

†*९९. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वारियर :
श्री रामजी वर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सूपकार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा की योजना संघ सरकार तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा मोटे तौर पर मंजूर कर ली गयी थी ।

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयों के बीच कोई मतभेद हो गया है;

(ग) यह मतभेद किस प्रकार का है; और

(घ) इस योजना के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन की दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) जैसाकि राष्ट्रीय सेवा समिति ने सिफारिश की है, योजना का व्यौरा तैयार करने के लिये एक कार्यकारी दल बनाया गया है । मैं यह भी बता दूं कि यद्यपि योजना के मोटे सिद्धान्तों का सामान्यतया स्वागत किया गया था, योजना अनुमोदित नहीं की गई है ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या इस काम के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और क्या उनमें से कोई सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ?

†डा० केसकर : माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं सुना है । समिति की सिफारिश के अनुसार एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है जो व्यौरे पर विचार कर रहा है और वह केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से भी परामर्श कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्रीनारायण दास : अपने प्रतिवेदन तैयार करने में इस दल को कितना समय लगेगा ?

†डा० केसकर : समय-सीमा निश्चित करना कठिन है, किन्तु हम इसे यथाशीघ्र करवाने का प्रयत्न करेंगे ।

†श्री राधा रमण : क्या सरकार ने मंत्रालय के किसी अधिकारी को उन देशों का जहां ऐसी योजना लागू है, भ्रमण करने के लिये नियुक्त किया है और क्या वह वापिस आ गया है अथवा वह कोई प्रतिवेदन पेश कर रहा है जिसका कार्यकारी दल को लाभ हो सके ?

†डा० केसकर : मुझे पता नहीं है ।

†श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या इस योजना के संसाधन, जिस पर कम से कम १३.८ करोड़ रुपये तथा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ६०० रुपये खर्च होने की आशा है, शिक्षा तथा प्रतिरक्षा बजटों से लिये जाएंगे अथवा इस योजना को चलाने के लिये अधिक कर लगाये जाएंगे ?

†डा० केसकर : यह काल्पनिक प्रश्न है । वास्तव में, व्यय का अभिभाजन योजना के स्वरूप पर निर्भर होगा । योजना है और यद्यपि इसका स्वागत किया गया है कुछ मंत्रालय और राज्य सरकारें तथा अन्य लोगों ने सुझाव दिये हैं कि वे इसमें कुछ परिवर्तन तथा अन्तर करना चाहते हैं और यह सब कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि योजना का अन्तिम स्वरूप क्या होता है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस योजना की सभाव्यता के बारे में मंत्रियों और अन्य लोगों के अतिरिक्त किन्हीं शिक्षाविन्दों से भी परामर्श लिया जा रहा है ?

†डा० केसकर : माननीय सदस्य को विदित है कि इस समिति का सभापति विश्वविद्यालय अनुदान आयेगा का सभापति है और कार्यकारी दल में कुछ मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त बहुत से शिक्षाविद हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस योजना पर विचार करने के लिए पहले एक वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया था । उसके बाद एक नया वर्किंग ग्रुप अब नियुक्त किया गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वर्किंग ग्रुप कब तक वर्क करता रहेगा और क्या कम से कम अगले शिक्षा सत्र से इस योजना को लागू किया जा सकेगा ?

डा० केसकर : वर्किंग ग्रुप नया नहीं है पुराना ही है ।

डा० रामसुभग सिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों की राय ली जा रही है तो क्या यह सही है जैसा कि पार्ट बी० में कहा गया है कि सामुदायिक विकास मंत्रालय और सुरक्षा मंत्रालय ने इसका विरोध किया है और यदि नहीं किया है तो क्या राय उन मंत्रालयों की ओर से दी गई है ?

डा० केसकर : मैंने कहा कि बाकायदा स्कीम के बारे में तो राय किसी ने अभी दी नहीं है लेकिन एक तरीके से प्रीलिमनरी इसके सिद्धान्त के बारे में बहुत सी राय पूछी गई थीं, विरोध तो किसी ने नहीं किया है लेकिन हो सकता है कि स्कीम की भिन्न भिन्न तफसीलों के बारे में अलग-अलग मंत्रालयों ने जो राय जाहिर की उसी को बढ़ा चढ़ा कर कुछ लोगों ने कहा हो कि फलांना मंत्रालय विरोध कर रहा है लेकिन दरअसल विरोध किसी को नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा योजना के अतिरिक्त एक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना है। इसके आरम्भ किये जाने से पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना के लिये अपेक्षित निधि मिल जाएगी अर्थात् क्या इसे अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा योजना की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी ?

†**डा० केसकर** : मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ क्योंकि उद्देश्य बहुत भिन्न हैं।

†**श्री सूपकार** : कार्यकारी दल के प्रतिवेदन में कुछ संकेत हैं; परन्तु क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिये डिग्री लेने के लिये एक वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा लागू करना आवश्यक होगा ?

†**डा० केसकर** : यह बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। जैसा मैंने कहा, पूरी योजना के ब्यौरा के बारे में अभी तक किसी ने निश्चित मत व्यक्त नहीं किया। कुछ मंत्रालयों और कुछ राज्य सरकारों ने यह मत व्यक्त किया है कि वे सामान्यतया इस योजना का स्वागत करते हैं; परन्तु अब उनका व्यापक मत पूछा जा रहा है और यह काम इस समय कार्यकारी दल का रहा है।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि खड्कवासला में हुए उपकुलपतियों के सम्मेलन में कोई एकमत निर्णय नहीं किया गया और यदि हां, तो क्या मतभेद था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम अब पूरे प्रतिवेदन को लेंगे। अगला प्रश्न।

खानों का बन्द होना

+

†*१००. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अजमद अली :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :

क्या **इस्पात खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदर्भ तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मैंगनीज की २५० खानें बन्द कर दी गयी हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी कुछ और खानों के भी बन्द होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(घ) बन्द खानों को पुनः चालू करने तथा अन्य खानों को बन्द होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार किया जा रहा है; और

(ङ) इन खानों के बन्द होने का मैंगनीज़ अयस्क के भारत से विदेशों को निर्यात तथा देश में होने वाले इस्पात के उत्पादन पर क्या असर हुआ है ?

†**इस्पात खान-और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) भारतीय खान ब्यूरो के निदेशक को खनिज रक्षा तथा विकास नियमों, १९५८ के अन्तर्गत प्राप्त सूचना के अनुसार सितंम्बर १९६० तक विदर्भ प्रदेश में १९ तथा मध्य प्रदेश में ४ खानें बन्द हो गई थीं।

(ख) संभावना नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) खानों के बन्द होने के कारण सामान्यतया ये हैं कि खानों से माल कम निकलता है, बड़ी मात्रा में बिक्री न होने वाला माल मिलता है, निक्षपों में बाढ़ है, मजदूर नहीं मिलते तथा अपेक्षित धन की कमी है ।

(घ) बन्द खानों को पुनः चलाने और अन्य खानों को बन्द होने से रोकने के लिये सरकार ने कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं की है । तथापि सरकार ने भारतीय मेंगनीज अयस्क को विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिये आवश्यक कार्रवाई की है ताकि इसका निर्यात बढ़े ।

(ङ) खानों के बन्द होने से मेंगनीज अयस्क का इस्पात के उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जो खाने बन्द हुई हैं उनकी संख्या तथा आकार छोटा है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच नहीं है कि खनिज उद्योग संस्था के सभापति ने यह कहा है कि शुल्क इतने अधिक लगे हुए हैं कि खानों को बन्द होना पड़ा ? क्या यह भी सच है कि हमने अपना निर्यात बाजार खो दिया है क्योंकि ब्राजील, घना, और रूस ने उसे हाथ में ले लिया है क्योंकि वे बाजार में मुकाबला कर सकते हैं, जब कि हमारे शुल्क इतने अधिक हैं कि हमारे लिये मुकाबला करना असंभव हो गया है ?

†**श्री गजेंन्द्र प्रसाद सिन्हा :** निर्यात बाजार के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि निर्यात बढ़ाने के लिये अधिकतम प्रयत्न किया जा रहा है, और इसके लिये अन्य सुविधायें भी दी जा रही हैं । सब किस्मों में मेंगनीज अयस्क संबंधी निर्यात शुल्क नवम्बर १९५८ में पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था । . . .

†**श्री मुहम्मद इमाम :** क्या यह सच नहीं है कि बहुत ही खानें बन्द हुई थीं । . . .

†**श्री रघुनाथ सिंह :** सभा सचिव ने अपना उत्तर पूरा नहीं दिया है । हम शुल्कों के बारे में जानना चाहते थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि निर्यात शुल्क हटा दिया गया था ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैंने पहले ही कारण बता दिये हैं । खानों के बन्द होने के और कारण भी हैं और उनकी संख्या बहुत कम है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** २३ खानें बन्द हो गई हैं । क्या यह संख्या कम है ?

†**श्री नाथ पाई :** निर्यात की कमी के बारे में क्या बात है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य उत्तर समझ गये होंगे । उन्हौंने यह भी कहा है कि १९५८ में निर्यात शुल्क हटा दिया गया था । जब श्रीमती इला पालचौधरी ने प्रश्न पूछा, माननीय सदस्यों को संदेह था कि शुल्कों का क्या मतलब है । संभवतः शुल्कों से उनका अभिप्राय निर्यात शुल्क था । वे १९५८ में हटा दिये गये थे ।

†**श्री इला पालचौधरी :** आन्तरिक शुल्क भी हैं ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जहां तक हमें पता है, हमारे निर्यात में बहुत अधिक कमी नहीं हुई है । इसलिये मैं नहीं समझता कि शुल्कों से हमारे निर्यात बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या कोई शुल्कों का अभिप्राय नहीं बता सकता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका कुछ भी अर्थ हो, शुल्क अब नहीं है ।

†**श्री मुहम्मद इमाम :** क्या खानों के बन्द होने में इस कारण कोई वृद्धि हुई थी कि विक्रय तथा निर्यात राजकीय व्यापार निगम को दिये गये थे जिसने समूचे मामले को खराब कर दिया है और जो केवल ऊंची किस्म का अयस्क लेते हैं और घटिया किस्म का अयस्क खानों वालों को छोड़ देते हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० द० मालवीय) :** इन खानों के बन्द होने के बहुत से कारण हैं। यह सच नहीं है कि राजकीय व्यापार निगम बीच में आया, इसलिये इन खानों को बन्द करना पड़ा। कभी-कभी बहुत सी खानों में घटिया किस्म का मैंगनीज निकलता है और यह अलाभदायक होता है इसलिये ये छोटी खानें चल नहीं सकतीं और बन्द हो जाती हैं । सरकार के लिये सम्भव नहीं है कि वह उन्हें चलाने के लिये जोर डाले, जबकि वे अलाभदायक हों ।

इन आंकड़ों से यह गलत धारणा बन गई है कि बहुत सी खानें बन्द हो गई हैं । जो खानें बड़ी मात्रा में माल नहीं दे सकतीं उन्हें प्रविधिक रूप से खानें नहीं कहा जा सकता, जो बन्द हो चुकी हैं और बहुत सी खानों में काफी माल नहीं निकलता अकेले विदर्भ में, १२३ खानें हैं । मध्य प्रदेश में ११४ खानें हैं जो माल दे रही हैं और २४७ खानें ऐसी हैं जो हमें यह सूचना नहीं देतीं कि वे माल निकाल रही हैं या नहीं । इसलिये इस रिपोर्ट का, कि इतनी खानें बन्द हो गई हैं, मैंगनीज खानों की उत्पादन क्षमता की कमी से कोई बड़ा सम्बन्ध नहीं है ।

†**डा० मा० श्री अणे :** इन खानों के बन्द होने से कितने लोग बेरोजगार हो गये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मुझे इस समय पता नहीं कि कितने आदमी बेकार हो जायेंगे किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं सूचना एकत्र करके उन को दे सकता हूं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदर्भ प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों की खानों के अतिरिक्त, बिहार के मुआ प्रदेश और उड़ीसा के बारबील क्षेत्र में ऐसी खानें बन्द हुई हैं अथवा उन्होंने उत्पादन की सूचना देना बन्द कर दिया है ?

†**श्री के० दे० मालवीयः** मुझे मुआ और बारबिल के बारे में पता नहीं । परन्तु यह सामान्य रुख है कि छोटी खानें जो अलाभदायक होती हैं या घटिया किस्म का मैंगनीज अयस्क पैदा करती हैं वे अस्थायी रूप से बन्द हो जाती हैं और जब हालात सुधरते हैं तो पुनः उत्पादन आरम्भ कर देती हैं. . .

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वे बन्द हो गई हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हाल ही में ऊंची किस्म का अयस्क खरीदने की प्रवृत्ति हो गई है और उस दृष्टि से हमारा निर्यात कम नहीं हुआ । यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है । परन्तु विश्व में अन्य बड़े कारण भी होते हैं जिनके कारण मैंगनीज खानों में तुलनात्मक दृष्टि से कम उत्पादन होता है ।

†**श्री बि० दास गुप्तः** सभा सचिव ने अभी कहा है कि मैंगनीज का निर्यात कम नहीं हुआ है । परन्तु क्या भारत से मैंगनीज के निर्यात में कमी होकर पिछले वर्ष के १३.९१ करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष ११.९१ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है ?

†**श्री के० द० मालवीय :** जैसा मैंने कहा है मैंगनीज अयस्क का निर्यात अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है । पिछले सात या आठ वर्षों में निर्यात में कमी के बड़े कारण रहे हैं परन्तु पिछले तीन वर्षों में निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है । १९५८, १९५९ और १९६० के आंकड़े मेरे पास हैं और मैं बता सकता

---

†मूल अंग्रेजी में

हूं। १९५८ में ९ लाख ७६ जहार टन, १९५९ में ९ लाख ८६ हजार टन और १९६० के पहले छः महीनों में ५ लाख ८६ हजार टन का निर्यात हुआ है जिसका यह अर्थ है कि १९६० में यह १० लाख से कुछ थोड़ा अधिक होगा। यह क्रमशः वृद्धि स्पष्टतः दिखाई देती है।

नागा विद्रोही

+

†*१०१. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आसर :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री गोरे :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ अगस्त, १९६० को नागा विद्रोहियों द्वारा पकड़े गये भारतीय विमान बल के विमान के कर्मचारी सितम्बर, १९६० में छोड़ दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कर्मचारियों ने अपनी हिरासत के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दिया है?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़) : (क) कुल ९ व्यक्तियों में से केवल ५ ही व्यक्ति छोड़े गये हैं।

(ख) जी हां।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** हमारे फ्लाइंग अफसरों को वापस बुला लेने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या सरकार को मालूम है कि वे अभी कहां हैं और क्या उनके परिवार के सदस्यों को सूचना दे दी गयी है?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): जिन दूसरे व्यक्तियों को अभी रिहा नहीं किया गया है वे कहां हैं इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम जानते हैं कि वे उस क्षेत्र में हैं लेकिन वे उन्हें

†मूल अंग्रेजी में

एक जगह से दूसरी जगह घुमाते रहते हैं और इसलिये हम निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते कि वे अभी फिलहाल कहां हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** उस विशिष्ट क्षेत्र की इस समय क्या हालत है और उन चार पदाधिकारियों को रिहा कराने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**सरदार मजीठिया :** जहां तक उस क्षेत्र की हालत का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सभा उत्तर पूर्व सीमान्त प्रशासन (नेफा) के बारे में जानती है । लड़ाई अभी चल ही रही है और वे लड़ रहे हैं ।

†**डा० राम सुभगसिंह :** वह नेफा में नहीं है । यह नागालैण्ड के बारे में है ।

†**सरदार मजीठिया :** यथासम्भव शीघ्र हम इन विमान चालकों को रिहा कराने की भरसक कोशिश कर रहे हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय को उस क्षेत्र के बारे में और वहां की वर्तमान परिस्थिति के बारे में जानकारी है ? क्या वह इस खास मामले का कोई विशेष अध्ययन कर रहा है और यदि हां, तो उनकी रिहाई के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, सरकार को उस क्षेत्र की हालत के बारे में पूरी-पूरी जानकारी है और बराबर उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है । हमने कोशिश की है जिसके फलस्वरूप इन पांच व्यक्तियों को रिहा किया गया है । जो चार आदमी अभी भी हिरासत में हैं उनको रिहा कराने में हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है । हमारी कोशिश जारी है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने 'हां' कहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि रिहा किये गये पांच व्यक्तियों ने जो वर्णन दिया है उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं अभी उस वक्तव्य के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उससे उन लोगों पर शायद कुछ असर पड़े जो अभी भी वहां हैं ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या नागा व्यक्तियों के सम्मेलन के नेता उनकी रिहाई के लिये सरकार को सहयोग दे रहे हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** मुझे सूचना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि इन नागा विद्रोहियों ने इन बन्दियों को रिहा करने के लिये इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम मांगी थी ? यदि हां, तो क्या यह सरकार को बताया गया था ? इन बन्दियों को कहां रखा गया है यह मालूम करने में सरकार की असफलता से क्या प्रतिरक्षा सेवाओं और प्रतिरक्षा मंत्रालय के नाम पर धब्बा नहीं लगता ?

†**सरदार मजीठिया :** इससे प्रतिरक्षा मंत्रालय पर कोई आक्षेप नहीं आता । मैंने बताया है कि हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । यह अफवाह ठीक है कि उन्होंने बड़ी रकम मांगी थी किन्तु हमें वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया था ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि अलग नागा राज्य की घोषणा से नागा विद्रोहियों की कार्रवाइयां बढ़ गयी हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं इस राय से सहमत नहीं हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव :** माननीय मंत्री ने यह कहा था कि सरकार की कोशिश से ५ अफसरों की रिहाई हुई। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने क्या कोशिश की थी जिससे उनकी रिहाई हो सकी ? क्या वह बल के कारण या बातचीत के जरिये हुआ ? यदि हां, तो क्या चार बन्दी पदाधिकारियों की रिहाई के लिये सरकार की वही कोशिश जारी है ?

†**सरदार मजीठिया :** हम बातचीत करते हैं और वे दूसरे पदाधिकारियों की रिहाई के लिये बातचीत कर रहे हैं।

†**श्री गोरे :** क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने सरकार को यह सूचित किया है कि जब तक सरकार नागा सम्मेलन की बजाय उनके साथ सीधे बातचीत नहीं करती तब तक इन विमान सैनिकों को रिहा नहीं किया जायगा ?

†**सरदार मजीठिया :** मुझे याद नहीं कि ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है। मैं अवश्य ही इस बारे में देखूंगा।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** कारावास में इन विमान सैनिकों के साथ जो व्यवहार किया गया उसके बारे में रिहा किये गये सैनिकों की क्या रिपोर्ट है ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं इस सम्बन्ध में विस्तार की बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे उन लोगों पर असर पड़ेगा जो अभी भी हिरासत में हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या २६ अगस्त को इस घटना के बाद हमारे भारतीय विमान बल के हवाई जहाजों ने उस क्षेत्र के ऊपर उड़ना बन्द कर दिया है ? उस विशिष्ट स्थान से कम से कम कितनी दूरी पर हमारे गश्ती कर्मचारी रखे गये हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** हमारे हवाई जहाज उस क्षेत्र के ऊपर बराबर उड़ रह हैं और बराबर उड़ते रहेंगे क्योंकि वह हमारा इलाका है।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** इसमें औचित्य का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने बताया है कि वे नागा विद्रोहियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या वे यह स्पष्ट करेंगे कि नागा विद्रोहियों के साथ "बातचीत" का क्या अर्थ है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** बातचीत का अर्थ बातचीत है। प्रश्न जानकारी प्राप्त करने के आशय से पूछा जाता है और जानकारी दी गयी है। जिस तरीके से इन लोगों को रिहा किया गया है वह माननीय सदस्य शायद पसन्द न करें। सरकार संभवतः पहले उन्हें रिहा कराने के बारे में सोचती है और बाद में फिर और कुछ।

†**श्री नाथ पाई :** हम उन्हें रिहा कराना चाहते हैं लेकिन भीख मांग कर नहीं, हम उन्हें अपनी ताकत से रिहा करवाना चाहते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू):** माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कहते हैं। बातचीत या उस तरह की कोई चीज़ का सवाल ही नहीं है। कोई बातचीत नहीं हुई हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हमारे स्थानीय लोग स्वाभाविक ही यह जानना चाहते हैं कि वे कहां हैं और कुछ स्थानीय पदाधिकारियों ने उन्हें ढूंढ़ने की कोशिश की। उसी का उल्लेख किया गया था। जो भी कार्यवाही हो सकी हमने की। कुछ तो मौसम की हालत के कारण कठिनाई होती

---

†मूल अंग्रेज़ी में

है । उन दिनों वहां भारी वर्षा हो रही थी । विमानों का उड़ना संभव नहीं था और यही सब कारण थे । इस मामले के कारण कोई कठिनाई हुई । जहां तक हमारी जानकारी है, ये लोग बराबर एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जा रहे हैं । वे एक जगह नहीं ठहरते और इसलिए तुरन्त पता लगाना हमेशा संभव नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह दुख का विषय नहीं कि स्थानीय पदाधिकारियों और नागा लोगों के सम्मेलन के सहयोग के तथा हमारी प्रतिरक्षा सेवाओं के कार्यों के बावजूद हम उनका पता नहीं लगा सके कि वे एक जगह से दूसरी जगह कहां ले जाये जाते हैं ? हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और हमारे ये विमान सैनिक नागा विद्रोहियों की दया पर निर्भर है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इससे जनता के सहयोग का कोई संबंध नहीं । हम उस क्षेत्र के बारे में सब जानते हैं लेकिन हम उस खास जगह के बारे में नहीं जानते । मान लीजिये कि कोई आदमी दिल्ली शहर में रोजाना घर बदलता है । हम जानते हैं कि वह दिल्ली में है लेकिन हम यह ठीक-ठीक नहीं जानते कि वह पिछली रात कहां सोया ।

नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति

\+

*१०२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री आ० मु० तारिक :
श्री आसर :
श्री आचार : }

क्या **शिक्षा** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैतिक और धार्मिक शिक्षा के संबंध में नियुक्त की गई विशेष जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये मंत्रालय ने कौन से विभिन्न ठोस कदम उठाये हैं ;

(ख) इस विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) यह निश्चय किया गया है कि जिस समिति ने पहले रिपोर्ट तैयार की थी उससे प्रार्थना की जाय कि वे शिक्षा के सभी स्तरों के लिए उपयुक्त साहित्य को भी चुनें ।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय मेज पर रख दी जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या उक्त समिति से यह यह भी अनुरोध किया गया है कि वह अपनी सम्मति इस बारे में शीघ्र से शीघ्र देने की कृपा करें ?

डा० केसकर : इस समिति से सम्मति लेने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जैसा पहले जवाब में शिक्षा मंत्री महोदय ने हाउस में कहा था कि मोटे तौर पर इस कमेटी की रिपोर्ट को वह मानते हैं । उसी कमेटी से कहा गया है कि इस सम्बन्ध में पुस्तकों का भी सुझाव वह दे दे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह समिति विद्यार्थियों को और छात्रों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में नियुक्त की गई है। क्या गवर्नमेंट ने इस बात पर भी विचार किया है कि विद्यार्थियों के ऊपर उनके अध्यापकों और गुरुजनों के चरित्र का भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो क्या उसके सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है या कोई योजना तैयार की जा रही है ?

डा० केसकर : जब इस शिक्षा को अमल में लाने के सवाल को कार्यान्वित किया जाएगा तब इस बारे में भी सोचा जाएगा।

श्री अ० मु० तारिक : पिछली दफा इस सवाल के जवाब में यह कहा गया था कि इस काम के लिये एक छोटी सी कमेटी बनाई जायेगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर वह कमेटी बनाई गई है तो उस के मेम्बर कौन कौन साहब हैं।

डा० केसकर : एक कमेटी बनाई गई है जिस के चेअरमैन बम्बई के गवर्नर श्री श्रीप्रकाश हैं। दूसरे मेम्बर हैं श्री जी० सी० चैटर्जी, श्री ए० ए० फैजी और श्री प० एन० कृपाल।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय अधिनियम हिन्दी अनुवाद आयोग

*१०३. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद करने सम्बन्धी प्रस्तावित आयोग की नियुक्ति के विषय में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) प्रस्तावित आयोग द्वारा कब तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या आयोग की नियुक्ति के पश्चात् उन विधेयकों का हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध हो सकेगा जो भविष्य में संसद् में पेश किये जायेंगे ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) प्रस्तावित स्थायी आयोग के अधिकारी वर्ग के संबंध में राज्य सरकारों की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जल्दी ही अंतिम निर्णय किया जायेगा।

(ख) अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का निश्चय हो जाने के बाद जितना शीघ्र सम्भव होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विधेयकों (बिलों) के अंग्रेज़ी मूलपाठ के साथ उनका हिन्दी अनुवाद उपलब्ध करने के प्रश्न पर स्थायी आयोग अपनी नियुक्ति के पश्चात् यथाशीघ्र विस्तारपूर्वक विचार करेगा।

"ह्विटले" परिषदें

†*१०४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री नारायणन् कुट्टि० मेनन :

क्या गृह-कार्य मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच केन्द्रीय सरकार के समस्त उपक्रमों में ह्विटले परिषदों का निर्माण करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके गठन की रूपरेखा तैयार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). संविधान बनाया जा रहा है। ब्यौरों पर विचार हो रहा है।

तेल उत्पादों की खरीद

†*१०५ **श्री तंगा मणि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देशों की सरकारों से अशोधित तेल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की सीधी बिक्री के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों ने हमें तेल बेचने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) क्या सरकार ने इनमें से किसी प्रस्ताव पर विचार किया है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**:(क) से (ग). अक्तूबर, १९५९ में हमारे दूतावास के ज़रिये ईराक से कुछ थोड़े से पेट्रोलियम उत्पादों की सीधी बिक्री का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और छानबीन के बाद वह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं समझा गया। अशोधित तेल की बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरुकुलों को वित्तीय सहायता

*१०६. { **श्री नरदेव स्नातक :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री : }

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय संस्कृत आयोग ने देश के सभी गुरुकुलों का सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उन गुरुकुलों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है ; और

(ग) क्या इन सब गुरुकुलों में एक सी शिक्षा और डिगरियां दी जाती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिशें अभी आने को हैं । उसके बाद ही कार्यवाही की जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

हिन्दी आयोग

†*१०७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विद्या चरण शुक्ल : }

क्या **शिक्षा** मंत्री १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी में वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करने के लिए हिन्दी आयोग की स्थापना की शिक्षा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस आयोग के सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ग) उसके निर्देशपद क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). भारतीय भाषाओं में शब्दावलि बनाने के लिए, दो भाषाविज्ञों के अतिरिक्त वैज्ञानिकों और प्रोद्योगविज्ञों का वैज्ञानिक और परिभाषिक शब्दावलि संबंधी एक स्थायी आयोग बनाने का निश्चय किया गया है । आयोग के सदस्यों के तौर पर नियुक्ति के लिए कुछ व्यक्तियों के नाम अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) आयोग के कार्यों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(क) राष्ट्रपति के आदेश के पैरा ३ में उल्लिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में अब तक किये गये कार्य की समीक्षा।

(ख) हिन्दी में तथा अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों के निर्माण और समन्वय के सम्बन्ध में सिद्धान्त बनाना।

(ग) वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावलि के क्षेत्र में राज्यों के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किये गये कार्य का, सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति अथवा उनके आदेश से, समन्वय करना और सम्बन्धित अभिकरण हिन्दी में और अन्य भारतीय भाषाओं में जो भी शब्दकोष उसके पास भेजें उन पर अनुमोदन देना।

(घ) आयोग द्वारा तैयार की गयी या स्वीकृत नयी शब्दावलि का प्रयोग कर स्टैन्डर्ड वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तकें तथा वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दकोष तैयार कराने और विदेशी भाषाओं की वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने का काम भी आयोग आरम्भ कर सकता है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

***१०८. श्री रघनाथ सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये दो करोड़ पाउण्ड का ऋण प्राप्त करने की योजना बना रही है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के वास्ते ऋण प्राप्त करने के लिये बातचीत चल रही है। इस सम्बन्ध में अभी अन्य किसी प्रकार का विवरण देना सार्वजनिक हित में न होगा।

राष्ट्रीय एटलस संगठन

†*१०९. श्री बै० च० मलिक : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एटलस संगठन ने भारत का एक नया मानचित्र प्रकाशित किया है जिसमें बम्बई को, जिसकी जनसंख्या २,८३९,२७० है, भारत का सबसे बड़ा नगर अंकित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछली जनगणना के अनुसार बम्बई नगर की जनसंख्या २,३२९,०२० थी; और

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता को भारत का सबसे बड़ा नगर क्यों नहीं अंकित किया गया है यद्यपि उसकी जनसंख्या अधिक है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय एटलस संगठन ने यह एक मानचित्र तैयार किया है जिसमें "ग्रेटर बाम्बे" (वृहत्तर बम्बई) को भारत का सबसे बड़ा शहर दिखाया गया है। वह मानचित्र अभी प्रकाशित नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां, वह जनसंख्या खास बम्बई शहर के सम्बन्ध में है जो वृहत्तर बम्बई नगर निगम से अलग है ।

(ग) क्योंकि १९५१ की जनगणना के अनुसार, वृहत्तर बम्बई निगम के अन्तर्गत जिसमें उपनगर भी शामिल हैं, क्षेत्रों की जनसंख्या कलकत्ता निगम के अन्तर्गत, जिसमें सभी उनपनगर शामिल नहीं हैं, क्षेत्रों की जनसंख्या से अधिक है ।

इस्पात संयंत्रों को कच्चे लोहे का संभरण

†*११०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों को कच्चे लोहे का संभरण करने के बारे में कोई दीर्घकालीन नीति बनाई है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० इस्पात संयंत्रों के लिये अल्पकालीन प्रबंध के रूप में राज्य व्यापार निगम की मार्फत कच्चा लोहा खरीद रहा है; और

(ग) क्या जैसे ही सरकारी क्षेत्र की कच्चे लोहे की खानें काम करना शुरू कर देंगी वैसे ही राज्य व्यापार निगम की मार्फत माल खरीदने का तरीका समाप्त कर दिया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पूरी तौर से नहीं । दीर्घकालीन योजनायें भी बाजार खानों से कुछ कच्चा खनिज दुर्गापुर इस्पात कारखाने को दिया जायगा । जहां तक बाजार खानों से कच्चा खनिज खरीदना सुविधा-जनक होगा वहां तक राज्य व्यापार निगम का उपयोग किया जायगा ।

निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता

†*१११. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री नारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामी रेड्डी :
श्री हेम राज :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **विधि** मन्त्री १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके बाद से देश के निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन):** विधि मंत्रियों के अभी हाल के सम्मेलन में जो चर्चायें हुईं थीं उन्हें ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन के लिये तैयार की गयी गरीबों को कानूनी सहा-यता देने की नमूने की योजना पर अभी विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल समवायों के साथ करार

†*१२२. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आजकल काम करने वाले तीनों गैर-सरकारी तेल-शोधक कारखानों ने यह प्रस्ताव किया है अथवा इस बात का संकेत किया है कि वे भारत सरकार के साथ हुए वर्तमान करारों का पुनरीक्षण करने के लिये तैयार हैं;

(ख) यह प्रस्ताव वस्तुतः क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने उस पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जैसलमेर में तेल-सर्वेक्षण

†*११३. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मुरारका :
श्री वामानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टैन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज के लिये सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों के बारे में अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) विषय पर विचार हो रहा है।

दुर्गापुर में नेप्थेलीन संयंत्र

†*११४. **श्री सुबिमन घोष : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उपोत्पाद के रूप में नेप्थेलीन का उत्पादन करने के लिये अभी हाल में कोई संयंत्र चालू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस समवाय का नाम क्या है तथा वह संयंत्र किस देश ने लगाया है;

(ग) प्रतिदिन कितने टन शोधित नेप्थेलीन तेल का उत्पादन होगा;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) भारत में इस प्रकार के तेल की प्रतिवर्ष कितनी आवश्यकता है;

(ङ) क्या भारत में इस प्रकार का कोई और संयंत्र भी कहीं है; और

(च) यदि हां, तो कहां ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) यह संयंत्र दुर्गापुर इस्पात कारखाने का एक हिस्सा है और इंडियन स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, लन्दन ने, जिसे सम्पूर्ण इस्पात कारखाना लगाने का काम सौंपा गया था, इसे लगाया था।

(ग) नेप्थेलीन तेल नहीं है। यह ठोस चीज है। यह संयंत्र प्रतिदिन १४.५ टन नेप्थेलीन तैयार करने के लिये बनाया गया है।

(घ) अनुमान है कि इस समय नेप्थेलीन की मांग प्रतिवर्ष १००० टन है।

(ङ) जी हां।

(च) कलकत्ता, झरिया, कुसुन्डा (बिहार) और बम्बई। इसके अलावा रूरकेला और भिलाई इस्पात कारखाने भी नेप्थेलीन का उत्पादन करेंगे।

रद्दी लोहे का निर्यात

†*११६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० चं० माझी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ किस्मों के रद्दी लोहे (स्क्रैप) को विदेश भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन किस्मों के रद्दी लोहे पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ग) जिन किस्मों के रद्दी लोहे पर प्रतिबन्ध लगाया गया है क्या उस सबकी खपत हमारे देश में हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में कितने प्रतिशत रद्दी लोहे की खपत होती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). जिन श्रेणियों के रद्दी लोहे का उपयोग देश में हो सकता है उसके निर्यात पर रोक लगी हुई है। हेवी मेंल्टिंग स्क्रैप, नंबर १ क्वालिटी शीट कटिंग्ज इन्डस्ट्रियल और री-रोलेबल स्क्रैप का देश में पूरा पूरा उपयोग किया जा सकता है। फिर भी निर्यात के लिये प्रोत्साहन के तौर पर थोड़े परिमाण में नंबर १ शीट कटिंग्ज और हेवी मेल्टिंग स्क्रैप के निर्यात के किए अनुमति दी जाती हैं। सरकारी क्षेत्र में मेंल्टिंग स्क्रैप की वर्तमान खपत इस श्रेणी के कुल उत्पादन के ८० प्रतिशत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एस० एस० रूथ एवरेट द्वारा तस्कर व्यापार

†*११७. श्री अमजद अली :
श्री साधन गुप्त :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री वोडयार :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री आचार :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एस० एस० रूथ एवरेट" नाम के एक अमरीकी मालवाही जहाज़ पर कलकत्ता के सीमा शुल्क क्लक्टर ने २६ लाख रुपये का जुर्माना किया है ;

(ख) मालवाही जहाज पर इतना भारी जुर्माना डालने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या जहाज़ जब्त कर लिया गया है ; और

(घ) क्या जहाज़ के 'मास्टर' से यह जुर्माना वसूल कर लिया गया है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जहाज में कई "हाइड्स" और "केविटीज़" पाये जाने के कारण समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा ५२ के उपबन्धों के उल्लंघन से उसी अधिनियम की धारा १६७ (१२क) के अधीन जहाज जब्त करने के बजाय २६ लाख रुपये का जुर्माना किया गया। जहाज से या जहाज के कर्मचारियों से कुल ३३११६ तोले सोना, जिसका मूल्य लगभग ४३,३५,६६६ रुपये है बरामद किया गया।

(घ) कलकत्ते में जहाज के मालिक के एजेन्टों से जुर्माना वसूल कर लिया गया है।

कोयले की कमी

†*११८. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण ईंटें बनाने वाली बहुत सी फर्में बन्द होने की स्थिति में आ गयी हैं ;

(ख) ईंट बनाने वाली फर्मों की कोयले की सामान्य मांग कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि ईंटें बनाने वाली इन फर्मों को माल डिब्बों के लिये अधिकांशतः रेलवे पर निर्भर रहना पड़ता है ; और

(घ) ईंटें बनाने वाली इन फर्मों की सप्लाई को कायम रखने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को मालूम है कि साधारणतया सभी राज्यों में ईंटें बनाने वाली भट्ठियों को पर्याप्त कोयला नहीं मिलता और यह संभव है कि कोयले की कमी के कारण कुछ भट्ठियां बंद पड़ गयी हों। फिर, यह याद रखना होगा कि ईंटों

†मूल अंग्रेज़ी में

के लिए जलाने वाले कोयले को अन्य श्रेणियों के उपभोगताओं को दिये जाने वाले कोयले की अपेक्षा सब से निचली प्राथमिकता दी गयी है ।

(ख) सभी राज्यों से ईंटें बनाने के लिये कोयले की, जो रेल द्वारा भेजा जाता है, वार्षिक मांग करीब १,५०,६०० माल डिब्बे हैं ।

(ग) जी हां, उन निर्माताओं को छोड़कर जो कोयला खानों के पास रहते हैं ।

(घ) ईंट पकाने के लिये काम में लाये जाने वाले कोयले का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को सप्लाई बढ़ाने के लिये ।

(१) रेलवे के मंदे मौसम में अधिक सप्लाई लेने के लिये उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना है; और

(२) उपयुक्त स्थानों पर राज्य सरकारों के परामर्श से कोयले के संग्रह बनाने के प्रस्ताव की छान बीन की जा रही है ।

फ्लीट एयर आर्म बेस[1]

†*११९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कोडियान :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री जीनचन्द्रन :
श्री मणियंगाडन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौसेना का फ्लीट एयर आर्म बेस कहां स्थापित किया जाये क्या इस संबंध में भारत सरकार इस बीच किसी निर्णय पर पहुँची है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बरौनी का तेल शोधक कारखाना

†*१२०. **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों ने बरौनी के तेल शोधक कारखाने का स्थान बदलने का सुझाव दिया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Fleet Air Arm Base

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

एवरो-७४८ विमान का उत्पादन

†*१२१. **श्री साधन गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एवरो-७४८ विमान का उत्पादन कार्यक्रम से पिछड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट लड़ाकू विमान (सुपरसोनिक जेट फाइटर) बनाने का एक प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग डीपो, कानपुर में उत्पादन योजनाऐं संतोषजनक रूप में आगे बढ़ रही हैं। जिग्स और फिस्चर्स तैयार करना और लगाना, विमान तैयार करना, कर्मचारियों की भरती और उनका प्रशिक्षण, कच्चा माल और साज सामान प्राप्त करना, इत्यादि कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। फिर भी इस बात को देखते हुए कि ब्रिटेन में पहले प्रोटोटाइप एवरो विमान की उड़ान में कुछ देर हो गयी थी, कानपुर में तैयार किये गये एवरो-७४८ विमान की पहली उड़ान में उतनी ही देर होने की संभावना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रगति संतोषजनक है ।

भारतीय फर्मों के लिये अमरीकी ऋण

†*१२२. **श्री प्र० के० देव :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९६० से आज तक भारतीय फर्मों को भारत में उद्योगों की स्थापना करने के लिये कोई अमरीकी ऋण प्राप्त हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन किन फर्मों को कितना कितना ऋण मिला है ;

(ग) इन ऋणों के लिये गारंटी किसने दी ; और

(ख) इन ऋणों का उपयोग किस काम के लिये किया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२** ।]

अशोधित तेल के मूल्य

†*१२३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार में विशेषतः यूरोप में अशोधित तेल (क्रूड आयल) किस मूल्य पर उपलब्ध है ;

(ख) भारत में विदेशी तेल शोधन कारखाने किस दर पर अशोधित तेल ले रहे हैं तथा उपभोक्ता को किस दर पर दे रहे हैं ; और

(ग) क्या इन कारखानों ने मूल्यों में आगे कटौती करने के बारे में विचार किया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हमारी जानकारी के अनुसार योरप के देशों के पास (पूर्वी दल के कुछ देशों को छोड़कर) इतना अतिरिक्त अशोधित तेल नहीं होता जो निर्यात किया जा सके किन्तु वे सब से अधिक अशोधित तेल के खरीदार होते हैं जो वे मेक्सिकन गल्फ, वेनेजुएला और मध्य पूर्व सहित अनेक स्थानों से मंगाते हैं । यह खरीद वास्तव में किन मूल्यों पर और किन शर्तों पर की जाती है यह हमें मालूम नहीं है ।

(ख) भारत में तीन समुद्रतटीय शोधक कारखाने [बर्माशेल रिफाइनरीज़ लिमिटेड, स्टैन्डर्ड वैक्युअम रिफाइनिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, और कैल्टेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड,] अधिकतर फारस की खाड़ी (पर्शियन गल्फ) से अशोधित तेल खरीदते हैं और अशोधित तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उनकी आवश्यकताओं का हिसाब सप्लाई के स्रोत की जगह पर नियत जहाज-भाड़ा-सहित दरों के आधार पर लगाया जाता है ।

यों तो अशोधित तेल सर्वसाधारण उपभोक्ताओं को नहीं बेचा जाता और इसलिए उपभोक्ताओं से लिया जाने वाला मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ऐसे आयात किये गये अशोधित तेल से तैयार की गयी शोधित पेट्रोलियम-वस्तुओं के मूल्य तेल कम्पनियों और शोधक कारखानों के साथ किये गये करारों के अनुसार "आयात समता" (इम्पोर्ट पैरिटि) पर आधारित होते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

इस्पात कारखानों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

†*१२४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में प्रशिक्षित प्रविधिक भारतीय कर्मचारियों की कमी है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) फोर्ड फाउन्डेशन के जनशक्ति परामर्शदाता श्री लिम्रो बर्ट्स ने इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय को इस कमी के क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) परामर्शदाता ने इस कमी को दूर करने के लिये क्या सिफारिशें की हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हिन्दुस्तान स्टील में प्रशिक्षित प्रविधिक कर्मचारियों की कमी मुख्यतः वरिष्ठ और मध्यम श्रेणी के निरीक्षक कर्मचारियों की श्रेणी में है । उसने इस्पात के तीनों कारखानों के लिए प्रशिक्षित कनिष्ठ इंजीनियरों की संपूर्ण कमी प्रायः पूरी कर दी है ।

(ख) इस कमी का कारण, जैसाकि श्री लिम्रो बर्ट्स ने बताया है, यह है कि अनुभव प्राप्त व्यक्ति देश में उपलब्ध नहीं हैं और जिन स्रोतों से इस्पात के ये नये कारखाने कर्मचारी प्राप्त कर सकते हैं वे बिल्कुल ही समाप्त हो चुके हैं ।

(ग) जिन उपायों की सिफारिश की है वे इस प्रकार हैं : एक व्यापक प्रशिक्षण योजना और नये प्रशिक्षित इंजीनियरों के विकास के लिए संगठन, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ दूसरे देश से कुछ चोटी के कर्मचारी और प्रशिक्षण परामर्शदाताओं का असोसियेशन, प्रशिक्षण संबंधी एक प्रविधिक मंत्रणा समिति स्थापित करना और कम्पनी में प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ इस्पात कारखानों में प्रविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं का एकीकरण ।

प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा

†***१२५. श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान तथा विकास संगठन में प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा के क्या क्या काम हैं तथा उसने क्या क्या काम पूरे कर लिये हैं ;

(ख) १६५८–५६ और १६५६–६० में प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या आणविक युद्ध कला अध्ययन का एक विषय है ; और

(घ) यदि हां, तो अणुशक्ति संस्थान तथा प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा इस समय एक दूसरे को क्या सहयोग दे रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) अधिकांश गजटेड वैज्ञानिक, जोकि अनुसंधान तथा विकास संगठनों के कार्य को चलाते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा के कर्मचारी हैं । उनका कार्य प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान और प्रतिरक्षा सेनाओं द्वारा अपेक्षित अस्त्रशस्त्रों तथा उपकरणों के डिजायनों तथा निर्माण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना है । जहां तक उन द्वारा किये गये सफल कार्यों का सम्बन्ध है, उस बारे में इस सभा में बताना लोक हित में नहीं है ।

(ख) किये गये खर्च का व्यौरा लिखित है :—

१६५८–५६ . . .	लगभग १७५ लाख रुपये
१६५६–६० .	लगभग २३१ लाख रुपये

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस से आयात किया गया तेल

†*१२६. श्री उस्मान अली खां :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री जगन्नाथ राव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वोडयार :
श्री हेमराज :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामी रेड्डी :
श्री आसर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री हेम बरुआ :
श्री साधन गुप्त :
श्री दामानी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० म० गांधी :
श्री आचार :
श्री गोरे :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से आयात किया गया बहुत सा तेल कई सप्ताह से बम्बई में बिना बिका तथा बेकार पड़ा हुआ है ;

(ख) इस के बेचने में देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) इस तेल को बेचने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ; और

(घ) क्या सरकार ने सोवियत सरकार से कुछ समय के लिये तेल की सप्लाई बंद करने की प्रार्थना की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) इण्डियन आयल कम्पनी द्वारा रूसी व्यापारिक संघ से जुलाई, १९६० में कुछ एक कमी वाले तेल के उत्पादों के आयात के लिये जो करार किया गया था उसके अधीन अगस्त, १९६० के अन्त में लगभग ११,००० टन हाई स्पीड डीजल तेल की पहली खेप प्राप्त हुई थी । उसमें से अब तक लगभग ८०० टन तेल बिक गया है । अब ७-११-६० को लगभग ११,००० टन मिट्टी के तेल का दूसरा जहाज़ पहुंचा है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इण्डियन आयल कम्पनी की योजना यह थी कि प्रारम्भ में यह तेल केवल सरकारी प्रयोक्ताओं तथा अन्य सार्वजनिक उपभोक्ताओं को ही थोक रूप में दिया जाये। परन्तु वह जहाज कुछ देर से पहुंचा। इस बीच में गैर-सरकारी तेल कम्पनियों ने थोक खरीदारों को दिये जाने वाले तेल की कीमतों में कमी कर दी और राज्य स्तर पर सार्वजनिक उपभोक्ताओं के गैर-सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा की जाने वाली इस होड़ के दीर्घ कालीन परिणामों को समझने में असमर्थ होने के कारण रूसी तेल खरीदने में संकोच किया। जिसके परिणामस्वरूप इण्डियन आयल कम्पनी के उत्पादों की बिक्री की प्रगति में कुछ सीमा तक कमी हो गयी। प्रारम्भिक अवस्थाओं में बिक्री में कम प्रगति होना कोई असाधारण बात नहीं समझी गयी है, क्योंकि मूल्यों की होड़ की अवस्था में ऐसा होना स्वाभाविक ही है।

(ग) उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिये इण्डियन आयल कम्पनी ने मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किये हैं:--

(१) सरकारी खरीदारों को संभरित करने के लिये संभरण तथा निबटान के महानिदेशक से दर संविदा (रेट कन्ट्रेक्ट) निर्धारित कर ली गयी है।

(२) एक वर्तमान विपणन कम्पनी से थोक बिक्री के सम्बन्ध में एक ठेका कर लिया गया है।

(३) सरकारी उपक्रमों, गैर-सरकारी निकायों और सहकारी संस्थाओं को तेल बेचने के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा रही है और खुदरा रूप में भी तेल बेचने के सम्बन्ध में विचार है।

(घ) जी, हां। पारस्परिक करार के परिणामस्वरूप आयात की मात्रा बढ़ गयी है और उसके परिणामस्वरूप जहाजों पर माल के आने और प्राप्त करने की व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा जिसके कारण कुछ समय के लिये आयात की गति कुछ कम करनी पड़ी है।

टैगोर जन्म शताब्दी समारोह

†*१२७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रवीन्द्रनाथ टैगोर जन्म शताब्दी समारोह के दौरान रवीन्द्रनाथ की कृतियों का कोई सस्ता संस्करण प्रकाशित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो ये संस्करण किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किये जायेंगे तथा उनके मूल्य क्या होंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां। बंगला तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जायेगा। कीमतों के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाट्यशाला संगठनों को सहायता

†*१२८. { **श्री कोडियान :**
{ **श्री प्र० के० देव :**

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश नाट्यशाला संगठनों को नये नाटकों के लिये वित्तीय सहायता देने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिये अब तक कितने नाट्यशाला संगठनों ने प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी हां । योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(१) प्रति नाटक के लिये ७,५०० रुपयों का अनुदान दिया जायेगा ।

(२) किसी भी मण्डली को १९६०–६१ में दो से अधिक नाटकों के लिये अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

(३) लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं की रचनाओं को ध्यान में रखते हुए यथा-सम्भव प्रादेशिक आधार पर ही ये अनुदान दिये जायेंगे ।

(४) क्योंकि १९६१ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी मनायी जा रही है, इसलिये जिन दो नाटकों के लिये सहायता मांगी जाये, उनमें से कम से कम एक नाटक टैगोर का अपना नाटक होना चाहिये । नृत्य-नाटक, सहनृत्य और संगीत नृत्य इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं ।

(ग) अभी तक ३९ नाटक मण्डलियों ने आवेदन किया है ।

बोर्ड आफ कन्ट्रोल फ़ार क्रिकेट

†*१२९. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में क्या बोर्ड के विचार प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं तो इस विलम्ब का क्या कारण है; और

(ग). क्या अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् तथा भारत सरकार ने ऐसा कोई निश्चय कर लिया है कि इतने समय के अन्दर यह मामला तय हो जाना चाहिये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) उस रिपोर्ट पर पहले बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने विचार किया था । उसने इसे ३०–१०–६० को बोर्ड की सार्वजनिक वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय किया था । सार्वजनिक वार्षिक बैठक ने बोर्ड को जवाब भेजने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी है ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा

†*१३०. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा के लिये नियत अंकों को घटाने के प्रश्न के बारे में निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण

†*१३१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में स्थित सहकारी केन्द्रीय बैंकों पर भारत के रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण तथा अधीक्षण है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) क्या उन बैंकों में जमा राशियों व उधार दी गयी और बट्टे खाते में डाली गयी रकमों पर उचित निगरानी रखी जाती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). सहकारी बैंकों पर नियन्त्रण तथा अधीक्षण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की कोई संविहित जिम्मेवारी नहीं ह । परन्तु १९५२ से रिजर्व बैंक उन बैंकों से स्वेच्छा से किये गये एक करार के अधीन उनका निरीक्षण कर रहा है । अभी तक सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण दो बार किया जा चुका है ।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इन बैंकों का कुछ निश्चित समय के बाद लेखा परीक्षण किया जाता है और रिजर्व बैंक द्वारा भी इनका निरीक्षण किया जाता है ।

नव बौद्ध

†*१३२. { **श्री बा० चं० कामले :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य और संघ सरकार के बीच उन लोगों के अधिकारों के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में बौद्ध धर्म अपना लिया है, विवाद होने के सम्बन्ध में २३ सितम्बर, १९६० के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में सही स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) नव बौद्धों को सुविधायें देने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने हम से यह पूछा था कि क्या अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित राशि में से इन नव बौद्धों को भी सुविधायें दी जा सकती हैं। हमने उन्हें सूचित कर दिया है कि अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित राशि में से नियमानुसार उन्हें कोई राशि नहीं दी जा सकती। वह खर्च अन्य खातों से पूरा किया जा सकता है।

धातु कर्मिक कोयला

†*१३३. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपनी खानों में से धातु कर्मिक कोयला निकालने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रविधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम पहले ही कुछ एक पुरानी कोयला खानों तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कथारा में खुली नयी कोयला खान से धातु कर्मिक कोयला निकाल रहा है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रकार के कोयले के लिये कुछ नयी खानें भी स्थापित करने का विचार रखता है।

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पास नये ढंग से कोयला खोदने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त है। गहन कोयला खानों के विकास के लिये विदेशों से परामर्शदाताओं अथवा उच्चकोटि के विशेषज्ञों के रूप में प्रविधिक सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ग) अनुमान है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक सरकारी क्षेत्र से प्रतिवर्ष ९० से १०० लाख टन कच्चा धातु कर्मिक कोयला प्राप्त हो सकेगा।

हैलीकाप्टरों और विमानों की खरीद

†*१३४. { **श्री इ० मधुसूदन राव** :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों से अब तक कुल कितने हेलीकाप्टर और परिवहन विमान खरीदे गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों को कुल कितनी रकम दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) सरकार ने वायु सेना के लिये कुछ एक हेलीकाप्टर और परिवहन विमान खरीदे हैं। सीमांत सड़क विकास के लिये भी एक हेलीकाप्टर खरीदा गया है।

(ख) यह बताना लोक हित में नहीं है।

समवाय निर्माण संगठन

†*१३५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय निर्माण संगठन तथा वित्त पोषण के विषय में काम करने वाले विभिन्न प्राधिकारियों के काम में अधिक एकता लाने के उद्देश्य से सरकार एक समन्वयकारी व्यवस्था स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की स्थूल रूप रेखा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) फिलहाल किसी भी नई समन्वयकारी व्यवस्था के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आयुध कारखानों में इस्पात निर्माण

†*१३६. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों की इस्पात का उत्पादन करने की क्षमता के सन्तुलन और आधुनिकीकरण की प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघरामैया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उन सुझाओं पर पर्याप्त विचार किया जा चुका है और आशा है कि उनके बारे में कुछ एक महीनों में ही निर्णय कर दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल के लिए पब्लिक ला ४८० के अधीन निधियां

†*१३७. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री साधन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री विमल घोष :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान हाल की कुछ ऐसी प्रेस विज्ञप्तियों की ओर दिलाया गया है जो भारत सरकार को दिये गये इस सुझाव के बारे में हैं कि रिजर्व बैंक में अमरीकी राजदूतावास के

†मूल अंग्रेजी में

नाम पब्लिक ला ४८० निधि के "प्रतिवस्तु" अंश के रूप में जमा लगभग २०० करोड़ रुपये की रकम को पश्चिम बंगाल और कलकत्ता की और उसके इर्द गिर्द के औद्योगिक क्षेत्र की अत्यावश्यक समस्याओं को सुलझाने के लिये काम में लाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के पूरे तथ्य क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है ।

अभ्रक निर्यात उपकर

*१३८. **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या अभ्रक निर्यात उपकर में वृद्धि करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका अभ्रक की आंतरिक मंडियों पर क्या प्रभाव होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) ऐसा कोई उपकर नहीं है, और न ही विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दी टेलीप्रिन्टरों और टाइपराइटरों के की-बोर्ड

*१३९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री १७ अगस्त, १९६० तारांकित प्रश्न संख्या ४४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टेलीप्रिन्टरों और टाइपराइटरों के की-बोर्ड को अन्तिम रूप देने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय की महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) हिन्दी टाइपराइटर के की-बोर्ड के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है । हिन्दी टाइपराइटर के की-बोर्ड के संशोधित चार्ट के साथ सितम्बर, १९६० में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में प्राप्य हैं । हिन्दी टेलीप्रिंटर के की-बोर्ड को अब अन्तिम रूप दिया जायेगा क्योंकि यह हिन्दी टाइपराइटर की-बोर्ड पर निर्भर था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) सरकार ने १९५८ के दौरान में हिन्दी टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर की-बोर्ड को अन्तिम रूप दे दिया था परन्तु देवनागरी लिपि में परिवर्तन होने के कारण की-बोर्ड में कुछ संशोधन करने आवश्यक हो गये थे। हिन्दी टाइपराइटर का संशोधित की-बोर्ड सरकार द्वारा संशोधित तथा अन्तिम रूप से स्वीकृत देवनागरी लिपि पर आधारित है।

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जिनका टाइपराइटरों के उत्पादन से सम्बन्ध है अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित की-बोर्ड के आधार पर हिन्दी टाइपराइटरों के उत्पादन का प्रबन्ध करें।

काश्मीर में विमान दुर्घटना

†*१४०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री रामजी वर्मा :
श्री आसर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विमान दुर्घटना में, जो काश्मीर में सितम्बर, १९६० के महीना में हुई थी, भारतीय विमान सेना के पांच अधिकारी मरे थे ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के कारण क्या थे ; और

(ग) क्या कोई जांच की गई है।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) वायु सेना के तीन पदाधिकारी और दो एयर मैन और थल सेना का एक सैनिक मारा गया था।

(ख) और (ग). वायु सेना नियमों के अनुसार एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है। जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक दुर्घटना के कारण नहीं बताये जा सकते।

दिल्ली में गुण्डों का आतंक

*१४१. **श्री नरदेव स्नातक :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गुण्डों का आतंक बहुत बढ़ गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो गत दो मास में गुण्डों ने कितनी हत्यायें कीं, कितने व्यक्तियों का अपहरण किया और कितने व्यक्तियों को धोखा दिया ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने गुण्डों को गिरफ्तार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) नहीं ।

(ख) पिछले दो महीनों में रजिस्टर्ड बदमाशों ने एक कत्ल और एक अपहरण किया । धोखे देने की ऐसी कोई घटना नज़र नहीं आई ।

(ग) तथा (घ). पुलिस ने बदमाशों पर कड़ी निगरानी रक्खी और पिछले दो महीनों में १३० व्यक्ति जिनका रिकार्ड खराब था गिरफ्तार किये गये । इनमें से १५ को सजा हो चुकी है । ८ को जेल तथा जुर्माने की सजा मिली और ७ पर केवल जुर्माना हुआ ।

मथुरा के पास पुराने खंडहर

*१४२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा में कटरा केशव देव के पास चार हजार वर्ष पुराने मन्दिर के खण्डहर मिले हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनसे इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

वैज्ञानिक-अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

मिट्टी के तेल के मूल्य

†*१४३. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल समवायों द्वारा तेल के मूल्यों में कमी करने की बात से मिटटी के तेल की कीमत कम हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह मूल्य किस हद तक कम हो जायेंगे ; और

(ग) कब से ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अक्तूबर, १९५९ में जब से भारतीय तेल समवायों द्वारा संशोधित पैट्रोलियम उत्पादों (जिन में मिट्टी का तेल भी सम्मिलित है) की थोक कीमतों में तदर्थ कमी प्रस्तावित की गयी है और (जैसा कि ९-१२-५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ७०६ के उत्तर में बताया गया था) अतिरिक्त प्रशुल्क लगा कर उसे पूरा कर दिया गया था, तब से मिट्टी के तेल की कीमतों में और अधिक कमी करने के सम्बन्ध में भारतीय तेल समवायों

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वारा और कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है, इस लिये कीमतों के और अधिक कम होने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कांगो को मेडिकल मिशन

†*१४४. { **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सेना कर्मचारियों का एक मेडिकल मिशन कांगो भेजा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन लोगों को वहां पहुंचाने के लिए विमान सेवा के पास विमानों की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त एक प्रार्थना के अनुसरण में कांगों में स्थित समंक्र राष्ट्र संघ की सेनाओं को मेडिकल सहायता देने के लिये '४०० पलंगों वाला एक सैनिक अस्पताल' वहां भेजा गया है ।

(ख) कर्मचारियों तथा सामान को संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था के अधीन भेजा गया है । भारतीय वायु सेना के विमानों से उन्हें भेजने के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

†*१४५. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री साधन गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दामानी :
डा० सामन्तसिंहार :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया आफिस लाइब्रेरी के बारे में ब्रिटिश सरकार ने जो पत्र यहां भेजा है क्या उसमें अब लिखित बातों को प्रकट किया जा सकता है ;

(ख) इंडिया आफिस लाइब्रेरी के बारे में भारत तथा इंग्लैंड की सरकारों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :(क) जी, नहीं।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक बात चीत चल रही है ।

हिन्दमहासागर के लिये समुद्र वर्जना अभियान[1]

†*१४६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हिन्दमहासागर सम्बन्धी समुद्र वर्जना अभियान में भाग ले रहा है और क्या वह अपना प्रथम विज्ञान पोत समुद्र में उतार पाया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय जहाज में किन किन महत्वपूर्ण खोजों के लिए वैज्ञानिक साज सामान लगाई गई है ; और

(ग) जहाज में कितने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) से (ग). आणविक शक्ति विभाग, नई दिल्ली के भूतत्वीय परामर्शदाता, डा० डी० एन० वाडिया, की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की गयी है। इस समिति में ६ अन्य सदस्य होंगे । यह समिति इस अभियान में भारत द्वारा भाग लिये जाने के लिये एक समन्वित योजना तैयार करेगी । यह सरकारी विभागों,अनुसन्धान संगठनों और विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के बीच कार्यक्रम के नियतन के सम्बन्ध में परामर्श देगी और अभियान में भारत द्वारा भाग लिये जाने से सम्बन्ध सम्बन्धित विभिन्न वैज्ञानिक अनुशासनों के बारे में अनुसन्धान की व्योरेवार योजनाओं पर विचार करके उन्हें मंजूर करेगी और वित्तीय अनुदानों की सिफारिश करेगी। यह अनुसन्धान कार्यों को आगे बढ़ायेगी और उन्हें समन्वित करेगी और इस अभियान में भारत द्वारा भाग लेने सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में भारत सरकार को परामर्श देगी । आशा है कि जनवरी, १९६१ के अन्त तक नियमित कार्यक्रम के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी ।

भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यकीय सेवा

†*१४७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इ० मधुसूदन राव : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय आर्थिक तथा भारतीय सांख्यकीय सेवा की स्थापना के विषय में और क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: उक्त दोनों सेवाओं के प्रारूप नियमों को अभी सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । स्वीकृति प्राप्त होते ही उन्हें लागू कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Oceanographic Expedition.

केरल को आवंटित कच्चा लोहा और इस्पात

†*१४८. **श्री वारियर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को कच्चे लोहे तथा इस्पात के संभरण में असंतोषजनक ढंग से काम होने का क्या कारण है ; और

(ख) इस असंतोषप्रद स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) केरल तथा अन्य राज्यों को कच्चे लोहे और इस्पात के कम संभरण का मुख्य कारण यह था कि इन वस्तुओं की मात्रा सामान्यतया मांग की तुलना में कम है। जहां तक केरल का सम्बन्ध है, संभरण की कमी का मुख्य कारण यह था कि वह राज्य मुख्य उत्पादन केन्द्रों से बहुत दूरी पर है और परिवहन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

(ख) उस राज्य के बचे हुये आर्डरों में से ५० प्रतिशत आर्डरों को पूरा करने के लिये अत्यधिक प्राथमिकता दे दी गयी है। शीघ्रता से माल पहुंचाने के विनिश्चय के लिये विभिन्न मिलों को दिये गये आर्डर का पुनर्नियोजन किया गया है ।

लौह-अयस्क

†*१४९. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान तथा ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह-अयस्क के चूरे की उपयोगिता सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिये एक समिति बनायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब नियुक्त की गई थी ;

(ग) क्या इसने अध्ययन समाप्त कर दिया है ;

(घ) क्या इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस ने क्या सिफारिशें की हैं, यदि कोई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां, वह समिति २ जुलाई, १९६० की गजट आफ इंडिया के भाग २ की धारा १ में प्रकाशित संकल्प संख्या १९(४०)/६०-एम० आई० वी० दिनांक २५ जून, १९६० के अधीन स्थापित की गयी थी ।

(ग) और (घ). जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगो में अस्पताल

†*१५०. { **श्री सुबिमन घोष :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का कांगो में एक अस्पताल खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पलंगों, डाक्टरों, कम्पाउंडरों और नर्सों की संख्या क्या होगी ;

(ग) क्या डाक्टर, कम्पाउंडर और नर्स भारतीय होंगी ;

(घ) अस्पताल खोलने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) अस्पताल को प्रारम्भ करने में प्रारम्भिक लागत क्या आयेगी तथा प्रतिवर्ष आवर्त्ती व्यय कितना होगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) से (घ). संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त एक विशेष प्रार्थना के अनुसरण में कांगों स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं को डाक्टरी सहायता देने के लिये '४०० पलंगों का सेनिक अस्पताल' वहां भेजा गया है। उसके साथ ३८४ कर्मचारी भी गये हैं जिनमें १६ पदाधिकारी, २० नर्स अफसर (जिन में एक महिला कल्याण अधिकारी भी सम्मिलित है), १४ जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर, २५६ सैनिक और ७५ गैर-सैनिक थे । उन के अतिरिक्त शीघ्र ही दो और पदाधिकारी और ८ सैनिकों को भी भेजा जायेगा ।

(ङ) प्रारम्भिक खर्च	. . .	८,०७,१०० रुपये
आवर्तक खर्च	. . . .	१४,४६,४०० रुपये (प्रति वर्ष)

दिल्ली में बिक्री-कर अपवंचन

†*१५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृकृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में व्यापारियों द्वारा कर-अपवंचन की राशि का पता लगाने के लिये बिक्री कर विभाग द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ख) कर अपबंचन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है या करने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) बिक्री कर विभाग दिल्ली द्वारा हाल ही में किये गये एक विशेष सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कर अपवंचन के १८३ मामले पकड़े गये हैं जिन में १० लाख रुपये निहित हैं ।

(ख) खातों की पड़ताल तथा फ़र्जी व्यापारियों की जांच करने सम्बन्धी सामान्य कार्य-वाहियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्यवाहियां भी की गयी हैं —वे हैं —प्रत्येक दुकान का सर्वेक्षण, कर अपबंचन का जिन पर संदेह हो उन व्यापारियों के व्यापार स्थानों पर

---

†मूल अंग्रेजी में

अकस्मात छापे और दिल्ली के रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों के द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करना ।

विद्यार्थियों को दोपहर का मुफ्त भोजन

†*१५२. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे स्कूलों और विद्यार्थियों की कितनी संख्या है जिन्हें दोपहर का भोजन मुफ्त प्राप्त होने की संभावना की सुविधायें हैं ;

(ख) क्या संघ के सभी राज्य इन योजनाओं में सहयोग कर रहे हैं ;

(ग) क्या इस प्रोयोजन के लिये भारतीय बहुप्रयोजनीय खाद्य का प्रयोग किया जा रहा है और उसका उचित मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है; और

(घ) स्कूलों के सभी विद्यार्थियों ो दोपहर का खाना मुफ्त मिलने में कितना समय लगेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). : राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन मुफ्त देने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा जमींदारी बांडों की खरीद

†*१५३. { **श्री अगाड़ी** :
श्री सुगन्धि :

क्या शिक्षा मंत्री ११ अगस्त, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा ११,७५,००० रुपये के मूल्य के उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर बांडों की खरीद के संबंध में हुई जांच समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस खरीद के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है, तो यह जांच कब तक समाप्त हो जायेगी और प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जांच की रिपोटं न्यायाधिपति के० टी० देसाई ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् को पेश की थी। परिषद ने उस पर विचार किया है और १२ नवम्बर, १६६० को उसे स्वीकार कर लिया है । आशा है कि रिपोर्ट की प्रतियां शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली क्षेत्र में छोटे बैंक

*१५४. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और आस पास के क्षेत्रों में छोटे बैंकों की हालत अस्थिर हो रही है और वे बड़े बैंकों में विलय होना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में रिजर्व बैंक को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इस संबंध में रिजर्व बैंक ने क्या नीति बनाई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):(क) जी नहीं। सरकार को अब तक जो सूचना मिली है उस से यह जाहिर नहीं होता कि दिल्ली के छोटे बैंकों की हालत डांवांडोल हो रही है ।

(ख) अक्टूबर १९६० में प्रभात बैंक लिमिटेड से बैंकिंग कम्पनी अधिनियम (बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट) की धारा ४५ के अनुसार कर्ज़ चुकाने की मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त मिली थी । इस दरख्वास्त के आधार पर और रिजर्व बैंक की सिफारिश पर कर्ज चुकाने की मुद्दत बढ़ाने का एक आदेश जारी किया गया जिसके मुताबिक दो महीने के लिए बैंक के ख़िलाफ सभी तरह की कार्रवाई रोक दी गयी ।

(ग) चूंकि हर बैंक की हालत और समस्याओं पर अलग अलग विचार करना पड़ता है इसलिए सभी छोटे बैंकों के सम्बन्ध में कोई सख्त और कानूनी नीति निर्धारित करने का सवाल पैदा नहीं होता । फिर भी रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार उस हालत में छोटे बैंकों को मजबूत और अच्छी तरह से जमे हुए बैंकों में मिलाने के पक्ष में है जब उचित शर्तों के अनुसार और रुपया जमा कराने वालों को किसी तरह की हानि पहुंचाये बिना तथा सम्बद्ध बैंकों के काम में बाधा पहुंचाये बिना ऐसा किया जा सकता हो ।

भेदात्मक बोनस योजना[1]

†*१५५. श्री गोरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जीवन बीमा निगम ने जून १९५९ से भेदात्मक बोनस देने की एक अस्थायी योजना स्वीकार की है ;

(ख) क्या भेदात्मक बोनस संबंधी अंतिम योजना के विनियम, जो जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकार किये जाने हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये जायेंगे और जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् प्रकाशित किये जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार को बीमाधारियों या पुराने समवायों के व्यवस्थापकों के प्रतिनिधियों की ओर से भेदात्मक बोनसों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) सरकार इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) जी हां ।

(घ) भेदात्मक बोनस योजना को स्वीकृति देते समय सरकार उन अभ्यावेदनों पर विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Differential Bonus Scheme.

पलाई सेन्ट्रल बैंक का पुनः चालू किया जाना

†*१५६. { श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सं० अ० महदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पलाई बैंक को पुनः चालू करने का विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*१५७. श्री तंगामणि : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये मिलने वाली छात्रवृत्तियों की राशि वितरित की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों को दी गई राशियों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) क्या सारे राज्यों में छात्रवृत्ति की दर एक सी है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]

पुरातत्व विभाग का पश्चिमोत्तर सर्कल

†*१५८. श्री बै० च० मलिक : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व विभाग के पश्चिमोत्तर सर्कल के मुख्यालय को दिल्ली से देहरादून भेजे जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या देहरादून में उस के लिये इमारत किराये पर लेने पर होने वाले वार्षिक व्यय के संबंध में अनुमान लगा लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना व्यय होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) दफ्तर के लिये एक इमारत खरीदने के सम्बन्ध में बात चीत की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति

†*१५९. **श्री हेम बरुआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में एक प्रभावी सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति प्रारंभ करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ;

(ग) क्या सरकार हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उपयुक्त पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई अभिकरण बनाया या बनाये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) और (ख). तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत एक सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । परन्तु उसकी कार्यान्विति उपलब्ध राशि पर निर्भर करती है ।

(ग) और (घ). जी, हां । आशा है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस कार्य को चलाने वाली एजेन्सियों में से एक होगा ।

विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी

†*१६०. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सुझाव पर अंतिम निर्णय कर लिया गया है कि विदेशों को जाने के लिये इच्छुक विद्यार्थियों के लाभ के लिये अनुस्थापन पाठ्यक्रम (ओरियेंटेशन कोर्सेज) की व्यवस्था की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

इनामी बांडों के नतीजे

†*१६१. { **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इनामी बांडों के नतीजों को ग्रामवासियों के लिये भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की है क्योंकि वे अंग्रेजी के समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, हां।

(ख) जीतने वाले नम्बरों की सूची की प्रतियां सभी, राजकोषों, उप-कोषों, तथा डाकखानों (जिनमें ग्राम-डाक खाने भी सम्मिलित हैं) को संभरीत की जाती हैं। ये प्रतियां ५ नये पैसे के मूल्य पर बिक्री के लिये सभी बिक्री दफ्तरों को भी संभरित की जायेंगी।

एयर फोर्स सिग्नल सेन्टर, गुड़गांव

*१६२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर फोर्स सिग्नल्स सेंटर, गुड़गांव में हुई अग्निकांड की दुर्घटना के बारे में जांच समिति द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) सरकार द्वारा उनमें से प्रत्येक सिफारिश पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) २९-३० अक्तूबर १९५८ की रात को, एयर फोर्स सिग्नल डिटैचमेंट गुड़गांव में होने वाले, अग्निकांड के कारण की जांच करने को, सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

१. इमारतें तथा वैद्यूति अधिष्ठापन

(१) बत्तियों के लिए, बिजली की तारों वाला रोधस्तम्भ किसी के प्रभार में नहीं सौंपा गया था। सभी अधिष्ठान किसी न किसी के प्रभार में सौंपे जाने चाहिएं और उनके प्रति उत्तरदायित्व नियत किया जाना चाहिए।

(२) अनधिकृत कनैक्शन बिल्कुल वर्जित कर दिए जाने चाहिएं। ऐसे कनैक्शनों का ज्यों ही पता चले, उनकी रोक थाम के लिए, पग उठाए जाने चाहिए, और सम्बद्ध व्यक्तियों को दंड दिया जाना चाहिए।

(३) नलियों से गुजारे बिना, अथवा उन्हें अग्निरूध बनाए बिना बिजली की तारों को छतों और मिथ्या छतों के दर्मियान नहीं फैलाना चाहिए।

(४) ऐसे स्थानों को दिन में प्रकाशित करने के लिए, शीशें की टाइलों या ऐसी दूसरी चीजों का प्रयोग करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) ऐसे महत्वपूर्ण तक्नीकी अधिष्ठानों को पक्की इमारतों में रखना चाहिए, जहां आग लगने का अंदेशा कम हो।

२. अग्निकांडों का सामना करने के लिये साज सामान और प्रशिक्षण

(१) यह देखने के लिए कि सभी सामान ठीक काम रहा है और कर्मचारी अपने अपने कर्तव्यों से ठीक तरह से परिचित हैं समय समय पर नियमित और यथार्थ अभ्यास होने चाहिएं।

(२) स्थानीय फायर सैक्शन का इंचार्ज ओहदेदार अधिकारी जिस कदर कर्मचारियों की सिफारिश करें तुरन्त दिये जाने चाहिएं।

(३) अगर कहीं आग लग जाए, तो उसको बुझाने का महत्व, यूनिट स्टाफ पर भली भान्ति व्यक्त करना चाहिए।

(४) ज्यों ही कहीं आग लग उठे, यूनिट के फायर आफिसरको, या उसके अनुपस्थिति में दूसर उपस्थित आफिसरों को, आग बुझाने के निर्देशन देने के लिए, सारा उत्तरदायित्व संभाल लेना चाहिए।

(५) यूनिट के आग से सम्बद्ध आदेशों में अधिष्ठानों में आग लगने के सभी संभाव्य उदाहरण अच्छी तरह स्पष्ट तौर पर दिए होने चाहिएं, और उनका सामना करने के यथासंभव ढंग भी। उदाहरण के तौर पर, इस इमारत में चूंकि चार अलग अलग पक्ष थे, सब से पहला काम सम्बद्ध पक्ष को बाकियों से अलग थलग कर देना, होना चाहिए था।

(ख) सरकार निम्न नतीजों पर पहुंची है :—

(१) इमारत, बिजली की तारों और फिटिंग में कई त्रुटियां थीं।

(२) इमारत और उसकी फिटिंग से सम्बन्धित सेवाओं द्वारा, उसकी दैनंदिन देख रेख में कई त्रुटियां और खामियां थीं।

(३) घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और

(४) निधि की प्राप्यता के अन्दर अन्दर प्रत्युपाय करने चाहिएं।

(ग) सभी संबंधित अधिकारियों को १७-९-६० को आदेश जारी कर दिए गए थे कि वह तुरन्त आवश्यक प्रत्युपाय करें, कि भविष्य में ऐसी घटनाएं होने की संभावना न रहे, और इमारत और उसकी फिटिंग की दैनंदिन देख रेख में त्रुटियां और खामियों के लिए, उत्तरदायी आफिसरों के विरूद्ध कार्यवाही भी करें।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†*१६३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और उनके क्या नाम हैं; और

(ख) कितने व्यक्तियों से मुकदमें वापस ले लिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन प्रवर्तन निदेशक द्वारा कोई भी मामला नहीं चलाया गया था ।

(ख) साक्ष्यों के अभाव में प्रारम्भिक जांच के बाद ही ५२१ मामले बन्द कर दिये गये थे ।

पश्चिमी जर्मनी पूंजी का भारत में लगाया जाना

†*१६४. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री हाल्दर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री २६ अगस्त, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार से भारत में उनकी पूंजी लगाने के सम्बन्ध में वार्त्ता समाप्त हो चुकी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है ।

विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां

†*१६५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में छोटे पैमाने की औद्योगिक बस्तियां चालू करने की योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है ।

विवरण

पटना विश्वविद्यालय के प्रबंधक यह विश्वास न दिला सके कि वे अपने विश्वविद्यालय में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिये आवश्यक सुविधायें दे सकेंगे । इस लिये अब उस बस्ती को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्थापित करने का विचार किया गया है । केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के औद्योगिक बस्ती निर्देशक के परामर्श पर अब यह निर्णय किया गया है कि उत्कल विश्वविद्यालय में औद्योगिक बस्ती की स्थापना की योजना को फिलहाल छोड़ दिया जाये और उसके लिये बड़ोदा विश्वविद्यालय को चुना जाए । उस्मानिया और राजस्थान विश्वविद्यालयों से भी योजनायें प्राप्त हुई हैं जिन पर केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृत्रिम तेल का उत्पादन

†*१६६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम तेल के उत्पादन के लिये धमन भट्टी गैस का उपयोग करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी इस्पात कारखाने में कोई परियोजना बनायी गयी है ; और

(ग) इस गैस से तेल की "रिकवरी" की प्रतिशतता क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) कृत्रिम तेल के उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों की धमन भट्टी गैस को इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कुम्भलगढ़, मेवाड़ के विध्वस्त स्मारक

†*१६७. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुम्भलगढ़ मेवाड़ के पहाड़ी किले में गोलेरा तथा पीतलदेव नामक दो विध्वस्त स्मारक हैं जिन पर बहुत अच्छी नक्कासी हो रही है ;

(ख) क्या उनकी देखभाल पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रुप में की जाती है ; और

(ग) क्या उनके बारे में कोई लेख मिलता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां।

(ख) जी' हां।

(ग) जी, नहीं।

कोयला खानों द्वारा अर्जित लाभ

†*१६८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार कोयला खानों पर लगाई गई लाभ की अधिकतम सीमा को ' टाने के लिये तैयार हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). विभिन्न ग्रेडों के कोयले की कीमतों पर नियन्त्रण है। नियंत्रित कीमतें कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर निश्चित किया जाता है। नियंत्रित मूल्य निर्धारित होने के कारण कोयला खानों से होने वाले लाभ सीमित ही रहते हैं। जैसा कि कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की है, कुछ एक विपरीत कारणों जैसे कि अधिक गहरायी में काम करना, अधिक गैस का होना, अधिक पानी का निकाला जाना आदि कठिनाइयों वाली कुछ कोयला खानों पर आने वाले अधिक खर्च को पूरा करने के लिये विशेष रियायत दी जाती है।

उड़ीसा में केन्द्रीय 'बाद की देखभाल-गृह'[1]

†१३९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने केन्द्रीय 'बाद की देखभाल'-गृह चलाये जा रहे हैं ;

(ख) वे किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ग) इन "गृहों" में कुल कितने व्यक्ति हैं ;

(घ) क्या कोई नया 'बाद की देखभाल'-गृह खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या इन 'गृहों' का संचालन संतोषजनक रूप से हो रहा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जावेगी।

कोणार्क में संग्रहालय

†१४०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोणार्क में संग्रहालय बनाने के लिये कितना अनुमानित व्यय होगा ;

(ख) क्या प्राक्कलन की अब तक जांच की जा चुकी है ; और

(ग) निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) ३,१२,६०० रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय लोक कर्म विभाग से शीघ्रताशीघ्र कार्य आरम्भ करने को कहा गया है ।

उड़ीसा में युवक छात्रावास[2]

†१४१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में युवक छात्रावास के निर्माण के लिये उड़ीसा सरकार को अब तक कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां तो कितनी धनराशि दी गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central After-care Homes.

[2]Youth Hostels.

(ग) क्या यह धनराशि खर्च कर ली गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†**१४२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय पर वर्ष १९५९–६० में कितना व्यय किया गया है ;

(ख) इसमें से वेतन, पारिश्रमिक भत्ते आदि के रूप में आयोग के अध्यक्ष को कितना धन दिया गया है और कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को कितना धन दिया गया है ;

(ग) आयोग के कार्यालय में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(घ) इस कार्यालय के विभिन्न शीर्षों के अधीन वर्ष १९५९–६० में वार्षिक कितना धन व्यय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) ६,८०,९०६.०९ रुपये ।

(ख)

अध्यक्ष को दिया गया	अन्य कर्मचारियों को दिया गया
४३,३४१.५६ रुपये	३,७२,१६४.९४ रुपये

(ग) १४० ।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रशासनिक व्यय

	रुपये
पदाधिकारियों का वेतन	१,५०,२०२.७५
संस्थान का वेतन	१,४२,९७६.६८
भत्ते (यात्रा व अन्य)	१,२२,३२७.०७
अन्य शुल्क और आकस्मिकता	१,३३,२१४.१६
सदस्यों को यात्रा-भत्ता	६८,४९७.११
स्टाफ कारों को ठीक रखना	५,१७६.२६
भविष्य निधि खातों में अंशदान और अंशदायी स्वास्थ्य सेवा आदि	२४,७३३.४३
मनोरंजन शुल्क	४२८.६३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये इमारत पर पूंजी व्यय	३३,३५०.००
कुल	६,८०,९०६.०९

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

†१४३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६० से अक्तूबर, १९६० तक की अवधि में, वर्ष १९५९ में इसी अवधि में भेजे गये कोयले की तुलना में, पाकिस्तान को कुल कितने टन कोयला भेजा गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** पाकिस्तान को भेजे गये कोयले की मात्रा निम्न प्रकार है :

अवधि	मात्रा टनों में
मार्च, १९५९ से अक्तूबर, १९५९	५००,२३०
मार्च, १९६० से अक्तूबर, १९६०	८१६,०४८*

*इसमें सम्मिलित सितम्बर और अक्तूबर, १९६० के आंकड़े अस्थायी हैं ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

†१४४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अलीगढ़ विश्वविद्यालय से कौन सी योजनाओं के लिये अनुदान की प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) उसी अवधि में आयोग ने उनको कितनी धनराशि मंजूर की ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । ***[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४].***

हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन कृषि श्रमिक

†१४५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य-क्षेत्र हिमालय प्रदेश में कितने भूमिहीन श्रमिक हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** भूमिहीन कृषि-श्रमिकों की संख्या के बारे में आंकड़े दशवार्षिकी जनगणना के समय एकत्र किये जाते हैं । १९५१ में की गयी पिछली जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इन श्रमिकों की संख्या ५,४२८ है (इसमें भूतपूर्व बिलासपुर राज्य भी शामिल है) हिमाचल प्रदेश में इन श्रमिकों की वर्तमान संख्या उपलब्ध नहीं है परन्तु ये आंकड़े वर्ष १९६१ में आगामी जनगणना के सम्बन्ध में एकत्र किये जायेंगे ।

जम्मू तथा काश्मीर को सहायता

†१४६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य को वर्ष १९५९–६० में ऋण और अनुदान के विरुद्ध बिना ब्याज के "मार्गोपाय" अग्रिम राशि के रूप में कोई केन्द्रीय सहायता दी गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गयी है ; और

(ग) यह सहायता किसलिये दी गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग) ; जम्मू तथा काश्मीर सरकार को उनकी योजनाओं के लिये वर्ष १९५९–६० में मई, १९५९ से आरम्भ होने वाली ९ बराबर की मासिक किश्तों में मार्गोपाय अग्रिम के रूप में ४५० लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है जो केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई भाग है । इसमें से उन पर लागू केन्द्रीय सहायता के तरीके के अनुसार विशिष्ट योजनाओं के लिये ३१४·३९ लाख रुपये ऋण में और ११०·८९ लाख रुपये अनुदान में बदल दिये गये । बाकी २४·७२ लाख रुपये की राशि जो मार्गोपाय अग्रिम से बाकी रह गयी थी, वर्ष १९६०–६१ में मंजूर किये गये मार्गोपाय अग्रिम की पहली मासिक किश्त में कम भुगतान करके वसूल कर ली गया है ।

यद्यपि मार्गोपाय अग्रिम पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, जो अग्रिम ऋण में परिवर्तित की गयी उस पर १ अक्तूबर, १९५९ से ब्याज लिया जाता है ।

'हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड' में उत्पादन

†१४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५७–५८ की तुलनात्मक वर्ष १९५८ ५९ में 'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड' में उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १९५८–५९ में उत्पादन का मूल्य ६९७·५३ लाख रुपये था जब कि यह वर्ष १९५७–५८ में ६०८·२४ लाख रुपये था ।

अन्तर्राज्यीय समवबोध में वृद्धि[1]

†१४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० में माध्यमिक स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों में अन्तर्राज्यीय समवबोध बढ़ाने के लिये कितने प्रादेशिक शिविरों का आयोजन किया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : प्रादेशिक शिविर कोई नहीं है परन्तु जनवरी, १९६० में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में चुने हुए माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की एक अखिल भारतीय अन्तर्राज्यीय रैली का आयोजन किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Promotion of Inter-state understanding.

पंजाब में भूतपूर्व सैनिक

†१४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में पंजाब में कितने भूतपूर्व सैनिकों को अपनी जीविका कमाने के लिये खेती करने के लिये भूमि आवंटित की गयी है; और

(ख) उनको और क्या वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

१९५७–५८ . .	१
१९५८–५९ . . .	शून्य
१९५९–६० . . .	१८

(ख) उनको ट्रैक्टर, बैल, औजार, कुएं / नलकूप, मकान और सामान्य इमारतें जैसे पंचायत घर, बीज भण्डार, अस्पताल और स्कूलों के रूप में सहायता दी गयी है ।

कर्जन रोड, नई दिल्ली में श्रमजीवी महिला होस्टल

†१५०. **श्री कुन्हन** : क्या शिक्षा मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्जन रोड, नई दिल्ली में श्रमजीवी महिला होस्टल के निवासियों की ओर से कोई शिष्ट मंडल उनसे मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या फैसला किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों की बस्तियां

†१५१. **श्री कुन्हन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों की बस्तियों के विकास के लिये कोई अनुदान मंजूर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ; और

(ग) अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां

†१५२. **श्री कुन्हन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक केन्द्रीय पुरस्कृत योजना के अधीन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां आरम्भ की गयी हैं ;

(ख) उसी अवधि में केन्द्रीय सरकार ने कितना अनुदान मंजूर किया है ; और

(ग) वर्ष १९६०–६१ में वे किन स्थानों में आरम्भ की जायेंगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी अनुबन्ध संख्या १ में दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५].**

(ख) धनराशि निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

श्रेणी	मंजूर अनुदान		
	१९५९–६०	१९६०-६१	कुल
१. अनुसूसूित आदिम जातियां	४.२२	६.३५	१०.५७
२. अनुसूचित जातियां	—	—	—
कुल	४.२२	६.३५	१०.५७

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी अनुबन्ध संख्या २ में बतायी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]।**

लौह-अयस्क

†१५३. **श्री मुरारका:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५०-५१ में लौह अयस्क की कितनी मात्रा खानों से निकाली गयी ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का उत्पादन लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में यह लक्ष्य कहां तक पूरा हुआ, कितनी धनराशि आवंटित की गयी और प्रथम योजना-काल में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन-लक्ष्य क्या है, अब तक यह लक्ष्य कितना पूरा हो चुका है, कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और अब तक वास्तव में कितना धन व्यय किया जा चुका है ; और

(घ) इन लक्ष्यों को पूरा करने में कमी के लिये यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) १९५० और १९५१ में लौह-अयस्क का उत्पादन क्रमशः ३,०१२,७८६ और ३,७१५,८२१ मीट्रिक टन रहा ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और न ही कोई वित्तीय आवंटन किया गया था । वर्ष १९५२ से १९५६ तक लौह-अयस्क का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

	मीट्रिक टन
१९५२	३,९८८,५१४
१९५३	३,९१६,७३३
१९५४	४,३७७,४१९
१९५५	४,७५२,६१२
१९५६	४,९७६,४०१

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९६०–६१ में १२५ लाख टन का लक्ष्य था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह-अयस्क के उत्पादन के लिये कोई विशिष्ट वित्तीय आवंटन नहीं किया गया था । वर्ष १९५८ में वर्ष १९६४ से जापान को निर्यात के लिये उड़ीसा-बिहार में किरीबुरू खानों से लौह-अयस्क के उत्पादन के लिये अस्थायी तौर पर २ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था ।

वर्ष १९५७ से १९५९ और १९६० में (सितम्बर, १९६० तक) लौह-अयस्क का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

	मीट्रिक टन
१९५७	५,१६६,७७८
१९५८	६,१२९,७०६
१९५९	७,९८१,८१९
१९६०	७,९६६,६८८

अभी तक किरीबुरू परियोजना पर ७५.५३ लाख रुपये खर्च किये गये हैं जिसके वर्ष १९६०–६१ के अन्त तक बढ़ कर १९०.८३ लाख रुपये हो जाने की संभावना है ।

(घ) व्यावहारिक रूप से लौह-अयस्क के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है । उत्पादन आंतरिक और बाह्य मांगों के अनुसार प्रतिवर्ष बढ़ाया जा रहा है ।

कोयला

†**१५४. श्री मुरारका**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५०–५१ में खानों से कितना कोयला निकाला गया ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का उत्पादन-लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में यह लक्ष्य कहां तक पूरा हुआ, कितनी धनराशि आवंटित की गयी और प्रथम योजना-काल में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गयी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन-लक्ष्य क्या है, अब तक यह लक्ष्य कितना पूरा हो चुका है, कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और अब तक वास्तव में कितना धन व्यय किया जा चुका है ; और

(घ) इन लक्ष्यों को पूरा करने में कमी के लिये यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क)

	लाख टन
वर्ष १९५० में उत्पादन . . .	३२३
वर्ष १९५१ में उत्पादन	३४४.३

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये कोयले के उत्पादन का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष १९५५ में उत्पादन ३८० लाख टन से कुछ अधिक था।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य ६०० लाख टन है। वर्ष १९५९ में ४७०.६ लाख टन का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष १९६० के पहले नौ महीनों में उत्पादन ३८० लाख टन रहा। यह आशा की जाती है कि चालू योजना-काल के आखिरी महीने, मार्च, १९६१ में उत्पादन का स्तर ५४० और ५५० लाख टन पहुंच जायेगा।

सरकारी क्षेत्र में कोयले के उत्पादन-कार्यक्रम के लिये ५३.३४ करोड़ रुपये का आवंटन है। उपरोक्त आवंटन में से सितम्बर, १९६० के अन्त तक वास्तव में ३६.१६ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। बाकी १७.१८ करोड़ रुपये में अधिकांश के वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च किये जाने की आशा है।

(घ) उत्पादन में ५० से ६० लाख टन की कमी मुख्यतः राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों से उत्पादन में होगी। तथापि, निगम द्वारा मार्च, १९६१ तक सब व्यवस्था पूरी कर ली जावेगी ताकि वे अपने १३५ लाख टन के लक्ष्य के अनुसार उत्पादन कर सकें। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन तृतीय योजना के प्रथम वर्ष से आरम्भ हो जायेगा।

स्कूल-शिक्षा सम्बन्धी सुविधा प्राप्त बच्चे

†**१५५. श्री मुरारका:** क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५०–५१ में निम्नलिखित आयु-वर्ग के कितने बच्चों को स्कूल शिक्षा की सुविधा मिल रही थी :

(१) ६–११;

(२) ११–१४;

(३) १४–१७.

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में वह कितना पूरा किया गया, कितनी धनराशि आवंटित की गयी और प्रथम योजना-काल में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल का लक्ष्य क्या है, अब तक कितना पूरा किया जा चुका है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और अब तक वास्तव में कितना धन व्यय किया जा चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति करने में कमी के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]** ।

स्कूल

†**१५६. श्री मुरारका** : क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५०–५१ में देश में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन कितने स्कूल थे :

(१) प्रायमरी/जूनियर बेसिक

(२) मिडिल/सीनियर बेसिक

(३) हाई/हायर सेकेंडरी;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में वह कितना पूरा किया गया, कितनी धनराशि आवंटित की गयी और प्रथम योजना-काल में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल का लक्ष्य क्या है, अब तक कितना लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और अब तक वास्तव में कितना धन व्यय किया जा चुका है ; और

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति करने में कमी के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष १९५०–५१ में संस्थाओं की संख्या निम्न प्रकार थी :

(१) प्रायमरी/जूनियर बेसिक स्कूल	२,०९,६७१
(२) मिडिल/सीनियर बेसिक स्कूल	१३,५९६
(३) हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल	७,२८८

(ख) प्रथम योजना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । प्रथम योजना के अन्त में ऐसी संस्थाओं की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :—

(१) प्रायमरी/जूनियर बेसिक स्कूल	२,७८,१३५
(२) मिडिल/सीनियर बेसिक स्कूल	२१,७३०
(३) हाई/हायर सेकेंडरी	१०,६००

योजना में इन संस्थाओं के लिये कोई पृथक आवंटन नहीं किया गया था । (सब योजनाओं पर) प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में कुल व्यय क्रमशः ८४.८० और २०.२० करोड़ रुपये हुआ ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्राथमिक क्षेत्र में द्वितीय योजना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्ष १९६०–६१ के अन्त तक संस्थाओं की संख्या के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इन संस्थाओं के लिये द्वितीय योजना में कोई आवंटन नहीं किया गया। तथापि (सब योजनाओं पर) प्राथमिक क्षेत्र में कुल व्यय ८७·१६ करोड़ रुपये होने की आशा है। जहां तक हाई/हायर सेकेंडरी अवस्था का प्रश्न है, १२,१२५ हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों का लक्ष्य था। यह अनुमान किया जाता है कि वर्ष १९६०–६१ के अन्त तक ऐसे १४,००० स्कूल हो जायेंगे। ४९·०७ करोड़ रुपय के आवंटन में से माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में ४४·१७ करोड़ रुपये खर्च किये जाने की आशा है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंजीनियरिंग कालेज

†१५७. **श्री मुरारका :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में देश में औद्योगिकीय तथा इंजीनियरिंग के कालेजों की संख्या क्या थी ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने कालेज खोलने का लक्ष्य था, इस अवधि में कितने कालेज खोले गये तथा कालेजों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना में वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितते कालेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है, अभी तक कितने कालेज खोले जा चुके हैं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है तथा अब तक उसमें से कितनी व्यय की गई है ; और

(घ) उन लक्ष्यों की पूर्ति में यदि कोई कमी रही हो, तो उसका क्या कारण है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) ४९।

(ख) १. प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि वर्तमान संस्थाओं के सुधार तथा विकास की अनेक योजनाओं के फलस्वरूप, जो कि योजना काल में कार्यान्वित की गईं तथा नई संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप १९५५ तक डिग्री क्लासों में विद्यार्थियों की संख्या ४१२० से ५८९० हो गई। संस्थाओं की संख्या भी बढ़ कर ६५ हो गई।

२. प्रविधिक शिक्षा के लिये योजना में कुल २३·२ करोड़ रुपये नियत किये गये और वस्तुतः २०·२ करोड़ रुपये व्यय हुये।

(ग) १. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ में ९ संस्थायें (तीन उच्चतर औद्योगिक संस्थाओं को मिला कर) स्थापित करने तथा १५०० अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना काल में इस लक्ष्य में संशोधन करके २९ संस्थाओं (उच्चतर औद्योगिकीय संस्थाओं को मिला कर) तथा ७,६१० अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने का लक्ष्य बना लिया गया।

२. २७ संस्थायें चालू हो गई हैं और ७,४७० अतिरिक्त सीटें प्राप्त कर ली गई हैं।

३. इंजीनियरिंग तथा औद्योगिकीय कालेजों के लिय कोई पृथक वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई। प्रविधिक शिक्षा के लिये आरम्भ में कुल ५६·८५ करोड़ रुपये नियत किये गये थे। योजनाओं

†मूल अंग्रेज़ी में

की प्रगति तथा पुनरीक्षित लक्ष्यों की दृष्टि में ६१ · १७ करोड़ नियत कर दिये गये । इस राशि में से १९५९–६० के अन्त तक ४० · १२ करोड़ व्यय हुये । २१ · ०५ करोड़ रुपये का उपबन्ध इस वर्ष के आयव्ययक में किया गया है ।

(घ) कोई कमी नहीं हुई है किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्यों में काफी वृद्धि हो गयी है ।

पालीटेक्नीक

†१५८. **श्री मुरारका:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीय पालीटेकनीकों की संख्या क्या थी ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने पालीटेकनीक खोलने का लक्ष्य था, इस अवधि में कितने पालीटेकनीक खोले गये तथा उनके लिये कितनी धन राशि नियत और प्रथम पंचवर्षीय योजना में वस्तुतः कितना व्यय किया गया ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने पालीटेकनीक खोलने का लक्ष्य रखा गया है, अभी तक कितने पालीटेकनीक खोले जा चुके हैं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कितनी धनराशि नियत की गयी है तथा अब तक उसमें से कितनी व्यय हुई है ; और

(घ) उन लक्ष्यों की पूर्ति में यदि कोई कमी रही है, तो उसका क्या कारण है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ८६ ।

(ख) १. प्रथम पंच वर्षीय योजना में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । तथापि वर्तमान संस्थाओं के सुधार तथा विकास के फलस्वरूप, जो कि योजना काल में कार्यान्वित की गईं तथा नई संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप १९५५ तक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या ५,९०० से १०,४८० हो गई । संस्था की संख्या भी बढ़ कर ११४ हो गई ।

२. प्रविधिक शिक्षा के लिये योजना में कुल २३ · २ करोड़ रुपये नियत किये गये और वस्तुतः २० · २ करोड़ रुपये व्यय हुये ।

(ग) १. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ में २१ अतिरिक्त पालीटेकनीक तथा २६०० अतिरिक्त सीटों की स्थापना करने का लक्ष्य था । योजना काल के दौरान में १०६ अतिरिक्त पालीटेक्नीकों तथा १६,५६० अतिरिक्त सीटों का लक्ष्य कर दिया गया ।

२. ८३ पालीटेकनीकों में काम होना आरम्भ हो गया है और १४,४१० अतिरिक्त सीटें प्राप्त कर ली गई हैं ।

३. पालीटेक्नीकों के लिये कोई पृथक वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई प्रविधिक शिक्षा के लिये आरम्भ में कुल ५६ · ८५ करोड़ रुपये नियत किये गये थे । योजनाओं की प्रगति तथा पुनरीक्षित लक्ष्यों की दृष्टि में ६१ · १७ करोड़ रुपये नियत कर दिये गये । इस नियत राशि में से १९५९–६० के अन्त तक ४० · १२ करोड़ व्यय हो गये । चालू वर्ष के आयव्ययक में २१ · ०५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(घ) कोई कमी नहीं हुई है किन्तु द्वितीय योजना के मूल लक्ष्यों में काफी वृद्धि हो गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के आदिमजाति विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

†१५९. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने त्रिपुरा के वर्तमान आदिम जाति छात्रावासों को मिले जुले छात्रावासों में बदलने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो जहां तक स्थान मिलने का प्रश्न है, क्या इसका प्रभाव आदिम जाति के विद्यार्थियों पर पड़ेगा ; और

(ग) आदिम जाति विद्यार्थियों के लिये अलग छात्रावास न रखने के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पुस्तकालय आन्दोलन

†१६०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश राज्य में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के हेतु अब तक उसके लिये कोई अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ग) इस अनुदान का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ के लिये ३,६५,४०० रुपये का अनुदान दिया गया था। १९५८–५९ से चार विशिष्ट वर्गों अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्व-विद्यालय शिक्षा तथा 'अन्य शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं' के अन्तर्गत अनुदान दिये जा रहे हैं, प्रत्येक योजना के लिये अलग-अलग नहीं। अतः १९५८–५९ और १९५९–६० के लिये पुस्तकालय आन्दोलन के हेतु दिये गये अनुदान के बारे में अलग से बताना संभव नहीं है।

(ग) इस अनुदान का उपयोग पुस्तकालय खोलने, सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता देने तथा सरस्वती भवन पुस्तकालय, वाराणसी में सुधार लाने में किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल

†१६१. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल स्रोतों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) क्या उसकी मुख्य-मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) जांचों का एक संक्षिप्त विवरण वार्षिक प्रतिवेदनों में दे दिया जाता है, जिनकी प्रतियां छापे जाने पर भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के रिकार्डों के रूप में हमेशा ही संसद् पुस्तकालय को भज दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को कानूनी सहायता

†१६२. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने के लिये नियत धन में से १९५९ में उत्तर प्रदेश सरकार कितना धन काम में लाई ; और

(ख) कानूनी सहायता देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये राज्य की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई धन राशि नियत नहीं की ।

उत्तर प्रदेश में कोई भी आदिम जाति नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अधीन अध्यापक

†१६३. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यापकों को क्वार्टर दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने अध्यापकों को क्वार्टर दिये गये हैं ; और

(ग) कितने अध्यापकों को क्वार्टर मिलने वाले हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ५६ ।

(ग) ५६१ ।

लघु उद्योगों को अमरीकी ऋण

†१६४. **श्री कुन्हन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास के लिये अमरीकी ऋण के बारे में सारी बातें तय हो चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख) विकास ऋण निधि ने बताया है कि वह ऋण देने को तैयार है जिसका विवरण इस प्रकार है :

(१) ऋण की राशि १०० लाख डालर (४.७६ करोड़ रुपये) है ।

(२) ५ प्रतिशत वार्षिक का ब्याज होगा जो शेष राशि पर हर छमाही देना होगा ।

(३) ऋण की प्रथम किश्त मिलने के बाद मूल धनराशि दस वर्ष के अन्दर दे दी जायेगी और मूल धन तथा ब्याज दोनों का भुगतान रुपयों में किया जायेगा,

†मूल अंग्रेजी में

(४) इस ऋण का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड गैर-सरकारी उद्योगों को बाहर से मशीनरी खरीदने के लिये ऋण दे सके।

(५) यदि एक प्रार्थी खरीदने वाला होगा तो ५०,००० डालर से अधिक की राशि अमरीकी के संसाधनों से ही प्राप्त हो सकेगी।

अन्य बातें अभी तय नहीं हुई हैं और अभी समझौते पर हस्ताक्षर नही हुये हैं।

पुस्तकाध्यक्षों की सेवा

१६५. श्री हेम राज: क्या **शिक्षा** मंत्री ८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुस्तकाध्यक्षों की सेवा का जो प्रश्न सरकार के विचाराधीन था उसके बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह योजना कब पूरी होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). प्रश्न अभी विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

†१६६. श्री श० च० गोडसोरा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की १९५८–५९ की रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में विभिन्न राज्यों ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कार्यवाही की गई है, तो सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्यों में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुछ ही राज्य सरकारों से रिपोर्टें मिली हैं। सब राज्य सरकारों से रिपोर्टें मिल जाने पर सिफारिशों के अनुसरण में उनके द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा।

हाई टेन्साइल स्टील

†१६७. श्री न० म० देब: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सड़क के पुल आदि बनाने के लिये भारत में हाई टेन्साइल स्टील (झुक जाने वाला इस्पात) के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : हाई टेन्साइल स्टील किसी भी इस्पात के कारखाने में बनाया जा सकता है किन्तु सड़क के पुल आदि के लिये हाई टेन्साइल स्टील का तार

†मूल अंग्रेजी में

काम में लाया जाता है। दस कारखानों को, जो सभी गैर-सरकारी क्षेत्र के हैं, हाई टेन्साइल स्टील तथा अन्य प्रकार के तार बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं।

महाराष्ट्र में प्रविधिक शिक्षा

†१६८. **श्री पांगरकर** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक शिक्षा के विकास के लिये महाराष्ट्र राज्य को १९६०–६१ में अब तक सहायतानुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) किन-किन संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)**: (क) और (ख) निम्नलिखित गैर-सरकारी संस्थाओं के विकास के लिये अनुदान के रूप में अब तक २,७४,३८५ रुपये मंजर किये गये हैं :

(१) पूरनमल लाहोरी समारक टेक्निकल कालेज, लटूर।

(२) इन्सटीट्यूट आफ इंजीनियरिंग टेक्नालाजी, धूलिया।

(३) वालचन्द कालेज आफ इंजीनियरिंग, सांगली।

(४) सर कुसरो वाडिया इन्सटीट्यूट आफ इलेक्ट्रिकल टेक्नालोजी, पूना।

(५) विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बम्बई।

जहां तक राज्य सरकार की संस्थाओं का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को स्वतः ही केन्द्रीय सरकार से मार्गोपाय अग्रिम धन मिल जाता है जो मई के महीने से आरम्भ हो कर नौ मासिक किश्तों में दिया जाता है तथा जो संबंधित राज्य की सहायता के लिये स्वीकृत धनराशि के तीन चौथाई भाग के बराबर होता है। सरकारी संस्थाओं के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिये औपचारिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य द्वारा पहली तीन तिमाहियों में किये गये वास्तविक व्यय तथा आखिर की तिमाही में अनुमानित व्यय के आधार पर दी जायेगी।

महाबली पुरम् में स्मारक

†१६९ **श्री पांगरकर** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में महाबलीपुरम् में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की देखभाल तथा मरम्मत पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) १९६०–६१ में कितना धन व्यय करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) ११,१८० रुपये।

(ख) १४,०४५ रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-जापान सांस्कृतिक आदान-प्रदान

†१७०. **श्री पांगरकर:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में अब तक भारत और जापान के बीच कोई सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १. रेव रीरी नाकायामा ६० दिन की यात्रा पर ११ अक्तूबर, १९६० को भारत आये। इसमें से प्रथम २३ दिन वे भारत सरकार के अतिथि रहे। उनकी यात्रा के लिये ७,५८० रुपये मंजूर किये गये हैं। २. जापानी सरकार ने जापान में अध्ययन के लिये भारतीय विद्यार्थियों को दो छात्रवृतियां प्रदान की। ये विद्यार्थी इस समय जापान में कृषि तथा नाभिकीय भौतिकी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिये है और इसमें प्रति मास लगभग २७० रुपये भत्ते के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं में टयूशन फीस और परीक्षा की फीस माफ है, अध्ययन सम्बन्धी यात्राओं तथा पुस्तकों के लिये अधिक से अधिक ५०० रुपये तक का भत्ता मिलता है, सर्दी की ऋतु के लिये १,००० रुपये का भत्ता दिया जाता है तथा बाहर की यात्रा के लिये पर्यटन विमान का आधा किराया दिया जाता है। शेष किराया मालिकों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा ।

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

१७१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन मास में पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर कितने पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी पकड़े गये या घायल हुए ; और

(ख) उनसे कितने मूल्य का सामान बरामद हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना

†१७२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका को कायपालिका से अलग करने की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसा किन किन राज्यों में किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). अतारांकित प्रश्न संख्या ५९१ के उत्तर में ११ अगस्त, १९६० को जो बताया गया था, उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

भाखड़ा जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार

†**१७३. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५५ मील लम्बे भाखड़ा जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकारों के संबंध में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच विवाद का एक ऐसा हल निकालने के लिये, जो दोनों के लिये स्वीकार्य हो, अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) उनका क्या परिणाम हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). पंजाब के मुख्य मंत्री और हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस विषय पर २ सितम्बर, १९६० को बातचीत की । वे निकट भविष्य में आगे बातचीत करेंगे ।

महाजनों की बैठक

†१७४. { **श्री गोरे :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ सितम्बर, १९६० को बम्बई में उच्च शक्ति सम्पन्न महाजनों की बैठक में क्या मुख्य निर्णय किये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार उन निर्णयों को दृष्टि में रखकर कार्रवाई करने की योजना बना रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) महाजनी उद्योग की वर्तमान समस्याओं तथा रुखों के बारे में अनौपचारिक रूप से चर्चा करने के हेतु से बैठक आयोजित की गई थी और कोई औपचारिक निर्णय नहीं किये गये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

१७५. श्री खुशवक्त राय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति ने भारत के विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजा है जिस में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों के नाम और उनकी सेवा की समाप्ति की तिथियां लिखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परिपत्रर की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) उक्त परिपत्र भेजने का क्या उद्देश्य था ?

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, नहीं । तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विषय पर भारत के समस्त विश्वविद्यालयों को दो गोपनीय परिपत्र जारी किये हैं ।

(ख) जी नहीं, क्योंकि परिपत्र गोपनीय है ।

(ग) विश्वविद्यालयों को परिपत्र उनके पथप्रदर्शन और सूचना के लिये जारी किये गये थे जिससे वे प्रश्न के भाग (क) में आए हुए किसी भी अध्यापक को अपने क्षेत्र में नियुक्त करते समय आवश्यक पूछताछ कर सकें ।

कोठा गुडियम में खनन संस्था

†१७६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागुडियम में खनन संस्था के होस्टल की इमारत बनाने के लिये ऋण के लिये आंध्र प्रदेश की सरकार की प्रार्थना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ;

(ख) क्या ऋण दे दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) होस्टल की इमारत के प्लान और प्राक्कलन राज्य सरकार से मांगे गये हैं और अभी तक नहीं आये ।

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, वारंगल

†१७७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, वारंगल की इमारत के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ख) काम की गति बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ; और

(ग) इमारत के निर्माण पर अब तक कितनी राशि खर्च आ चुकी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) कालेज की इमारतों, वर्कशापों, होस्टलों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है जो तीन से चार वर्षों की अवधि के क्रमिक ढंग से किया जा रहा है । पहले क्रम में दो होस्टल ब्लाक, खाने के हाल, और वर्कशाप की एक इकाई बन रही हैं । बिजली तथा मशीनी प्रयोगशालाओं तथा अत्यावश्यक कर्मचारी क्वार्टरों के लिये विस्तृत स्थान और प्राक्कलन अन्तिम रूप में तैयार किये जा रहे हैं और शीघ्र ही उन का निर्माण कार्य आरंभ होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) चल रहे कामों पर २५ लाख रुपये की लागत का अनुमान है । अभी तक जो काम हुआ है उनके लिये ठेकेदारों को २·३ लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है ।

खनन स्कूल

†१७८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में खनन स्नातकों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का इरादा रखती है ;

(ख) क्या भारतीय खान तथा व्यवहारिक भूतत्व शास्त्र संस्था धनबाद के समान, दक्षिण भारत में कोई संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अतिरिक्त खनन इंजीनियरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण देने के लिये निम्न स्थानों पर खनन के डिग्री पाठ्यक्रम स्थापित किये गये हैं :

१. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर
२. बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, सिबपुर
३. इंजीनियरिंग कालेज, गुइंदी, मद्रास
४. इंजीनियरिंग कालेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
५. एम० बी० एम० इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर
६. कालेज आफ इंजीनियरिंग रायपुर

इसके अतिरिक्त, भारतीय खान तथा व्यवहारिक भतत्व शास्त्र स्कल धनबाद तथा खनन एवं धातुकर्ण कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों में भी इन सुविधाओं का विस्तार किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

केरल को लोहा और इस्पात का आवंटन

†१७९. **श्री कुन्हन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में केरल राज्य के छोटे पैमाने के उद्योगों को कितना लोहा और इस्पात आवंटित किया गया है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में राज्य सरकार ने कितना लोहा और इस्पात मांगा ; और

(ग) प्रति वर्ष छोटे पैमाने के उद्योगों को वास्तव में कितना माल दिया गया ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख).

इस्पात

	मांग/आवश्यकता	आवंटन
१९५६–५७ . .	३४६८ टन	३२२८ टन
१९५७–५८ . . .	२९३८ टन	१६५० टन
१९५८–५९ . . .	५९५० टन	२९७७ टन
१९५९–६०	१४,४९० टन	११,५८२ टन
१९६०–६१ (अप्रैल-सितम्बर, १९६०)	१०,००० टन	८४७६ टन

कच्चा लोहा

छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत कच्चे लोहे सम्बन्धी कोई पृथक अभ्यंश नहीं है। समूची स्थिति इस प्रकार है :—

	मांग	आवंटन
१९५६–५७ .	*८५५ टन	५५१ टन*
१९५७–५८ . .	१८३० टन	२९१ टन
१९५८–५९ . . .	१४८५ टन	१४८५ टन

*इसमें भूतपूर्व त्रावनकोर कोचीन राज्य की मांग तथा आवंटन सम्मिलित हैं। केरल राज्य की स्थापना १ नवम्बर १९५६ को हुई थी।

१ जुलाई १९५९ से अभ्यंश प्रणाली हटा दी गयी थी। अब कच्चे लोहे के सभी उपभोक्ता सीधे लोहा और इस्पात नियंत्रक से मंगवा सकते हैं यदि उनकी मांग गाड़ी भर (२० टन या उसके दुगने तिगने आदि के लिये हो) के लिये है या वे पर्मिट के बिना स्टाक रखने वालों से सीधे खरीद सकते हैं।

(ग) पिछले पांच वर्षों में केरल राज्य को कुल इस्पात इस प्रकार दिया गया है :

१९५६–५७	१०३४९ टन
१९५७–५८ . . .	९३३५ टन
१९५८–५९ . .	८२९७ टन
१९५९–६० . .	१३८१८ टन
१९६०–६१ (अप्रैल-जुलाई १९६०) . . .	५६५८ टन

इन में छोटे पैमाने के उद्योगों के अभ्यंश के अन्तर्गत दिया गया माल भी सम्मिलित है।

दिसंबर, १९५९ से पहले विभिन्न राज्यों को दिये गये कच्चे लोहे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि जनवरी-सितम्बर, १९६० में उत्पादकों ने केरल राज्य को ११६८ टन कच्चा लोहा भेजा है।

†मूल अंग्रेजी में

छुट्टियों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें

†१८०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कर्मचारियों को १६ सवेतन छुट्टियों तथा ७ दिन की आकस्मिक छुट्टियों संबंधी वेतन आयोग की सिफारिशें अभी कार्यान्वित नहीं की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार छुट्टियों की संख्या कम करने से पूर्व उन संस्थाओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है जहां इस समय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक छुट्टियां मिलती हैं ।

सोने का तस्कर व्यापार

१८१. **श्री नरदेव स्नातक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन मासों में चोरी से लाया गया कितना और कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया है ।

(ख) उक्त सोने के चोरी छिपे लाने में किस-किस देश का हाथ है ;

(क) क्या उन व्यक्तियों को, जिनके पास चोरी से लाया गया सोना पकड़ा गया था, कोई दंड दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या दंड दिया गया है और उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) कितने तस्कर व्यापारी भारतीय थे और कितने विदेशी ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमा शुल्क (कस्टम्स), भू-सीमा शुल्क (लैंड कस्टम्स) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सेंट्रल एक्साइज) विभागों के अधिकारियों ने जुलाई, अगस्त और सितम्बर, १९६० के महीनों में चोरी छिपे लाया गया करीब ५४,९४,००० रुपये के मूल्य का ४२,२१८ तोला सोना पकड़ा ।

(ख) जिन देशों से चोरी छिपे सोना लाया गया वे हैं मध्य पूर्व, सुदूर पूर्व, अफ्रीका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, गोआ, अमेरिका (यू० एस० ए०), चीन और बर्मा ।

(ग) और (घ). ऐसे मामलों में, अगर चोरी छिपे सोना लाने का अपराध साबित हो जाता है तो सोना समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम (सी कस्टम्स ऐक्ट) के उपबन्धों के अनुसार जब्त कर लिया जाता है और अपराधियों पर जुर्माना किया जाता है । जानबूझ कर चोरी-छिपे सोना लाने के मामलों में विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम (फारेन एक्सचेंज रेगूलेशन ऐक्ट) १९४७ की धारा २३ के अनुसार मुकदमे चलाये जाते हैं । १७ आदमियों पर विभागीय तौर पर जुर्माना किया गया है और १८ आदमियों पर अदालतों में मुकदमे चलाये गये हैं ।

(ङ) ५५ भारतीय और ५१ विदेशी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में पंजाबी और हिन्दी प्रादेशिक समितियां

†१८२. { **रामकृष्ण गुप्त :**
अजित सिंह सरहदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पंजाबी और हिन्दी प्रादेशिक समितियों को अधिक शक्ति देने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** :(क) और (ख). पंजाब सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है । तथापि राज्य विधान सभा की (हिन्दी प्रादेशिक समिति के सभापति की ओर से इस प्रश्न पर कि समिति द्वारा बनाई गई कुछ उप-विधियां समिति की उप-विधि बनाने की शक्ति के क्षेत्र के अन्तर्गत है, या बाहर, एक पत्र प्राप्त हुआ है । इस मामले के बारे में विचार किया जा रहा है ।

खड़िया-मिट्टी से गन्धक

†१८३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़िया मिट्टी (जिप्सम) से गन्धक बनाने की योजना तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) खड़िया-मिट्टी से गन्धक बनाने के बारे में प्रयोगशाला जांच पूरी हो चुकी है परन्तु औद्योगिक उपयोग के लिये इसकी उपयुक्तता के लिये तरीके का मूल्यांकन करने के लिये एक अग्रिम संयंत्र लगाया नहीं गया है, क्योंकि हाल में गन्धक के मूल्य में कमी हो गई है और अमजोर माशीक् (पाइराइट) से गन्धक बनाने का प्रस्ताव है, इसलिये हो सकता है कि खड़िया मिट्टी से गन्धक बनाने की आवश्यकता न पड़े । यदि जरूरत हुई तो खड़िया मिट्टी तरीके के लिये अग्रिम संयंत्र की स्थापना को बाद में लिया जा सकता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डांगे के विरुद्ध कार्रवाई

†१८४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा के साम्यवादी दल के नेता के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमनों के कथित उल्लंघन के लिये आरम्भ की गई न्यायनिर्णयन कार्रवाइयां पूरी कर ली गई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) श्री डांगे के विरूद्ध न्यायनिर्णयन कार्र-वाइयां अभी चल रही हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागा विद्रोही

†१८५. **श्री बै० च० मलिक :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग ५० सशस्त्र विद्रोहियों ने सैनिक वर्दी में इम्फाल से लगभग ५० मील दूर मारम के समीप एक असैनिक मोटर रक्षक दस्ते पर हमला कर दिया ;

(ख) यदि हां, तो हताहतों की संख्या क्या है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: १० सितम्बर, १९६० को लगभग ३½ बजे प्रातः लगभग ५० सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने आंवले जैसी हरी वर्दी में इम्फाल से लगभग ५० मील दूर मारम के समीप इम्फाल-दीमापुर रोड पर एक असैनिक मोटर रक्षक दस्ते पर आक्रमण कर दिया। मुकाबले में चार मनीपुरी राइफलमैन एक मनीपुरी राजकीय परिवहन ड्राइवर तथा एक नागरिक गोली लगने से घायल हो गये ।

(ग) रक्षक दस्तों की रक्षा के लिये सशस्त्र दस्तों की व्यवस्था की जा रही है ।

संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क का खत्म किया जाना

†१८७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्कों (कोर्ट फीस) के उन्मूलन के बारे में विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित कर लिया है ; और

(ख) किन किन राज्य सरकारों ने इस सिफारिश को स्वीकार तथा कार्यान्वित किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी तक किसी ने नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय बाल कल्याण परिषद्

†१८८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त महीने में भारतीय बाल कल्याण परिषद् के संकल्पों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). उपरोक्त संकल्पों पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि वे विचार के लिये मंत्रालय के पास नहीं भेजे गये थे । अब सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

नेपाल विदेशी मुद्रा लेखा

†१८९. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व बैंक आफ इंडिया से पृथक कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) कोई विशिष्ट संयुक्त विदेशी मुद्रा लेखा नहीं था, इसलिये नेपाल विदेशी मुद्रा लेखा को पृथक करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । भारत तथा नेपाल सरकारों के बीच व्यापार तथा परिवहन संधि के अन्तर्गत जो १–११–६० को लागू हुई थी, नेपाल सरकार भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ सौदों का भुगतान उसकी अपनी विदेशी विनिमय विधियों, नियमों और विनियमों तथा अपने निजी संसाधनों से नेपाल राष्ट्र बैंक के द्वारा सीधे करेगी और भारत के रिजर्व-बैंक का इससे कोई संबंध नहीं होगा ।

(ख) अपेक्षित सूचना संधि में दी गई है, जिसकी प्रतियां लोक-सभा के पटल पर आज पृथक से रखी जा रही है ।

भारत में मुद्रा तथा उधार सम्बन्धी प्रणाली[1]

†१९०. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मुद्रा तथा उधार-संबंधी प्रणाली के संचालन की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Monetary and Credit System.

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक का भारत सरकार तथा देश के वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ गहरा और लगातार सम्पर्क है। समय समय पर देश की मुद्रा तथा उधार प्रणाली के सुचारु संचालन को बनाये रखने के लिये उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। इसलिये इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आयोग नियुक्त करना आवश्यक प्रतीत नहीं होगा।

सिपाहियों की गिरफ्तारी

†१९१. { श्री दी० च० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो सिपाही पिरथी चन्द और धर्मचन्द १३ सितम्बर, १९६० को दिल्ली जंक्शन पर गिरफ्तार किये गये थे क्योंकि उनके पास चार बम और शस्त्रात्र थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) जांच हो चुकी है और उसके प्रतिवेदन के आधार पर उन सिपाहियों के विरुद्ध उन्हें जारी किये गये प्रशिक्षण शास्त्रात्र के जान बूझकर दुरुपयोग करने के लिये अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

कनाट प्लेस में हत्या

†१९२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १६ मई १९६० को क्नाट प्लेस में जो हत्या की गई थी उस मामले में और क्या कार्रवाई की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है और मामला न्यायाधीन है।

दिल्ली में कालेज

†१९३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में १९६०–६१ में कुछ और नये कालेज खोले गये हैं ;

(ख) १९६०–६१ में नये कालेजों को कितना अनुदान देने का विचार है ;

(ग) दिल्ली में ऐसे कालेज कितने हैं जिनकी अपनी इमारतें नहीं और वहां कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस वर्ष भी बहुत से विद्यार्थी अभी तक किसी कालेज में दाखिल नहीं हो सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) महिलाओं के लिये एक नया कालेज, प्रमिला कालेज १९६०–६१ में खोला गया है।

(ख) कालेज के लिये आवर्ती संधारण अनुदान, शुद्ध घाटे के ९० प्रतिशत के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जायेगा, और वास्तविक अनुदान चालू वर्ष के लिये कालेज के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्राप्त होने पर निर्धारित किया जाता है। आयोग कालेज को ५० प्रतिशत के आधार पर अनावर्ती अनुदान देता है, परन्तु अभी तक प्रमिला कालेज की ओर से इस बारे में कोई प्रार्थना नहीं की गई।

(ग) ग्यारह कालेज और ५४२२ विद्यार्थी।

(घ) जी, हां।

केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी

†१९४. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी (इलाहाबाद) में स्टोर के स्थानीय क्रय में की गई अनियमितताओं के संबंध में विशेष पुलिस संस्थान की जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: विशेष पुलिस संस्थान ने केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी (इलाहाबाद) के भूतपूर्व कमांडेंट तथा कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध, विशेष जज, लखनऊ, के न्यायालय में दोषारोप कर दिया है।

फाउंटेन पैनों और घड़ियों के फीतों का पकड़ा जाना

†१९५. **श्री वारियर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने मद्रास में एक नगरी बुकिंग दफ्तर से १ लाख रुपये के मूल्य के फाउन्टेनपैन और घड़ियों के फीते रोक लिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख) १३–८–६० को सूचना के अनुसार कार्रवाई करने पर, सेलम से बुक हुये और जिन के बारे में यह बताया गया था कि उनमें हथकरघे की चटाइयां हैं, चार बन्द बोरों की तलाशी मैसर्स नेताजी लारी तथा बस सर्विस मद्रास के लारी बुकिंग शैड में ली गई। पड़ताल करने पर यह पाया गया कि इन बोरों में १२५ दर्जन जापानी फ्लैक्सों फ्लैक्स घड़ियों के फीते तथा ७२५६ जापानी 'पायलट' फाउन्टेन-पैन थे। इस माल की कीमत ९२५५४ रुपये के लगभग थी। क्योंकि इस माल के बारे में सन्देह था कि वह अवैध रूप से आयात किया गया है, इसलिये यह पकड़ लिया गया।

अल्प बचत आन्दोलन

†१९६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अल्प बचत आंदोलन से सितम्बर, १९६० तक कितना धन इकट्ठा किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसमें से कितनी रकम शहरों से और कितनी गांवों से इकट्ठी की गयी ;

(ग) क्या राष्ट्रीय बचत सलाहकार बोर्ड ने यह प्रस्थापना की है कि पश्चिम बंगाल में जितना धन एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह १९६० में एकत्र कर लिया जाये ;

(घ) यदि हां, तो यह धन-राशि कितनी है ;

(ङ) क्या ग्राम्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को लोक-प्रिय बनाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(च) यदि हां, तो तो वे क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १.२६ करोड़ रुपये के इनामी बांडों की बिक्री को छोड़ कर, अप्रैल से सितम्बर, १९६० तक की अवधि में कुल ४ करोड़ रुपया एकत्र हुआ।

(ख) शहरी और ग्राम्य क्षेत्रों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च). शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बचत आंदोलन को गतिशील बनाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हाल ही में जो कदम उठाये गये हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नीचे किया जाता है :

(एक) ग्रामीण क्षेत्रों में एजेंटों की भर्ती पर बल।

(दो) ग्राम पंचायतों को अधिकृत एजेंट नियुक्त किये जाने पर जमानत की रकम जमा करने की शर्त का उत्सादन।

(तीन) विकास क्षेत्रों में सामुदायिक विकास प्रशासन और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न।

(चार) पोस्टरों, पत्रों और सिनेमा द्वारा व्यापक प्रचार।

(पांच) गांव के डाकिये की मार्फत बचत प्रमाण पत्रों का दिया जाना ;

(छः) बचत के वास्ते तीव्र प्रयत्न करने के लिये आदर्श जिलों और बचत ग्रामों का चुनाव।

अंडमान में गंधक के निक्षेप

†१९७. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप में पाये गये गंधक के निक्षेप काश्मीर की पुंगा घाटी के निक्षेपों की तुलना में कैसे हैं, और

(ख) अंडमान और निकोबार में किन स्थानों पर प्रारम्भिक जांच की गयी थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह)**: (क) अंदमान और निकोबार में गंधक के बारे में जो काम किया गया है, वह बिल्कुल प्रारम्भिक किस्म का है, इसलिए इस अवस्था में इसकी तुलना काश्मीर की पुंगा घाटी के गंधक के निक्षेपों के साथ

†मूल अंग्रेजी में

नहीं की जा सकती। इनकी मात्रा और किस्म की और जांच करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

उपहार पार्सल

†१९८. **श्री अमजद अली** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भारतीयों और भारत में रहने वाले विदेशियों को दीवाली और क्रिसमिस के दिनों में विदेशों से आने वाले उपहार-पार्सलों पर लगाये जाने वाले शुल्क-प्रतिबन्ध को उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है और इसे कब क्रियान्वित किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नागा विद्रोही

†१९९. **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने २० सितम्बर, १९६० को कांगोकिपी पुलिस स्टेशन पर गोली चलायी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि नागाओं ने मनीपुर के उखरुल सब-डिवीज़न में अपना शिविर स्थापित कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, नागाओं के इक्के दुक्के हमलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) २० सितम्बर, १९६० को लगभग रात के ९ बजे कुछ व्यक्तियों ने कांगोकिपी पुलिस स्टेशन पर एक राउंड गोली चलायी। संदेह है कि ये व्यक्ति विद्रोही नागा थे। जब पुलिस ने इसका जबाब गोली से दिया तो इन शरारती लोगों ने गोली चलानी बन्द कर दी और पीछे लौट गये।

(ख) ८ अक्तूबर, १९६० को हमारे सुरक्षा दस्ते नें उखरुल सब-डिवीजन में छालला के निकट विद्रोहियों के शिविर पर आक्रमण किया और दोनों ओर से गोली चलाने जाने पर २ विद्रोही मारे गये और तीन पकड़े गये। इस के पश्चात् इस के निकट तीन अन्य शिविरों का पता लगा और उन्हें समाप्त किया गया।

(ग) सशस्त्र सेना (आसाम और मनीपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, १९५८ की धारा ३ के अन्तर्गत ७ अक्तूबर, १९६० से उखरुल सब-डिवीजन को उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा दस्ते नियुक्त किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कम्पनियों द्वारा अपनी पूंजी में वृद्धि

†२००. **श्री मुरारका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६–६० और अक्तूबर, १६६० तक की अवधि में किनकिन कम्पनियों को अपनी पूंजी में वृद्धि करने की अनुमति दी गयी थी।

(ख) ऐसी कौन सी कम्पनियां हैं जिन्हें इस शर्त के साथ अनुमति दी गयी कि जारी किये जाने वाले नये शेयर प्रीमियम वाले हों, और

(ग) कुछ कम्पनियों पर यह शर्त लगाने और कुछ पर न लगाने के क्या कारण हैं और यह शर्त किस आधार पर लगायी गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ अप्रैल, १६५६ से ३१ अक्तूबर, १६६० तक की अवधि में १७३ कम्पनियों ने पूंजी में वृद्धि करने की मंजूरी हासिल की। उन के नामों की एक सूची संलग्न की जाती है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ख) उपरोक्त अवधि में २१ कम्पनियों का प्रीमियम वाले शेयर जारी करने की मंजूरी दी गयी। इन कम्पनियों के नामों की सूची संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**.

(ग) इस प्रश्न की जांच कि किस कम्पनी द्वारा जारी किये जाने वाले शेयर प्रीमियम वाले हों अथवा नहीं, उसके गुणादोषों के आधार पर की जाती है। इस सम्बन्ध में बहुत सी सम्बन्धित बातों पर ध्यान दिया जाता है जैसे, शेयरों का अन्तर्निहित मूल्य, मार्केट में उनका भाव, कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले बोनस का रिकार्ड तथा कम्पनी की भविष्य सम्बन्धी सम्भावनाएं, वर्तमान सामान्य पूंजी की तुलना में जारी की जाने वाली पूंजी की मात्रा, शेयर मार्केट का रुख इत्यादि। प्रीमियम के प्रश्न को इन बातों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के परामर्श और सहमति से निपटाया जाता है।

सैनिक कर्मचारी

२०१. **श्री पद्म देव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सैनिक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को सरकार ने क्या-क्या सुविधायें दी हैं। जो मोर्चे पर नियुक्त हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया) : भारत में सीमावर्ती क्षेत्र में काम कर रहे फौजी सेवीवर्ग के संबंध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१०८ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जो माननीय सदस्य १८–३–५६ को पूछा था। उसी सिलसिले में, विवाहित अफसरों को आर्थिक सहायता देने के लिए १–११–६० से एक अलहदगी भत्ता देना स्वीकार किया गया है, जो उन क्षेत्रों और स्थानों की यूनिटों और फार्मेशनों में काम कर रहे अफसरों को मिल सकेगा, जहां परिवार उनके साथ नहीं जा सकते।

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व शासक

†२०२. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व शासकों के महलों में कितने पुलिस कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या ये पुलिस कर्मचारी वहां पर उन राजाओं की सुरक्षा के लिये तैनात किये गये हैं अथवा महलों की रखवाली के लिए ;

(ग) उन के रहने की क्या व्यवस्था है ;

(घ) उनका खर्च कौन वहन करेगा ; और

(ङ) उन की दैनिक परेड और अभ्यास के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) ८१ ।

(ख) ये पुलिस कर्मचारी उन राजाओं की जान और जायदाद दोनों की सुरक्षा के लिए तैनात किये गये हैं।

(ग) सम्बन्धित शासकों द्वारा अपने महलों के निकट इन लोगों के लिए कमरों की व्यवस्था की गयी है ।

(घ) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ।

(ङ) जो लोग ड्यूटी पर नहीं होते, उन्हें उस गारद का प्रमुख हैड-कान्सटेबल प्रतिदिन पैरेड कराता है ।

श्री सी० एम० गुहा का देहान्त

†२०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू नेपाल कारपोरेशन लिमिटेड के श्री सी० एम० गुहा को जुलाई, १९६० में कत्ल कर दिया गया था और उन की लाश दिल्ली के एक कुंयें में से मिली थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में अब तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). पुलिस में ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गयी ।

कुरुक्षेत्र में उच्च इंजीनियरिंग संस्था

†२०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुरुक्षेत्र में एक उच्च इंजीनियरिंग संस्था स्थापित करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) :** कुरुक्षेत्र में उच्च इंजीनियरिंग संस्था स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

त्रिपुरा में आदिम जाति की छात्राओं को अधिछात्रवृत्तियां

†२०५. **श्री दशरथ देव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में त्रिपुरा के स्कूलों में छटी से दसवीं श्रेणियों में आदिम जाति की कितनी छात्रायें हैं ;

(ख) इन में से कितनी छात्राओं को अधिछात्रवृत्तियां अथवा छात्रावास-सुविधाएं दी जाती हैं ; और

(ग) खोवाई कन्या हायर सैकंडरी स्कूल में पढ़ने वाली आदिम जाति की छात्राओं को छात्रावास सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) १२६ ।

(ख) १३ ।

(ग) इस स्कूल के होस्टल के लिये निर्धारित स्थान उपलब्ध होते ही इस स्कूल की छात्राओं के लिए एक छात्रावास बनाने का विचार है ।

त्रिपुरा में झूम फसलें

†२०६. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा के कैला सहर सब-डिवीजन के रतचरा क्षेत्र की झूम फसलें अगस्त, १९६० से चहों द्वारा नष्ट की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो झूम फसलों को चहों से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). हमें इस बात का कोई समाचार नहीं मिला कि रतचरा क्षेत्र में झूम फसलें जंगली चूहों द्वारा नष्ट कर दी गयी हैं । अतः विशेष सुरक्षात्मक उपाय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागार्जुनकोंडा में खुदाई

†२०७. **श्री कालिका सिंह :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन कोंडा में खुदाई के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक खुदाई में जो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, वे किस युग की हैं ;

(ग) क्या नागार्जुनकोंडा के कुछ क्षेत्र के जलमग्न हो जाने से देश को पुरातत्व की दृष्टि से इतनी हानि हुई है जिस की पूर्ति नहीं की जा सकती ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि नहीं, तो पुरातत्व-शास्त्रियों द्वारा अध्ययन के लिए वस्तुओं को किस प्रकार सुरक्षित रखा गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) खुदाई का कार्य १९५९–६० के अन्त तक पूरा हो गया था ।

(ख) **प्रागैतिहासिक** : प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजार, प्रस्तरयुगीन औजार, उत्तर प्रस्तर-युगीन समाधियां और बस्तियां, महापाषाणनिर्मित समाधियां ।

ऐतिहासिक : ऐतिहासिक काल की महत्वपूर्ण पुरावस्तुओं में से अधिकतर ईसापूर्व तीसरी शताब्दी की हैं ।

(ग) और (घ). नागार्जुन कोंडा का बौद्ध-क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा, इसलिए केन्द्रीय पुरातत्व विभाग इन पुरावस्तुओं को बचाने के लिए, जिनके लिए इतने विशाल पैमाने पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया था, विशेष कदम उठाये हैं । महत्वपूर्ण स्मारक चुन लिये गये थे और जल-स्तर से ऊपर नागार्जुनकोंडा पहाड़ी पर उनकी पुनर्स्थापना की जा रही है ।

पहाड़ी की चोटी पर एक स्थानीय संग्रहालय का निर्माण भी किया जा रहा है जिस में खुदाई में पायी गयी महत्वपूर्ण वस्तुओं को उनके मूल में और उनके छोटे और बड़े नमूनों को रखा जायेगा ।

दिल्ली में चोरी से लाई गई चीजों का पकड़ा जाना

†२०८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जनवरी से अगस्त, १९६० तक पकड़ी गयी चीजों का व्योरा क्या है ;

(ख) इस माल का क्या किया गया ;

(ग) क्या इस की नीलामी की गयी थी ; और

(घ) उससे कितना धन वसूल हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) दिल्ली में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जनवरी से अगस्त, १९६० तक ७१ छापे मारे गये जिस में सोना, मुद्रा और विविध वस्तुएं अर्थात् घड़ियां, निबें, सिगरेट, साबुन और जवाहरात आदि पकड़े गये । इस प्रकार पकड़ी गयी वस्तुओं का मूल्य ४,३०,७४१ रु० था ।

(ख) पूरी तरह से जब्त माल को, अथवा ऐसे जब्त माल को जिसे कोई न छुड़ाये, निम्नलिखित तरीकों से निपटाया जाता है :

(एक) मुद्रा को सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता है ।

(दो) सोने को टकसाल में जमा करा दिया जाता है ।

(तीन) बाकी सामान को सामान्यतः सार्वजनिक रूप से नीलाम कर दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित किसी वस्तु की नीलामी अभी तक नहीं की गयी क्योंकि अभी उनकी नीलामी करने का समय नहीं हुआ ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आर्य हायर सैकेंडरी स्कूल, लोदी कालोनी, नई दिल्ली

†२०९. **श्री कुन्हन** : क्या शिक्षा मंत्री १ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बहुत सी अनियमितताओं और हिसाब किताब में गड़बड़ी करने पर आर्य हायर सैकंडरी स्कूल, लोदी कालोनी, नई दिल्ली के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : स्कूल में जो अनियमितताएं हुईं, वे बड़ी गम्भीर किस्म की थीं । इसलिए दिल्ली प्रशासन ने इस पर आगे कार्यवाही करने के लिए यह मामला अपने भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को सौंप दिया है ।

इमारती लकड़ी की नीलामी द्वारा बिक्री

†२१०. **श्री हाल्दर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २४ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस पदाधिकारी का क्या नाम है जिस ने १० अक्तूबर, १९५२ को २५०० सी० फीट इमारती लकड़ी की नीलामी को पूरा नहीं किया था और उस के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) जांच न्यायालय की उपपत्तियों के बारे में जिले के सरकारी वकील की क्या टिप्पणी थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया)** : (क) उस पदाधिकारी के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है, उसकी सूचना अभी उस पदाधिकारी को नहीं दी गयी ताकि नियमों के अनुसार उसे इस दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सके । इसलिए इस प्रक्रम पर यह बताना सम्भव नहीं कि उस पदाधिकारी के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और उस पदाधिकारी का नाम बताना भी उचित नहीं ।

(ख) जिले के सरकारी वकील की पूरी टिप्पणी मिलने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

मनीपुर में एक परीक्षणाधीन कैदी[1] की मृत्यु

†२११. **श्री हाल्दर** : क्या गृह-कार्य मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९६० के प्रथम सप्ताह में मनीपुर में बिशनपुर पुलिस स्टेशन की हवालात में एक परीक्षणाधीन कैदी की मृत्यु के कारणों की जांच इस बीच पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Undertrial Prisoner

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) ३ मार्च, १९६० की रात को बिशनपुर पुलिस स्टेशन में एक परीक्षणाधीन कैदी ने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की । ऐसा लगता है कि शक होने पर पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने उसे पीटा । डाक्टरी गवाही से यह पता चलता है कि परीक्षणाधीन कैदी हृदय-रोग से पीड़ित था और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी मृत्यु उस के कमजोर दिल के कारण हुई अथवा उसे लगने वाली चोटों के कारण हुई ।

(ग) इस मामले से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है और उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जा रहा है ।

वैस्टमिनिस्टर बैंक, लन्दन में हैदराबाद राज्य का धन

†२१२. **श्री हाल्दर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ अगस्त १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन के वैस्टमिनिस्टर बैंक में से भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की दस लाख पौंड की रकम को वसूल करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस का अन्तिम फैसला कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: इस समय भी स्थिति वही है जो २९ अगस्त को अतारांकित प्रश्न संख्या १६३५ के उत्तर देने के समय थी ।

जीवन बीमा निगम के बोसन की घोषणा

†२१३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में बीमाशुदा लोगों के बोनस की घोषणा अनुमानतः किस तिथि तक हो जायेगी ; और

(ख) इतनी तेर होने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). ३१ दिसम्बर, १९५९ को निगम की आस्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन और निगम द्वारा लिये गये २४५ एककों की पालिसियों पर भेदालक (डिफ्रेन्शल) बोनस की घोषणा करने के उद्देश्य से बोनस के सूचक-अंकों का निर्धारण करना बड़ा भारी और पेचीदा काम है । निगम सक्रिय रूप से इस काम में जुटा हुआ है और अनुमान है कि १९६१ के मध्य तक बोनस की घोषणा हो जायेगी ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती

†२१४. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल सेना और वायु सेना के कठोर जीवन के कारण, इन सेवाओं की ओर बहुत कम नवयुवक आकर्षित होते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) इन सेवाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिये समय समय पर उचित कदम उठाये जाते हैं ।

औद्योगिक वित्त निगम की रिपोर्ट

†२१५. **श्री वोडयार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम की वार्षिक रिपोर्ट के लोक-सभा में पेश किये जाने से पूर्व उसका पूरा व्योरा सितम्बर, १९६० में समाचार-पत्रों को दे दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या कारण था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये औद्योगिक वित्त निगम की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट २४ सितम्बर, १९६० को निगम के हिस्सेदारों की पिछली सामान्य वार्षिक सभा में पेश की गयी थी । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४७ के उपबन्धों के अनुसार निगम के हिसाब किताब समाप्त होने की तिथि के पश्चात तीन महीने के अन्दर निगम की सामान्य बैठक का आयोजन करना आवश्यक होता है और उस बैठक में हिस्सेदारों को निगम के लेखों और वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा करने का अधिकार होता है । इसलिये जनता की जानकारी के लिये वार्षिक रिपोर्ट समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ दे दी गई थी ।

अधिनियम की धारा ३५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निगम के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने हिसाब किताब बन्द करने की तिथि के पश्चात् चार महीने के अन्दर अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार के पास भेज दे ताकि उसे संसद् में रखा जा सके ।

बन्दे मातरम्

†२१६. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बन्दे मातरम्' गान को (सामूहिक अथवा अकेले) गाने के लिये नया स्वर निश्चित कर दिया गया है ; और

(ख) क्या २६ जनवरी, १९६१ को इस नये स्वर में इस गान का उच्चारण किया जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). अगस्त, १९६० में सूचना और प्रसारण मंत्री तथा डा० एन० एस० हरडिकर, संसद् सदस्य को 'वन्दे मातरम्' गान के कई स्वर सुनाये गये थे । उस के परिणामस्वरूप राग देश में अकेले गाये जाने वाले स्वर में और राग मल्हार में सामूहिक गाने के स्वर में कुछ परिवर्तन सुझाये गये थे । राग देश में एक पुनरीक्षित स्वर तैयार कर लिया गया है और आशा है कि इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय ऋणिता

†२१७. **श्री त्यागी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की कुल कितनी अन्तर्राष्ट्रीय ऋणिता है ;

(ख) प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार को कुल कितनी राशि देनी है और आगामी दस वर्षों में प्रति वर्ष उन्होंने कितनी राशि देनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या गत दस वर्षों में ऋण अदा करने में राज्य सरकारों की ओर से कोई कमी रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) १९५९–६० के अन्त तक सरकारी ऋणों के अधीन कुल ४,०२३ करोड़ रुपयों की राशि शेष बचती थी ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्धसंख्या ३८]**. आगामी दस वर्षों में अदायगी के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । इस समय लगभग १०० करोड़ रुपयों की वार्षिक किस्तें प्राप्त हो रही हैं, परन्तु वह राशि समय समय पर मंजूर किये जाने वाले अतिरिक्त ऋणों के कारण बढ़ती जायेगी ।

(ग) और (घ). कोई मुख्य कमी ध्यान में नहीं आई है ।

कोल्हापुर बैंक का परिसमापन

†**२१८. श्री आसर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल्हापुर बैंक, जिसका परिसमापन हो गया है, के खातेदारों ने १४ अगस्त, १९६० को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि परिसमापन कार्यवाही तेज़ी से पूरी की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के रक्षित बैंक के परामर्श से उस अभ्यावेदन पर विचार किया गया है । महाराष्ट्र उच्च न्यायालय से सम्बद्ध न्यायालय परिसमापक, जो कि उस न्यायालय के सामान्य निरीक्षण तथा निदेशन में कार्य करता है, इस सम्बन्ध में यथासंभव कार्यवाही कर रहा है । इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

विदेश जाने वाले भारतीय छात्र

†**२१९. श्री बा० चं० कामले** : क्या **शिक्षा** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कितने भारतीय छात्र शिक्षा के लिये विदेश भेजे गये थे और इस वर्ष तथा अगले वर्ष कितने छात्र भेजने का विचार है ; उसके लिये (१) सरकार की ओर से कितनी सहायता दी गयी है ; (२) कितनी गैर-सरकारी सहायता दी गयी है ; और

(ख) उक्त प्रत्येक वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सम्बन्धित प्राधिकारियों से अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

बंगाल में पाई गई प्राचीन वस्तुएं

†**२२०. श्री प्र० के० देव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सच है कि बंगाल के निचले भाग में बहुत सी प्रागैतिहासिक वस्तुएं खोदी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) इसका व्योरा "इंडियन आरक्यालोजी-ए रिव्यू फार १९५९-६०" में प्रकाशित है जिसकी प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में कार्मिक संघ

†२२१. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा संस्थापनों के किस किस कार्मिक संघ की मान्यता आम हड़ताल के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आम हड़ताल में भाग लेने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्मिक संघों की मान्यता समाप्त कर दी गई है :—

(१) केन्द्रीय मेडिकल्स स्टोर्स कर्मचारी संघ, बम्बई ।

(२) इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान विकास संस्थापन असैनिक कर्मचारी संघ, बंगलोर ।

(३) विद्युत् तथा मेकेनिकल्स इंजीनियर कर्मचारी संघ, पानागढ़ ।

(४) कोचीन नौसेना स्थान असैनिक कर्मचारी संघ, कोचीन ।

(५) भारतीय नौसेना आयुध डिपो असैनिक कर्मचारी संघ, विशाखापटनम ।

(६) मजदूर पंचायत, ५०५ कमाण्ड वर्कशाप इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरस, दिल्ली छावनी ।

(७) ईशापुर आयुध कारखाना मज़दूर संघ, ईशापुर ।

(८) गोला बारूद कारखाना कर्मचारी संघ, किरकी ।

(९) बन्दूक और गोली कारखाना मजदूर संघ, कोसीपुर ।

(१०) सैनिक इंजीनियरिंग सेवा मजदूर संघ, दिल्ली क्षेत्र ।

(११) आयुध कर्मचारी संघ, अम्बरनाथ ।

(१२) भारतीय नौसेना गोदी मजदूर संघ, बम्बई ।

(१३) ५०६ सैनिक स्थल वर्कशाप इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरस मजदूर संघ, जबलपुर ।

(१४) २१७, पेट कान्ट्रेक्ट प्लेटून मजदूर संघ, वाडाला, बम्बई ।

(१५) आयुध डिपु कर्मचारी संघ, बम्बई ।

(१६) आयुध कारखाना मजदूर संघ, खमारिया, जबलपुर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१७) सैनिक इंजीनियरिंग सेवा मजदूर संघ (क्षेत्र समिति), अम्बाला ।

(१८) दिल्ली इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स मजदूर संघ, दिल्ली छावनी ।

(१९) स्टेशन वर्कशाप इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स पूना के असैनिक कर्मचारियों की संस्था ।

(२०) डिपु कामगार संघ, केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर ।

(२१) सैनिक इंजीनियर सेवा मजदूर संघ, इंजीनियर्स स्टोर्स डिपु, पानागढ़ ।

ग्वालियर डिवीज़न में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि

२२२. **श्री रा० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिवीजन में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि को पट्टे पर देने या अन्यथा उसका प्रयोग करने के लिये सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है;

(ख) इन भूमियों को मध्य प्रदेश की सरकार को लौटाने के मामले में, जिस पर काफी समय से विचार किया जा रहा था, क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) पिछले वर्षों में सशस्त्र सेना ने इन भूमियों का क्या प्रयोग किया है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) प्रतिरक्षा आवश्यकताओं से अस्थायी तौर पर फालतू परन्तु कृषि योग्य भूमि, निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, खेती बाड़ी के लिये, पट्टे पर दे दी जाती है। जो भूमि प्रतिरक्षा सेवाओं के सक्रिय इस्लेमाल में नहीं आती, वह नियत समय के लिये विभिन्न कामों के लिये नीलाम पर अथवा लाइसेंस पर दे दी जाती है।

(ख) सरकार ने फैसला किया है, कि ग्वालियर मण्डल के घास के मैदानों को, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य ने प्रार्थना की है, उन्हें निःशुल्क दे देना संभव नहीं है । राज्य सरकार को ऐसा बता दिया गया है ।

(ग) प्रतिरक्षा आवश्यकताओं से अस्थायी तौर पर फालतू भूमि, और प्रतिरक्षा सेवाओं के सक्रिय इस्तेमाल में न आने वाली भूमि के बारे में जो स्थिति है, वह भाग (क) के उत्तर में, ऊपर बता दी गई है। शेष भूमि क्षेत्र प्रतिरक्षा सेवाओं के विभिन्न फौजी कामों में आ रहे हैं। जैसे कि प्रशिक्षोण, मनोरंजन, आदि ।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, देवलाली के कर्मचारी

†२२३. **श्री भा० कृ० गायकवाड़**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवलाली कैम्प के सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) के कर्मचारियों को उपदान देते समय उनकी १९४० से पहले की सेवा को ध्यान में नहीं रखा गया है;

(ख) •क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ एक कर्मचारियों ने १९४० से पहले की सेवाओं के लिये उपकर प्राप्त करने के लिये दीवानी कचहरियों में शिकायतें दर्ज करा दी हैं;

(ग) यदि हां, तो न्यायालय का निर्णय क्या था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार उस निर्णय को उन कर्मचारियों पर भी लागू करेगी जो न्यायालय में नहीं गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) क्योंकि उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा के रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये नियम के अनुसार १९४० से पहले के दावे स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) न्यायालय ने उस मामले के साक्षों पर विचार किया है और शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय दे दिया है ।

(घ) इस निर्णय को अन्य मामलों पर स्वयमेव लागू कर देना संभव नहीं है क्योंकि अन्य मामलों के तथ्य भिन्न भी हो सकते हैं । फिर भी यह आर्डर पास कर दिये गये हैं कि उस प्रकार के मामलों के बारे में जांच की जाये जिनके साक्ष्य उपलब्ध हो सकते हैं ।

सरकारी अधिकारियों की आय

†२२४. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में पदाधिकारियों की आय के सम्बन्ध में की गयी जांच से ऐसे कितने मामलों का पता लगा है जिन पर सरकारी आय से अधिक कीमत की आस्तियां होने का संदेह है; और

(ख) इन पदाधिकारियों की 'अज्ञात आय' की रोकथाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) उनकी अज्ञात आय की रोक थाम करने के लिये सामान्यतया निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा रही हैं :—

(१) इस बात का विनिश्चय किया जाता है कि पदाधिकारी अपनी सम्पत्ति के आंकड़े ठीक ठीक प्रस्तुत करे और फिर उन आंकड़ों की जांच भी की जाती है ।

(२) सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्राधिकृत व्यापारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा १००० रुपयों से अधिक कीमत की किसी भी चल सम्पत्ति की खरीद या फरोख्त के सम्बन्ध में सरकार को सूचना देनी पड़ती है;

(३) सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्राधिकृत व्यापारी के द्वारा १००० रुपयों से अधिक कीमत की अचल सम्पत्ति के क्रम का विक्रय से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है ।

प्रविधिक पुस्तकों की कमी

†२२५. **श्री गोरे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रविधिक विषयों से सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तकों की अत्यधिक कमी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में ये पुस्तकें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालयों के छात्रों के प्रयोग के लिये सस्ते दामों में इन पुस्तकों को छपवाने और वितरण करने सम्बन्धी एक योजना पर विचार किया जा रहा है।

त्रिपुरा को कोयले का संभरण

†२२६. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा को कोयला एजेंटों या व्यापारियों के द्वारा संभरित किया जाता है :

(ख) उस कार्य के लिये कितने एजेन्ट या व्यापारी नियुक्त किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को उन ऐजेन्टों या व्यापारियों के विरुद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि वे त्रिपुरा को कोयला नहीं भेज रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा की कोयले की मांग

†२२७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की कोयला सम्बन्धी कुल मांग कितनी है; और

(ख) त्रिपुरा की वार्षिक मांग किस आधार पर निर्धारित की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में आदिवासी लड़के

२२८. **श्री डामर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मध्य भारत राज्य क्षेत्र में जिलावार कितने आदिवासी लड़कों ने १९४८ से १९६० तक के वर्षों में मैट्रिक, इन्टरमीडिएट, बी० ए० और एम० ए० परीक्षायें पास की हैं ;

(ख) कितने आदिवासी, जिलावार, उपरोक्त काल में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद नौकरी में लगे हैं ; और

(ग) वे किन-किन विभागों में और किन-किन पदों पर नियुक्त हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) से (ग). सूचना प्राप्य नहीं है और सूचना एकत्रित करने में जितना समय और परिश्रम करना पड़ेगा उससे तदुपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति की कोई आशा नहीं है।

पंजाब में अफीम का तस्कर व्यापार

†२२९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर, १९६० तक की अवधि में पंजाब में अफीम का तस्कर व्यापार करने वाले कितने गिरोह पकड़े गये थे ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जहां तक सरकार को ज्ञात है उक्त अवधि में इस प्रकार के दो गिरोह पकड़े गये थे।

(ख) राज्य सरकार अफीम अधिनियम, १८७८ तथा खतरनाक औषधि अधिनियम, १९३० के उपबन्धों के अधीन इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है।

पंजाब की सीमा पर अफीम का तस्कर व्यापार

†२३०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की सीमा पर अफीम का तस्कर व्यापार बहुत बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बन्धनों के बावजूद भी पंजाब में अनेक स्थानों पर अफीम चोर बाजारों में बिक रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जहां तक सरकार को ज्ञात है, इसका उत्तर नकारात्मक है। इस वर्ष में पूर्वी पंजाब के विभिन्न जिलों से केवल कुछ मात्रा में ही विनिषिद्ध अफीम पकड़ी गयी है।

(ग) तस्कर व्यापार की रोक थाम के लिये पंजाब सरकार द्वारा सामान्यतया निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं :—

(१) और अधिक उत्पादन प्रशुल्क कर्मचारियों की नियुक्ति से भारत-पाकिस्तानी सीमा पर रोक थाम के लिये अधिक गहन व्यवस्था कर दी गयी है।

(२) अमृतसर जिले में विशेष उत्पादन प्रशुल्क कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

(३) राज्य सरकार पुलिस द्वारा अमृतसर में एक केन्द्रीय पूछ ताछ केन्द्र स्थापित किया गया है।

(४) सम्पूर्ण पंजाब और विशेषतया सीमा क्षेत्रों के उत्पादन प्रशुल्क तथा पुलिस के अधिकारियों को सावधान कर दिया गया है कि वे सतर्कता कार्य को गति प्रदान करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों से अफीम की खरीद

२३१. श्री डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों को, जिनसे वह अफीम खरीदती हैं, प्रतिकर या कर के रूप में कोई धनराशि देती है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों के सर्वोत्तम किस्म की अफीम पैदा करने वाले कृषकों को इनाम देती है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी नहीं।

कृषकों को दिया गया अफीम का मूल्य

२३२. श्री डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अफीम खरीदते समय कृषकों को प्रति सेर कितना मल्य दिया ; और

(ख) अन्य देशों को अफीम का निर्यात करने से प्रति सेर कितना मूल्य मिला ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १९५९–६० के मौसम में ७० डिगरी घनत्व वाली कच्ची अफीम के लिए, कृषकों को जो मूल्य दिया गया वह ३३.५० रुपये और ३८.५० रुपये सेर के बीच था।

(ख) लगभग ९० डिगरी घनत्व वाली तैयार अफीम की बट्टियों का चालू बुनयादी निर्यात मूल्य, जिसमें कलकत्ते में जहाज तक का खर्च भी शामिल है, हर यूनिट मारफीन के लिए १.५५ डालर प्रति किलो हैं। इस तरह एक सेर के हर यूनिट का मल्य ६.७८ रुपये होता है।

सोने की खानें

२३३. श्री डामर : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत के कितने और किस-किस राज्य में सोने की खानों से सोना निकाला जाता है ; और

(ख) इन खानों से प्रति वर्ष कितने रुपयों का सोना निकाला जाता है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस समय केवल मैसूर राज्य की चार खानों में से सोना निकाला जाता है ; जिन में से तीन कोलार सोना क्षेत्रों और एक राईचुर जिले के हट्टी सोना क्षेत्रों में है।

(ख) १९५७ से १९५९ तक इन खानों में से निकाले गये सोने की कीमत निम्नलिखित है :—

१९५७	५१,०६६,००० रुपये
१९५८	४६,९८८,००० रुपये
१९५९	५३,६०४,००० रुपये

कच्चा लोहा

२३४. श्री डामर : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में कच्चा लोहा पर्याप्त मात्रा में प्राप्य है और उसे प्राप्त करने के लिये क्या आधुनिक ढंग अपनाये गये हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में कहीं कच्चा लोहा पाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां किस किस्म का लोहा पाया जाता है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) शोणितिज की कच्ची धातु[1] बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों में बहुत काफी मात्रा में प्राप्य है। चुम्बिकज की कच्ची धातु[2] मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में भारी मात्रा में पाई जाती है।

बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों में काफ अच्छी यन्त्र-कृत खानें चालू हैं ।

(ख) और (ग). झाबुआ जिला में कच्चे लोहे के निक्षेप नर्बदा घाटी तक सीमित हैं यह कच्ची धातु संकोणाश्म[3] के विषम पुन्जों में पाई जाती है और घटिया किसम की है ।

भारत में राजनैतिक दल

२३५. श्री डामर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने राजनैतिक दल अखिल भारतीय स्वरूप के हैं ; और

(ख) कितने राजनैतिक दल केवल कुछ ही राज्यों में काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) तथा (ख). चुनाव आयोग से की गई पुछ-ताछ से पता लगता है कि विभिन्न राज्यों में १२ दलों को मान्यता प्राप्त है और ४ दलों को अखिल भारतीय दलों की मान्यता दी गई है ।

अफीम की खेती

२३६. श्री डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में अफीम की खेती होती है ; और

(ख) किन-किन जिलों के लोग गत ४ वर्षों से अफीम की खेती के बारे में मांग कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, शाजापुर और देवास ।

(ख) मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, शाजापुर, देवास, झाबुआ, और राजगढ़

नूनमती में तेल शोधक कारखाना

†२३७. श्री हेम बरूआ : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नूनमती तेल शोधक कारखाने में इस समय वर्गवार कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Hematitic ores.

[2]Magnetitic ores.

[3]Breccia

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : नूनमती के तेल शोधक कारखाने में इस समय कुल ६७२ कर्मचारी काम कर रहे हैं :—

(१) प्रविधिक पदाधिकारी	७१
(२) गैर-प्रविधिक पदाधिकारी	८
(३) प्रविधिक कर्मचारी	१९३
(४) गैर-प्रविधिक कर्मचारी	४००
कुल	६७२

तेल पर संरक्षण-शुल्क का खत्म किया जाना

†२३८. **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैंडर्ड-वेकुअम तथा काल्टेक्स ने संरक्षण-शुल्क को समाप्त करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). इन कम्पनियों ने क्रमशः १ अक्तूबर, १९५६ और १ अक्तूबर, १९५९ से मोटर स्पिरिट पर संरक्षण-शुल्क समाप्त कर दिया है। उन्होंने डीजल तेलों तथा मिट्टी के तेलों पर प्राप्य रियायतों को अभी नहीं छोड़ा है।

पंचायतों के कार्य

†२३९. **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री तंगामणि :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय ने पंचायतों के कार्यों के संबंध में अध्ययन करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) जी हां। सरकार ने इसके लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जिसमें विधान विभाग का विशेष सचिव और गृह मंत्रालय तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय का एक एक प्रतिनिधि होगा। उस दल ने अभी हाल ही में कार्य प्रारम्भ किया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय अपराध-पुलिस संगठन का सम्मेलन

†२४०. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंगटन में हुये अन्तर्राष्ट्रीय अपराध-पुलिस संगठन के सम्मेलन में जाली नोटों के परिचालन और सोने के तस्कर व्यापार का प्रश्न उठाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख) संगठन के सभी सदस्यों ने जाली नोटों तथा सोने के तस्कर व्यापार की रोकथाम करने के लिये भ रत को भी सभी प्रकार की संभव सहायता देना स्वीकार कर लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय अपराध-पुलिस संगठन की महासभा ने जाली नोटों की रोकथाम करने के विभिन्न उपायों पर विचार करने के लिये महासभा की आगामी बैठक से पहले एक विशेष सत्र करने का निश्चय कर लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय अपराधपुलिस संगठन के सचिवालय ने सोने के तस्कर व्यापार की रोकथाम के लिये सभी आवश्यक सहायता देने का वचन दिया है।

औद्योगिक वित्त निगम

†२४१. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम ने बड़े पैमाने के 'औसत से नीचे' के उद्योगों पर अब ध्यान केन्द्रित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने छोटे पैमाने के उन उद्योगों की जोकि उपरोक्त स्तर के अनुसार नहीं हैं, मांगों को पूरा करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अभी तक स्वीकृत की गयी वित्तीय सहायता उन औद्योगिक सार्थों को दी गयी है जिनके पास १ करोड़ रुपयों से अधिक की प्रदत्त पूंजी नहीं है और यह राशि सहकारी संस्थाओं को भी दी गयी है।

(ख) लघु उद्योगों की मांगें राज्य सरकारों, प्रत्येक राज्य में स्थापित राज्य वित्तीय निगमों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों और उसके सहायता प्राप्त शाखाओं और भारत के राज्य बैंकों तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूरी की जाती है। केन्द्रीय सरकार के कहने पर भारत के रक्षित बैंक ने भी १ जुलाई, १९६० से एक योजना प्रारम्भ कर दी है जिसके अन्तर्गत कुछ शर्तों के अधीन लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों की गारण्टी दी जा सकती है।

सोने का तस्कर व्यापार

†२४२. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी के क्षेत्रों जैसे कुबैत, बहरीन कतार और मसकत के भागों में परिचालन के लिये विशेष रुपये के नोट चालू करने से सोने के तस्कर व्यापार की रोकथाम पर कोई विशेष प्रभाव हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सोने के तस्कर व्यापार में कितनी कमी हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख) ११ मई, १९५९ को फारस की खाड़ी के क्षेत्रों में रुपयों के विशेष नोट चलाने के परिणामस्वरूप सोने के तस्कर व्यापार में कमी हुई है। क्योंकि इसके परिणामस्वरूप नवम्बर १९५९ के अन्त तक लगभग २६,६०० तोले सोना पकड़ा गया है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग ५१,९०० तोले सोना पकड़ा गया था। अक्तूबर, १९६० के अन्त तक के समय में प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि इस अवधि में पकड़े गये सोने की मात्रा फिर से बढ़ गई है, परन्तु यह हाल के ही कुछ एक महीनों में पकड़े गये सोने की अत्याधिक मात्रा के कारण है और इससे तस्कर व्यापार के रुख के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

द्वारिका में भगवान् कृष्ण का मन्दिर

†२४३. **श्री पु० र० पटेल**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारिका (गुजरात) में भगवान कृष्ण का मन्दिर एक राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक के रूप में केन्द्रीय सरकार के संरक्षण के अधीन है ; और

(ख) क्या इसकी मरम्मत के संबंध में प्राक्कलन तैयार कर लिया गये हैं, और क्या इसकी मरम्मत के लिये एक लकड़ी का ढांचा बना दिया गया है।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) उस मन्दिर को एक सुरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। घोषित होने के उपरांत वह केन्द्रीय सरकार के संरक्षण के अधीन आ जायगा।

(ख) प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और इसके संबंध में आवश्यक मरम्मत संबंधी कार्यों के बारे में विनिश्चय संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

सोने तथा बहुमूल्य रत्नों का तस्कर व्यापार

†२४४. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर में दिल्ली और बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने विमानों तथा समुद्री जहाजों से आने वाले यात्रियों से पर्याप्त मात्रा में तस्कर व्यापार का सोना और बहुमूल्य रत्न पकड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कीमत का सोना और रत्न पकड़े गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) जी, हां।

(ख) लगभग १७,८९८ तोले सोना और ९,३७५ केरट हीरे पकड़े गये थे।

स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव

सिन्धु पानी सन्धि के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव तथा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मिली है। स्थगन प्रस्ताव श्री गोरे का है जो इस प्रकार है :

"१४–११–१९६० को प्रधान मंत्री ने बताया था कि 'सिन्धु पानी सन्धि १९६० का अनुसमर्थन कर दिया गया है। परन्तु कुछ कारण हैं जिनसे मालूम होता है अभी

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

अनुसमर्थन नहीं हुआ है। वक्तव्य तथा वास्तविक स्थिति में भिन्नता होने के कारण काफी भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि 'सिन्धु पानी सन्धि' का अनुसमर्थन अभी नहीं हुआ है।"

श्री वाजपेयी ने इसको विशेषाधिकार का प्रश्न माना है और कहा है कि यह मामला सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या प्रधान मंत्री वास्तविक स्थिति बतायेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैंने यह कहा था कि सरकार ने इसका अनुसमर्थन कर दिया है। मेरे विचार से इसका अनुसमर्थन २४ सितम्बर को हो गया था। ८ अक्तूबर को पाकिस्तान सरकार को सूचित कर दिया गया था कि हमने इसका अनुसमर्थन कर दिया है। इसमें कोई शक की जगह नहीं है। मैंने भी यही बताया था। किसी चीज का अनुसमर्थन एक बात है तथा 'अनुसमर्थन पत्रों' की अदला बदली एक दूसरी औपचारिक बात है। कुछ वजूहात से अभी ऐसा नहीं हुआ है। इस बारे में एक कठिनाई है।

सभा को याद होगा कि सन्धि बहुत बड़ी है, एक छपी हुई मोटी पुस्तक है। जब इस का अध्ययन किया गया तो पता लगा कि कई जगहों पर छापे की छोटी छोटी गलतियां रह गई हैं। हालांकि वे कोई महत्वपूर्ण नहीं थी, मामली चीजें थीं और इसीलिये अनुसमर्थन करते समय यह निर्णय किया गया कि इन छापे की गलतियों को ठीक करने के लिये पत्र-व्यवहार किया जाना चाहिये जिससे वह पत्र रिकार्ड में रहे कि हमने छापे की गलतियों का अनुसमर्थन नहीं किया है। 'अनुसमर्थन पत्रों' की अदला बदली में कुछ समय लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमने और पाकिस्तान ने केवल उसका अनुसमर्थन ही नहीं किया अपितु हमने पाकिस्तान सरकार को ८ अक्तूबर को इसकी सूचना भी भेज दी थी कि हमने अनुसमर्थन कर दिया है।

†**श्री गोरे** (पूना): यदि सन्धि का अनुसमर्थन कर दिया गया है तो इसका अभिप्राय यह है कि अनुच्छेद ५ के अनुसार १ नवम्बर, १९६० को पहली किस्त का भुगतान कर दिया गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह 'अनुसमर्थन पत्रों' की अदला बदली पर निर्भर करेगा तभी से अवधि मानी जायगी।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मेरा निवेदन है कि जब तक "अनुसमर्थन पत्रों" की अदला बदली नहीं होती तब तक सन्धि का अनुसमर्थन पूरा नहीं माना जाता है। इस मामल में अनुसमर्थन पत्रों की अदला बदली नहीं हुई है और फिर भी प्रधान मंत्री ने सभा को सूचित किया कि सन्धि का अनुसमर्थन हो गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि हमन उसका अनुसमर्थन कर दिया है और वस्तुतः पाकिस्तान सरकार ने भी उसका अनुसमर्थन कर दिया है। परन्तु पत्रों की अदला बदली एक औपचारिकता है जिसकी ओर संभवतया माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया है। इन पत्रों की अदला बदली औपचारिकता की बातें हैं, काम करने का ढंग है। यह औपचारिकता भी पूरी की जायेगी। अभी तक ऐसा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि छापे की कुछ गलतियां थीं जिनको हम पत्र-व्यवहार के द्वारा ठीक कर रहे थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री गोरे के प्रश्न का यह उत्तर है कि अनुसमर्थन पत्रों की अदला बदली के बाद से यह अवधि लागू होगी। इसलिये अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ।

†**श्री वाजपेयी** : भारत सरकार की ओर से तथा पाकिस्तान सरकार की ओर से कौन इस पर हस्ताक्षर करेगा क्योंकि समाचारपत्रों के समाचारों से पता लगता है कि अभी इसका ही निर्णय नहीं हो पाया है कि इस सन्धि पर कौन हस्ताक्षर करेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : समाचार पत्रों के सभी समाचार ठीक नहीं होते । यह रोज़मर्रा की बातें हैं और हमारी तरफ कोई दिक्कत नहीं है । परन्तु यह सवाल उठा था कि पाकिस्तान सरकार की ओर से इस पर कौन हस्ताक्षर करेगा क्योंकि वहां की सरकार का ढांचा हमारी सरकार के समान नहीं है । यह सवाल उठा था और मैं ठीक तरह से तो नहीं बता सकता परन्तु समझता हूं कि पाकिस्तान के प्रेज़ीडैंट इस पर हस्ताक्षर करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं स्थगन प्रस्ताव अथवा विशेषाधिकार प्रस्ताव को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। इस बारे में कुछ और बाकी नहीं रह जाता ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

†**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू तथा काश्मीर) : श्रीमान, आपने उस दिन बताया था कि आप 'टाइम' पत्रिका के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में मुझे बतायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस दिन माननीय सदस्य ने इसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और विशेषाधिकार का यह प्रस्ताव भी रखा था कि 'टाइम' नामक पत्रिका में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि अध्यक्ष ने, श्री तारिक 'एयर इंडिया इंटरनेशनल' के बारे में प्रकाशित एक 'क्रोशर' के बारे में आधे घंटे की जो चर्चा उठाई थी उसे इस कारण वापस लेने की अनुमति दी क्योंकि मैसर्स टाटा तथा अन्य व्यक्तियों ने इस बारे में अध्यक्ष से बात चीत की है । श्री तारिक ने अब यह मामला उठाया है ।

कल, टाइम के संवाददाता, जिन्हें "प्रेस दीर्घा" में आने की अनुमति दे दी गई है से मुझे एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि ग़लती से ऐसी बात पत्रिका में छप गई और अध्यक्ष पर आक्षेप करने का कोई विचार नहीं था । उन्होंने इस के लिए बिना शर्त माफी मांगी है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अब इस मामले को और आगे न बढ़ायें ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : जब उन्होंने अध्यक्ष महोदय पर आक्षेप किया तो इसकी सूचना 'टाइम' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी । सम्पादक की ओर से क्या आप मुझे यह आश्वासन देंगे कि उसी पत्रिका में संवाददाता का यह पत्र भी छापा जायेगा ? क्या आप उस पत्र को सभा पटल पर भी रखेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कल उस पत्र को सभा में पढ़ूंगा । और तब सभा का मत जानूंगा भविष्य में ऐसे मामलों को जब कभी कोई सदस्य यहां उठायें तो उसकी सूचना सचिव को दें ताकि मामले से सम्बंधित सभी पत्र सभा में मंगा कर रखे जा सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत और नेपाल के बीच व्यापार तथा पारगमन सम्बन्धी सन्धि

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं भारत सरकार और नैपाल नरेश की सरकार के बीच हुई व्यापार तथा पारगमन संबंधी सन्धि की एक प्रति सन्धि के मूल रूप (प्रोटोकोल) भारत और नेपाल की सरकारों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये पत्रों और पार जाने वाली वस्तुओं पर लागू होने वाली प्रक्रिया संबंधी ज्ञापन के साथ सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२४१९/६०]

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) छड़ों तथा सलाखों के परिवर्तन मूल्यों के पुनरीक्षण और पंजीबद्ध पुनर्वेल्लकों द्वारा उत्पादित इलैक्ट्रिक फर्नेस बिलेट्स के उचित धारण मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८) ।

(दो) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या एस० सी० (सी)-२(१८२)/५६ एक शुद्धि पत्र के साथ ।

(तीन) ऊपर (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में नियत अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों न रखी जा सकी इस के कारण बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२४२०/६०]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१)	अनुपूरक विवरण संख्या २ . .	ग्यारहवां सत्र, १९६०
(२)	अनुपूरक विवरण संख्या ७ .	दसवां सत्र, १९६०
(३)	अनुपूरक विवरण संख्या १०	नवां सत्र, १९५९
(४)	अनुपूरक विवरण संख्या १२ .	आठवां सत्र, १९५९
(५)	अनुपूरक विवरण संख्या १९	सातवां सत्र, १९५९
(६)	अनुपूरक विवरण संख्या १९	छठा सत्र, १९५८
(७)	अनुपूरक विवरण संख्या ३२ .	चौथा सत्र, १९५८
(८)	अनुपूरक विवरण संख्या २९ . .	तीसरा सत्र, १९५७

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या क्रमशः ३९ से ४६]

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राज्य निगम अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २७ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८४ में प्रकाशित राजस्थान चिकित्सा परिषद् आदेश, १९६० ।

(ख) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० के जी० एस० आर० ११२४ द्वारा संशोधित दिनांक १४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८९ में प्रकाशित बम्बई बोर्ड और आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली विभाग (पुनर्गठन) आदेश, १९६० ।

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९४ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल टी—२४२९, २४३० और २४३१/६०]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) आदेश

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक ३१ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २११६ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) आदेश, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२४३२/६०]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, और भारतीय आय-कर अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें तथा पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) समुद्रसीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

(क) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर०, १००८

(ख) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १००९

(ग) दिनांक १० सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०४५

(घ) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०६५

(ङ) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०६६

(च) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०६८

(छ) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०९९

(ज) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० ११००

(झ) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० ११०१

(ट) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० १२०८

(ठ) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० १२०९ ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०१३

(ख) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०१४

(ग) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११२८

(घ) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११६७

(ङ) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११८५ ।

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—

(क) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०९६

(ख) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११३२ ।

(४) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०११

(ख) दिनांक १० सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०४६

(ग) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०७०

(घ) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०७१

(ङ) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०७२

(च) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० ११०३

(छ) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११८४

(झ) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० १२१२

(५) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

(क) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १००६

(ख) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० ११७८

(६) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १९५६ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० १०४४ की एक प्रति।

(७) भारतीय आयं-कर अधिनियम, १९२२ के अन्तर्गत निकाली गयी दिनांक १५ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९० की एक प्रति।

(८) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल टी--२४३३, २४३४, २४३५, २४३६, २४३७, २४३८ तथा २४३९/६०।]

दिल्ली बिक्री कर नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू किये गये बंगाल वित्त बिक्री कर अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ सितम्बर, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३(४२)/६०–फिन (३) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी--२४४०/६०।]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकहत्तरवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इकहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

छप्पनवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन से, जो १५ नवम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न वह है कि :

"यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन से, जो १५ नवम्बर, १९६० को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समवाय संशोधन विधेयक—(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा समवाय संशोधन विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : ६ मई, १९५९ को समवाय संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखते समय मैंने सभा को संशोधन के कारण संक्षेप में बताये थे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस समय मैं यह बताने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता कि तत्कालीन वित्त मंत्री ने किन कारणों से श्री ए० वी० विश्वनाथ शास्त्री की अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी। संशोधन विधेयक की अधिकांश धारायें उसी समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं जिन्हें अनुभव के आधार पर थोड़ा बदल दिया गया है। वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के विचारों का भी समुचित ध्यान रखा गया है।

संयुक्त समिति ने, देश के विभिन्न वाणिज्यिक मंडलों, व्यापारिक संगठनों तथा अन्य निकायों की राय जानकर तथा उनके लिखित अथवा मौखिक ज्ञापनों पर विचार करने के बाद इस विधेयक के उपबन्धों का निरीक्षण किया है। समिति ने कुछ धाराओं को हटा देने तथा कुछ में रूपभेद करने के अलावा कई नयी धाराओं को जोड़ने और अन्य संशोधन करने का भी सुझाव दिया है जो सामान्य रूप से आनुषंगिक हैं परन्तु इस के उद्देश्य को और प्रभावपूर्ण बनाने वाले हैं। मूल विधेयक के २१२ खंडों में से ११ खंड हटा दिये गये हैं और १४ जोड़ दिये गये हैं। संशोधित विधेयक में अब कुल २१५ खंड हैं।

मूल विधेयक के खंड १३, २५, ३१, ३२, ३८, ४४, ४८, ५७, ५८, ७० तथा १२७ हटा दिये गये हैं। इन खंडों का सम्बन्ध छोटी चीजों से था जैसे शुल्क की [illegible] करने

---

†मूल अंग्रेज़ी में

के समय में परिवर्तन करना, बैठकों की पूर्व सूचना देना, बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखना आदि। संयुक्त समिति की राय में इन चीजों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी।

समिति ने खंड १८, १९, ४५, ४७, ७०, १२०, १२९, १३५, १३८, १५७, १६०, १६८, १८५ तथा २०६ जोड़े हैं। खण्ड ७०, १२०, १५७, १६८ तथा १८५ के संशोधनों का काफी महत्व है। अन्य संशोधन नीति सम्बन्धी न होकर केवल प्रक्रिया सम्बन्धी हैं।

खण्ड ७० में व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार विशेष लेखापरीक्षक की आज्ञा देगी, यह लेखापरीक्षा व्याप्ति तथा कोटि की दृष्टि से उस लेखापरीक्षा से नितान्त भिन्न होगी जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लेखे की हुआ करती है। यद्यपि खंड में यह व्यवस्था है कि यह विशेष लेखापरीक्षा योग्य चार्टर्ड लेखापाल ही करेगा परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह समवाय का लेखापरीक्षक ही हो। वास्तव में वह एक निरीक्षक के रूप में लेखे की पड़ताल करेगा न कि समवाय के लेखापरीक्षक के रूप में। अनुभव से हमें यह पता चला है कि समवायों में कुप्रबंध तभी शुरू होता है जबकि वे संदिग्ध वित्तीय या वाणिज्यिक चीजें अपनानें लगती हैं या प्रबन्ध के तदर्थ फैसलों से घोटाला शुरू हो जाता है। इन बातों से समवायों को इतनी क्षति पहुंचती है कि फिर वे संभल भी नहीं सकतीं। मुझे अलग अलग समवायों के कांड बताने की आवश्यकता नहीं। पंजीयकों तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामलों की जांच करवाने का जो अधिकार प्राप्त है वह समवाय अधिनियम की तत्संबंधी धाराओं की शर्तों तक ही सीमित है और हर मामले में उसका आश्रय शीघ्र ही नहीं लिया जा सकता है अतः सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि वह ऐसे मामलों में सूक्ष्म जांच कराये। इस खंड द्वारा सरकार को यह अधिकार भी मिल जाता है कि वह लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करे और वह यह भी कर सकती है कि यदि चार महीने के भीतर कार्यवाही न की जाय तो वह प्रतिवेदन से सम्बद्ध पैरे समवाय को भिजवा दे ताकि समवाय उन्हें शेयर होल्डरों में परिचालित कर दे।

धारा ३३२ में इस बात पर रोक लगायी गयी है कि १५-८-१९६० के बाद कोई भी प्रबंधक अभिकरण १० से ज्यादा समवायों का प्रबंध नहीं सम्भालेगा किन्तु इस रोक को प्रबंधक इस तरीके से टाल सकते हैं कि वे कुछ वर्ग बना लें और हरेक के पास १० समवायों का प्रबंध रहे; जिनके पास १० से अधिक का प्रबंध होगा वह उन समवायों को दूसरे वर्ग को सौंप देंगे। जहां सदस्य समान हों वहां भी शेयरों के अन्तरण से इस रोक को टाला जा सकता है। क्योंकि इन बातों से विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो सकता है इस कारण संयुक्त समिति ने इस दिशा में रोकथाम करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं। उन्हों ने प्रबंधक अभिकर्ता की परिभाषा में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि ऐसी चालाकी न हो सके।

संयुक्त समिति को यह भी बताया गया कि कुछ समवायों ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधियों को न तो डाकखाना बचत बैंकों में और न ही अनुसूचित बैंकों में जमा कराया है जैसा कि अधिनियम की धारा ४१८ द्वारा अपेक्षित है। यह भय भी व्यक्त किया गया कि इस प्रकार यदि समवाय भविष्य निधि का रुपया व्यापार में लगा कर अपना दीवाला निकाल दे तो वह रुपया भी जाता रहेगा। इस चीज की रोकथाम करने के लिए समिति ने सुझाव दिया है कि यदि कोई समवाय ऐसा काम करे तो प्रबंधकों को १००० रुपये तक के जुर्माने तथा कैद का दंड मिलना चाहिए। इस समय जुर्माने की अधिकतम राशि ५०० रुपया थी। खण्ड १५७ द्वारा धारा ४२० में संशोधन होगा।

[श्री कानूनगो]

दो नये खंडों अर्थात् खंड १६८ तथा १८५ का उद्देश्य कम्पनियों की समाप्ति के समय सरकारी समापक का काम आसान करना है। होता यह है कि जब सरकारी समापक नियुक्त किया जाता है तो उसे किसी ऋण या अन्य रकम की वसूली के लिए समवाय की ओर से दावा दायर करना पड़ता है ; परन्तु सामान्यतया जब तक वह दावा दायर करता है तब तक समय-सीमा या तो समाप्त हो चुकी होती है या होने को होती है । परिणामस्वरूप निक्षेपकों तथा अंशदाताओं के हितों को क्षति पहुंचती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए नया खंड १६८ जोड़ा जा रहा है जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि समय सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, समापन के आरम्भ की तारीख से लेकर समापन आदेश जारी होने तक की अवधि में एक वर्ष की अग्रेतर अवधि कार्यवाही के लिए शामिल की जायगी। खण्ड १८५ द्वारा यह अधिकार दिया जा रहा है कि उच्चतम-न्यायालय यह नियम बना सके कि समापक कतिपय निर्दिष्ट परिस्थितियों में तथा कुछ विषयों में, कतिपय सीमाओं के भीतर रहकर, निक्षेपकों के साथ कोई करार या संधि कर सके अथवा ऋण दाताओं के साथ भी ऋणों आदि के बारे में कुछ तय कर ले। आशा है कि इस उपबन्ध से समापक अपना काम शीघ्र कर सकेगा क्योंकि हर एक मामले में उसे न्यायालय का आदेश प्राप्त न करना पड़ेगा। इन उपबन्धों से न केवल समापन क्रिया ही शीघ्र सम्पन्न हो पाया करेगी अपितु यह इस दिशा में सही कदम भी है।

अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खंड १४ की ओर दिलाना चाहता हूं जो मूल खंड १५ के समकक्ष है। इस खंड का सम्बन्ध ऐसे प्राइवेट समवायों से है जिनकी प्रदत्त पंजी अन्य निगमित निकायों के हाथ में हों । इस खंड पर समिति में काफी विचार हुआ अनेक सुझाव दिये गये। एक सुझाव तो यह था कि पब्लिक तथा प्राइवेट समवायों का अन्तर ही दूर कर देना चाहिये और दोनों प्रकार के समवायों का समान जानकारी प्रकट कर देने के लिये कहा जाय। दूसरी राय यह थी कि जब किसी भी प्राइवेट कम्पनी के कुछ शेयर दूसरी पब्लिक कम्पनी के पास हों तो शेयरों की मात्रा के ध्यान को छोड़ कर, उस कम्पनी को पब्लिक कम्पनी ही समझा जाय और उस पर वैसा ही नियंत्रण किया जाय। काफी विचार विमर्श के बाद समिति इसी परिणाम पर पहुंची कि अभी इतने संशोधन करने का समय नहीं आया है। अतः समिति ने बीच का मार्ग अपना लिया और सिफारिश की है कि जिन प्राइवेट कम्पनियों के २५ प्रतिशत से अधिक शेयर किसी अन्य निगमित निकाय के हाथों में हों, उनको पब्लिक कम्पनियों की हैसियत से समझा जाय और उसी आधार पर कानून को लागू किया जाय। कठिनाइयों से बचने के लिये अपवाद के तौर पर कुछ अन्य चीजें भी की गई हैं। यह भी व्यवस्था की गई थी कि जब किसी कम्पनी की शेयर पूंजी दूसरी प्राइवेट कम्पनी या विदेशी कम्पनियों के हाथों में हो तो ऐसी कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी के रूप में न बदला जाय। स्वीकृत खंड में आगे यह व्यवस्था कर दी गई है कि जहां प्राइवेट कम्पनियों के पास २५ या उस से अधिक शेयर हों परन्तु प्राइवेट कम्पनी के व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या पचास से अधिक न हो (जो कि एक प्राइवेट कम्पनी के लिए अधिकतम संख्या है) तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट कम्पनी का अपना स्तर रहेगा। इसके अलावा प्राइवेट कम्पनी में अंशों के स्वामित्व के प्रतिशत की गणना के समय, मृत व्यक्तियों के प्रशासकों, या कार्यकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों के न्यासियों की हैसियत से बैंकिंग कम्पनियों के अंशों की गणना न होगी। इस से यह ज्ञात होगा कि पुनरीक्षित प्रारूप में जहां पर शास्त्री समिति के सुझावों को शामिल करने का प्रयास किया गया है, वहां वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने का भी पूरा पूरा यत्न किया गया है।

जहां तक वार्षिक सामान्य बैठकों का सम्बन्ध है, समिति ने इस बात को तो माना है कि वर्ष में एक सामान्य बैठक अवश्य होनी चाहिये, परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान व्यवस्था के फलस्वरूप नौ नौ महीने का अन्तर पड़ जाता है और रजिस्ट्रार की अनुमति से कभी कभी बीच में पन्द्रह पन्द्रह मास का अंतर भी आ ही जाता है इस कारण यह समय अधिक है और इतना लम्बा अर्सा बीच में नहीं पड़ना चाहिये। कई कम्पनियां अपना हिसाब शीघ्र छापती रही हैं अर्थात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने की बीच ही। संयुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि हिसाब किताब वार्षिक बैठक में अवश्य रखा जाना चाहिये और यह काम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के ६ मास के भीतर ही हो जाना चाहिये। इस उद्देश्य के लिए उन्हों ने धारा २१० के संशोधन का सुझाव दिया है। किन्तु कठिनाइयों से बचाने के लिये यह व्यवस्था भी की गई है कि रजिस्ट्रार इस अवधि को तीन महीने तक और बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। यह काम धारा १६६ को खंड ४२ द्वारा संशोधित कर के होगा। इन संशोधनों से जनता की यह शिकायत दूर हो जायेगी कि कम्पनियों के हिसाब सामान्यतया शेयर होल्डरों तक बहुत ही विलम्ब से पहुंचते हैं।

जहां तक समवायों के प्रबंधकों के मुआवजे का सम्बन्ध है समिति ने इस सिद्धान्त को अपनाया है कि निदेशकों या प्रबंधकों को जो भी मुआवजा दिया जाय चाहे वह किसी भी रूप में दिया जाय पर शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में उस की सीमा अवश्य ही निर्धारित की जाय। किन्तु कुछ उचित मामलों में कठिनाइयों को दूर करने के लिये खास कर छोटे समवायों के मामलों में यह व्यवस्था कर दी गई है कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति से सामान्य सीमा से अधिक अदायगी हो सकेगी। खण्ड १११ तथा १४५ में जो परिवर्तन किए गए हैं उनका उद्देश्य यही है।

खंड १११ में एक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जब कि भविश्य में निदेशकों को मासिक आधार पर शुल्क प्राप्त करने की अनुमति न दी जाय, पर जो लोग अब तक ऐसी प्राप्ति करते रहे हैं उन्हें इस अधिनियम के लागू होने के दो वर्ष बाद तक भी या उनकी पदावधि के शेष काल तक, जो भी कम हो, ऐसी प्राप्ति करने की अनुमति होगी। इसी के साथ समिति ने यह भी कहा है कि धारा ३६० में संशोधन किया जाय जिस का सम्बन्ध बन्ध अभिकर्ताओं तथा समवायों के पारस्परिक करारों से है। किसी वस्तु के संभरण तथा सेवा के निष्पादन के लिए न केवल सारे शेयर होल्डरों की बैठक से अनुमति ली जायेगी अपितु केन्द्रीय सरकार की अनुमति भी ली जायगी। पिछले अनुभव ने यही बताया है कि इस त्रुटि से प्रबन्धकों ने अपनी आय बढ़ाने का काम लिया है जिसके कारण कम्पनियों को हानि पहुंची है। खण्ड १३० में आवश्यक संशोधन की व्यवस्था की गई है।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जिस का सुझाव संयुक्त समिति ने दिया है, यह है कि शेयर होल्डरों को लाभांश देने के लिए लाभ निर्धारित करने से पूर्व स्थिर आस्तियों पर अवमूल्यन निधि की व्यवस्था की जाय। शास्त्री समिति की सिफारिश के अनुसरण में मूल विधेयक में यह उपबन्ध रखा गया था कि लाभांश तब तक घोषित नहीं किया जायगा जब तक कि आयकर अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत पहले सामान्य रीति से अवमूल्यन निधि का निर्धारण न हो जाय। समिति ने इस उपबन्ध को तनिक ढीला कर दिया है। खंड ५७ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह लोक हित में अवमूल्यन की व्यवस्था से पहले ही लाभांशघोषित करा दे। यह व्यवस्था कुछ एक मामलों में लाभदायक होगी। उदहरण के लिये यदि जो समवाय अभी काम कर ही रही है तथा जिसने अभी उत्पादन का पूरा काम आरंभ नहीं किया है, यदि उसे निर्धारित स्तर पर अवमूल्यन की व्यवस्था करनी पड़े तो शेयर होल्डरों को काफी देर तक लाभांश प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा करनी होगी।

[श्री कानूनगो]

समिति की यह राय भी है कि जिन मामलों में कोई समवाय संशोधन अधिनियम के पहले के वर्ष के लाभ से लाभांश दे उनमें अवमूल्यन की व्यवस्था के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये। समिति ने यह सिफारिश भी की है कि अवमूल्यन धन की गणना या तो उस रीति से की जाय जो आयकर अधिनियम में व्यवस्थित है या स्ट्रेट लाइन तरीके से की जाय अथवा किसी ऐसे मान्य तरीके से की जाय जो सुविधाजनक हो। इस समय इस विषय में ज्यादा बातें बतानें की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि बाद में सभी बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी।

एक और बात भी उल्लेखनीय है। यह तलपट के रूप के बारे में है जो अनुसूची ६ में दिया गया है। संशोधित खंड ६१ में जो मूल विधेयक के खंड ६६ के अनुरूप है, संयुक्त समिति ने अधिनियम की धारा २११ में उस प्रकार का संशोधन किया है जिससे कि एक समवाय अपने संतुलन पत्र को या तो अनुसूची ६ के अनुसार बना सकता है या उस तरह से भी बना सकता है जिस तरह से केन्द्रीय सरकार अनुमति प्रदान करे।

इस सुधार का आशय यह है कि हिसाब पेश करने के एक नये तरीके का भी प्रयोग किया जाय जो प्रचलित हारिजॉटल प्रणाली से दूसरे प्रकार का हो। हाल में इंग्लैंड की बड़ी बड़ी कम्पनियां अपने लेखों को वर्टिकल तरीके से पेश करती रही हैं। लेखापालों की राय में आधुनिक प्रणाली अधिक प्रभावपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण है। परन्तु मैं इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कम्पनियों पर यह प्रणाली लादी नहीं जायगी। इस व्यवस्था का लाभ यह होगा कि जो प्रगतिशील और ईमानदार कम्पनियां इस तरीके को अपनाना चाहेंगी वे अपना सकेंगी और सरकार उसे मान्यता प्रदान कर देगी।

जहां तक समवाय की शाखाओं के हिसाब के लेखापरीक्षण का सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध में विधेयक के, पुरःस्थापित किए गए रूप में, खण्ड ७५ द्वारा अधिनियम की धारा २२८ में संशोधन रखे गए थे, संयुक्त समिति ने उस खंड में धारा २२८ के सहायक मामलों के संबन्ध में सुझाए गये उपबन्धों का विस्तार किया है और संशोधित विधेयक के खण्ड ६८ और ६९ द्वारा धारा २२७ में तत्स्थानी संशोधनों के सुझाव दिए हैं। अब केन्द्रीय सरकार को यह प्राधिकार देने का विचार किया जा रहा है कि वह किसी भी शाखाकार्यालय को अनिवार्य लेखापरीक्षण से छूट दे सकेगी--- जहां कि परिस्थितियों के कारण एसी छूट आवश्यक हो। सरकार एसे नियम बनाएगी जिनमें उन परिस्थितियों का संकेत होगा जिनके अधीनस्थ इस उपबन्ध के अन्तर्गत छूट मंजूर की जाएगी।

संयुक्त समिति ने अधिनियम की धारा २५० का पुनरीक्षण किया है जिसमें पुरःस्थापित किए गए विधेयक के खण्ड ८४ द्वारा इस प्रकार संशोधन चाहा गया था कि निहित उद्देश्य स्पष्ट हो जाय। उस धारा के संशोधित विधेयक के खण्ड ७९ द्वारा प्रस्तावित पुनरीक्षित रूप के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को आदेश द्वारा अंशों से संबद्ध मताधिकारों के प्रयोग तथा उनके हस्तान्ततरण, जहां केन्द्रीय सरकार यह समझे कि ऐसे हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप, चाहे वह किया जा चुका हो अथवा किया जाने वाला हो, समवाय के प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन होने की संभावना हो और वह परिवर्तन लोकहित क विरुद्ध हो, पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति होगी। यद्यपि ऐसे आदेश के विरुद्ध तथा ऐंसे आदेश को रद्द करने से इन्कार के विरुद्ध न्यायालय में अपील का उपबन्ध है परन्तु यह निर्दिष्ट रूप से विनिहित कर दिया गया है कि अपील पर कोई आदेश जारी करने से पूर्व न्यायालय को केन्द्रीय सरकार को सुनवाई का अवसर अवश्य देना चाहिये। आशा है कि यह शक्ति अंशों के अवांछनीय निग्रहण अथवा नियंत्रण के अधिग्रहण जो लोकहित अथवा समवाय के हित के लिये हानिकर हो सकता है, को रोकने में सहायक होगी।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर संयुक्त समिति ने काफी विचार किया है सोल सेलिंग एजेण्टों की नियुक्ति हैं जिसके सम्बन्ध में मैंने विधेयक के संयुक्त समिति को निदश के समय यह बताया है कि कुछ समवायों के प्रबन्धक उसका दुर्पयोग करते हैं। इस विषय पर विधेयक के संशोधित खण्ड ९९ में माननीय सदस्यों को संयुक्त समिदि के विस्तृत प्रस्ताव मिलेंगे। मोटे तौर से पुनरीक्षित धारा का उद्देश्य यह स्पष्ट उपबन्ध कर देना है कि भविष्य में कोई भी सोल सेलिंग एजेण्ट एक बार में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये नियुक्त नहीं किया जाएगा औरइस शर्त के अधीन स्थ कि यदि अंशधारी अगली सामान्य बैठक में उसका अनुमोदन नहीं करते हैं तो वह नियुक्ति खत्म हो जाएगी, ऐसे मैनेजिंग एजेण्टों, जिन्होंने १९५६ के अधिनियम के लागू होने के पश्चात् अपनी मैनेजिंग एजेंसियों से त्यागपत्र दे दिया था, कि भूतपूर्व मैनेजिंग एजेंट अथवा किसी अन्य नाम से सोल सेलग एजेण्टों के रूप में की गई नियुक्तियां खत्म हो जायेंगी जब तक कि ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् छै महीनों के अन्दर न ले ली गई हो। जो व्यक्ति अथवा निकाय किसी समवाय की मैनेजिंग एजेंसी छोड़ चुका हो उसे एजेंसी छोड़ने के समय से तीन वर्षों के अन्दर सरकार के अनुमोदन के बिना सोल सेलिंग एजेंट नहीं नियुक्त किया जा सकेगा और सरकार को किसी भी सोल सेलिंग एजेंसी, चाहे उसे समवाय द्वारा किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, की निबन्धन तथा शर्तों के सम्बन्ध में समस्त संगत जानकारी मांगने और नियुक्ति की निबन्धन तथा शर्तों में संपरिवर्तन करने की शक्ति होगी यदि ऐसी निबन्धन तथा शर्तें समवाय के हित के लिये हानि कर समझी जाये। आशा है कि इन उपबन्धों से सोल सेलिंग एजेंटों की नियक्ति से सम्बन्धित कदाचार काफी हद तक दूर किए जा सकेंगे।

जहां तक मूल विधेयक के खण्ड १२४ का संबंध है, जिसमें किसी नियमित निकाय अथवा उसके सहायक निकाय की भविष्य में किसी समवाय द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध चाहा गया था, संयुक्त समिति ने प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकार करते हुए यह सिफारिश की है कि यह प्रतिबन्ध उन समवायों पर लागू नहीं होना चाहिए जिनमें संशोधन अधिनियम के लागू होने के तुरन्त पूर्व सहायक निकाय मैनेजिंग एजेंट नियुक्त थे। यह संशोधित विधेयक के खण्ड ११९ में विनिहित है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस संबंध में संयुक्त समिति ने संशोधित विधेयक के खण्ड १२३ द्वारा अधिनियम की धारा ३४६ में भी कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि यदि ऐसे सहायक मैनेजिंग एजेंट के सूत्रधारी समवाय के अंश किसी मान्य स्टाक एक्सचेंज में दर्ज हों तो सूत्रधारी समवाय के अंशों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन मैनेजिंग एजेंट के संगठन में परिवर्तन नहीं माना जाएगा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता हो जब तक कि केन्द्रीय सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदेश न करे। इससे धारा के क्रियान्वन की कठिनाइयां कम हो जायेंगी

एक ही प्रबन्धकवर्ग के अन्तर्गत समवायों द्वारा एक दूसरे को ऋण दिए जाने के प्रश्न के संबंध में, जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा ३७० में है, संयुक्त समिति ने "एक ही प्रबन्धक-वर्ग के अन्तर्गत" पद की व्याख्या को कुछ विस्तृत बना दिया है। इस संबंध में यह उपबन्ध किया गया हैं कि यदि उधार देने वाला समवाय किसी ऐसे सार्थ को, जिसका कोई हिस्सेदार एक ऐसा निगम निकाय है जिसका प्रबन्धकवर्ग वही है जो उधार देने वाले समवाय का है ऋण देती है अथवा उसके पक्ष में गारण्टी या प्रतिभूति देती है तो उस ऋण, गारण्टी अथवा प्रतिभूति पर इस धारा के प्रतिबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वे ऋण आदि एक

[उपाध्यक्ष महोदय]

ही प्रबन्धकवर्ग के अन्तर्गत समवाय द्वारा दिए गए हों। इस संशोधन का उद्देश्य हाल में देखी गई समवायों की उन सार्थों को ऋण देकर इस धारा के उपबन्धों से बचने की प्रवृत्ति को रोकना है जिनमें वे स्वयं अथवा एक ही प्रबन्धकवर्ग के अन्तर्गत अन्य समवाय हिस्सेदार हों। ऐसे ऋण आदि वर्तमान धारा के पर्यालोकन में नहीं आयेंगे यद्यपि उनके संबंध में भी वे कदाचार लागू होते हैं जो एक ही प्रबन्धकवर्ग के अन्तर्गत समवायों को दिए गए ऋणों के संबंध में पाये जाते हैं। साथ ही समिति ने यह वांछनीय समझा है कि समवायों से ऋणों आदि का रजिस्टर रखने के लिए कहा जाय जिस पर इस धारा के उपबन्ध लागू होंगे और उस रजिस्टर का अन्शधारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। सशोधित विधेयक के खंड १३३ में किए गए संपरिवर्तनों का उद्देश्य यही है।

संयुक्त समिति के अनेक सदस्यों ने एक ही प्रबन्धकवर्ग के अन्तर्गत अन्तर्समवाय विनि-योजनों के संबंध में चिन्ता व्यक्त की थी जिनसे संबंधित उपबन्धों में मूल विधेयक के खण्ड १३८ द्वारा संशोधन किया जाना था। समिति ने भली प्रकार सोच विचार करने के पश्चात संशोधित विधेयक के खण्ड १३६ में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तनों के सुझाव दिए हैं। वि-नियोजनों पर विनिहित प्रतिबन्ध अधिकार अंशों के रूप में किए गए विनियोजनों पर लागू नहीं होने चाहिएं जो अन्य अंशों में विनियोजनों से भिन्न स्तर के हैं और उनसे समवाय पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण अधिकार नहीं मिलता है; इस धारा द्वारा एक ही वर्ग को बाहर के समवायों में विनियोजननों पर लगाए गए प्रतिबन्धों को लागू करन में उन समवायों के ऋणपत्रों के रूप में विनियोजनों को हिसाब में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनसे समवायों पर नियंत्रण अधिकार नहीं मिलता है; इस धारा द्वारा आरोपित प्रतिबन्ध भारत का औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम जैसे समवायों के मामले में लागू नहीं होनी चाहिए जिनका मुख्य उद्देश्य ऋण देकर, अंश लेकर अथवा अंशों अथवा ऋणपत्रों के निर्गमन के अभिगोपन द्वारा अन्य समवायों का वित्तपोषण करना है; विनियोजन समवायों से अन्य समवायों की तरह अपने सन्तुलन पत्र के साथ अपने विनियोजनों का विवरण भी संलग्न करने के लिए कहा जाना चाहिये जिसमें एक अन्तर होगा कि वर्ष भर के दौरान में किए गए विनियोजन न दिखाए जाकर केवल संतुलन पत्र की तारीख के दिन की स्थिति दी जाएगी। समिति ने कुछ और भी छोटे छोटे संशोधनों का सुझाव दिया है परन्तु उनका उल्लेख करना मैं इस अवस्था में आवश्यक नहीं समझता हूं। मैं आशा करता हूं कि समिति द्वारा प्रस्तुत इस धारा का नया प्रारूप सभा को स्वीकार्य होगा।

मैं समिति द्वारा सुझाए गए केवल एक और संशोधन का निर्देश करूंगा। वह अधि-नियम की धारा ४११ से संबंधित ह जिसमें यह उपबन्ध है कि समवाय विधि मंत्रणा आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसमें निर्दिष्ट धाराओं के अन्तर्गत समस्त प्रार्थनापत्रों, धारा ४०८ और ४०९ के अन्तर्गत प्रार्थनापत्रों को सम्मिलित करते हुए, जो सख्ती अथवा कुप्रबन्ध अथवा समवाय के संचालक मण्डल में ऐसे परिवर्तनों, जो समवाय के हित के लिए हानिकर हों, कि शिकायतों से संबंधित हों, के संबंध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श दे। विभाग का यह अनुभव रहा है कि यदि धारा ४०८ अथवा ४०९ के अन्तर्गत दिया गया प्रत्येक प्रार्थनापत्र उन पर आदेश जारी किए जाने के पूर्व स्वयमेव आयोग को निर्दिष्ट किया जाना है तो इससे अनेक मामलों में, विशेषकर जबकि शिकायतें अत्यन्त साधारण हों, अनावश्यक कार्य बढ़ेगा और समय नष्ट होगा। प्रश्न के समस्त पहलुओं पर भली प्रकार विचार करने के पश्चात संयुक्त समिति ने इस धारा में ऐसे संशोधनों की सिफारिश की है (देखिए संशोधित विधेयक का खंड

१५४) जिनसे यह स्तष्ट हो जाये कि केन्द्रीय सरकार के लिए ऐसे प्रार्थनापत्रों का आयोग को निर्देश करना आवश्यक नहीं होगा यदि उसकी राय में वे अत्यन्त साधारण हो जिनमें कोई महत्वपूर्ण बात न हो और ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार अन्तरिम आदेश दे सकेगी परन्तु अंतिम आदेश आयोग की मंत्रणा पर विचार करने के पश्चात् ही जारी किया जा सकेगा।

मैंने विधेयक के महत्वपूर्ण खण्डों की व्याख्या करने में जो समय लिया है उस का कारण यह है कि मेरा विचार है कि उससे कालान्तर में इन खण्डों की विस्तृत जांच करने में सुविधा रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री अशोक मेहता** (मुज्जफरपुर): संयुक्त समिति ने मूल विधेयक में जो परिवर्तन किए हैं उनसे यह विधेयक काफी सुधर गया है। यह विधेयक इसलिए लाना पड़ा कि सरकार तथा समवायों ने कुछ कठिनाइयां अनुभव की थीं। इस विधेयक के परिणामस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन होंगे।

विधेयक के प्रारूप संबंधी दोष इस बात के प्रमाण हैं कि उनकी तैयारी ठीक तरह नहीं की जाती है। मेरा विचार है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयकों के संबंध में जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाना चाहिए। सभा को उनके संबंध में विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि उनमें किसी प्रकार की अस्पष्टता न रह जाय। हम देख चुके हैं कि शास्त्री समिति के प्रतिवेदन में यह संकेत किया है कि अनेक कठिनाइयां अस्पष्टता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभा इस संबंध में विचार करे।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या माननीय सदस्य कोई सुझाव दे सकते हैं?

†**श्री अशोक मेहता**: मैं इसके लिए तैयार हूं परन्तु इस समय वैसा नहीं करूंगा। अभी तो मैं केवल इस ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था।

मूल विधेयक को पारित हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है। परन्तु इस बीच में देश की स्थिति बदल गई है। स्वयं प्रधान मंत्री ने एक समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया है जो बढ़ती हुई आर्थिक असमानताओं की जांच करे। यदि हम अपने देश की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की ओर देखें तो पायेंगे कि चारों ओर कृत्रिम कमी का वातावरण है जिसमें हमारे उद्योग अधिकाधिक लाभ कमा रहे हैं। चूंकि उनके पास पैसा है इसलिए विकासशील अर्थ-व्यवस्था में उनका लाभ भी बढ़ता जा रहा है। हमारे आयोजन के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा है जिनमें कुछ उद्योगों को बहुत लाभ होगा। हम देखते हैं कि बहुत से समवाय चालू होने के पूर्व ही बहुत सा लाभ कमा लेते हैं। इस संबंध में मैंने अन्यत्र एक राष्ट्रीय विनियोजन निगम की स्थापना का सुझाव दिया था जिसमें छोटे छोटे विनियोजक अंश खरीद सकें और पूंजी लाभ कर सकें जो अभी थोड़े से उद्योगों और समवायों के हाथों में केन्द्रित है। अपने आर्थिक आयोजन से होने वाले पूंजी लाभ को अधिकाधिक व्यापक बनाने के लिए इस प्रकार का राष्ट्रीय निगम बहुत आवश्यक है। मेरा विचार है कि यदि पूंजीवाद को रखना ही है तो वह सार्वजनिक होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि प्रो० रंगा, श्री मसानी और प्रो० हीरेन मुकर्जी मेरी बात का समर्थन करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

दूसरी बात यह है कि प्रबन्ध व्यवस्था निस्संदेह बदल रही है। हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे ज्ञात होता है कि मैनेजिंग एजेंट खत्म करके नए संगठनों की स्थापना की जा रही है। परन्तु जो आंकड़े दिए गए हैं वे सर्वथा पूर्ण नहीं हैं। जिन २०० दृष्टान्तों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है उनमें से केवल १४३ या १४६ के संबंध में विश्लेषण दिया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि छोटे छोटे संगठनों में ही मैनेजिंग एजेंट खत्म हुए हैं जबकि बड़े बड़े संगठनों में वैसे ही बने हुए हैं। इसलिए इन आंकड़ों के आधार पर संतोष नहीं किया जा सकता है।

तीसरी समस्या है न्यायिक उदारता की जिसकी ओर समवाय अधिनियम के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन में ध्यान आकर्षित किया गया है। गत वर्ष के प्रतिवेदन में इस प्रकार की उदारता के अनेक उदाहरण दिऐ गए हैं। मैं उस प्रतिवेदन के पृष्ठ ७७ का निर्देश करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि एक मामले में एक समवाय पर एक संचालक के संबंधी को १२०० रुपए के वेतन के लाभपद पर नियुक्त करने के संबंध में आवश्यक संकल्प दो वर्ष तक पेश न करने और एक ही प्रबन्धकवर्ग के अन्तर्गत दूसरे समवाय को लगभग २ लाख रुपए के ऋण देने के कारण केवल एक रुपया जुर्माना किया गया जबकि नियम में गलती के दिनों के लिए प्रतिदिन २० रुपए के जुर्माने का उपबन्ध है। इस प्रकार के अनेक मामले हैं। अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसके संबंध में क्या किया जाना चाहिए? मेरा विचार है कि इसके लिए दो सुधार किए जा सकते हैं; एक तो समवाय विधि के प्रशासन के लिए संविहित निकाय की स्थापना और दूसरा प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की नियुक्ति। न्यायपालिका आर्थिक विधान की जटिलताओं को भली प्रकार समझने में असमर्थ है इसलिए किसी प्रकार की प्रशासकीय न्यायाधिकरण प्रणाली बनानी होगी।

इसके बाद मैं श्री मसानी के विमति टिप्पण का निर्देश करूंगा। उन्होंने अनेक आलोचनायें पेश की हैं। खण्ड ७० के संबंध में उन्होंने जो आलोचना की है उससे मैं असहमत नहीं हूं। फिर भी उन्होंने परित्राणों के लिए जो मांग की है वह किसी हद तक सारयुक्त कही जा सकती है। समवायों के विशेष लेखा-परीक्षकों के संबंध में कुछ परित्राण उपयोगी हो सकते हैं। परन्तु श्री मसानी ने जो तर्क पेश किए हैं उनको मैं ठीक नहीं समझता हूं। यदि वह मुझे अपना तर्क समझा सकें तो मैं उनकी इस मांग का समर्थन कर सकता हूं।

फिर श्री मसानी ने खण्ड ९९ के संबंध में यह कहा है कि सेलिंग एजेंटों की नियुक्ति की शर्तों का सरकार द्वारा निर्णय किया जाना बहुत हानिकारक होगा। मैं उनका ध्यान शास्त्री समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां भी बता देना आवश्यक है कि उक्त समिति में केवल एक सरकारी पदाधिकारी था। शेष सब सदस्य सुविख्यात गैर-सरकारी व्यक्ति थे जिनमें एक न्यायाधीश, दूसरा अभ्यर्थी एवं इस सभा का भूत-पूर्व सदस्य, तीसरी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का सभापति और चौथा एक प्रसिद्ध व्यवसायी। उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि मैनेजिंग एजेंटों की अपने पद से त्यागपत्र देकर सोल सेलिंग एजेंसियां लेने की अस्वस्थ प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सोल सेलिंग एजेंट सभी प्रकार की हरकतें करते हैं और अंशों के संबंध में संकट की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इस शरारत से बचाव करना होगा और हमें जागरूक रहना पड़ेगा

माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ऐसे मामलों के बारे में जानते हैं । ऐसे ही एक मामले की जांच भी चल रही है । बम्बई की एक बड़ी सूती कपड़ा मिल के विक्रय अभिकर्ताओं ने पूरे समवाय पर छा जाने की कोशिश की है । मुख्य विक्रय अभिकर्ता ने सहायक अभिकर्ताओं को शेयरधारी बना लिया है और इस प्रकार समवाय का काम अपने ढंग से चलाने की कोशिश की है । उन्होंने समवाय के प्रबन्धकों को शक्तिहीन बना दिया है । ऐसे एक नहीं अनेकों मामले सामने आये हैं । शायद इस अधिनियम को संशोधित कर के भी, उन की इस शरारत को नहीं रोका जा सकेगा । श्री मसानी इस के बारे में अधिक अनुभवी हैं, उन को बताना चाहिये कि इसे किस तरह रोका जाये ।

मेरी समझ में नहीं आता कि संयुक्त समिति ने अवक्षयण की गणना को इतना लचीला बनाना क्यों आवश्यक समझा । मेरा तो ख्याल है कि हम प्रोत्साहन देने में अति कर रहे हैं और देश की अर्थ-व्यवस्था पर इस का बुरा प्रभाव पड़ेगा । नीति बनाते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये लाभांश के वितरण का पूरी अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अवक्षयण निधि में जमा होने योग्य मुनाफे के वितरण से देश के पूंजी निर्माण में बाधा पड़ेगी ।

कदाचार के अनेकों मामले सामने आये हैं । अहमदाबाद के एक बहुत बड़े, पुराने और प्रसिद्ध समवाय का एक मामला आयोग के सामने है । उस के निदेशक-बोर्ड में बड़े बड़े लोग हैं । वह समवाय कई उद्योग चला रहा है । लम्बे अर्से तक समवाय के शेयरधारियों ने उन कदाचारों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उन को कोई सफलता नहीं मिली । शेयरधारियों को उस के लिये उच्च न्यायालय तक की शरण लेनी पड़ी थी, तब कहीं जा कर प्रशासन ने उस पर ध्यान देना शुरू किया । श्री मसानी ने कहा है कि नौकरशाही पगला रही है । लेकिन वाणिज्य व्यवसाय को पगलाने से कैसे रोका जायेगा ? हम नौकरशाही की हिमायत नहीं करते, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े वाणिज्यिक समवाय कुछ ढंग से काम कर रहे हैं कि उन को मनमानी करने के लिये खुली छूट नहीं दी जा सकती । इस के बारे में भी श्री मसानी की विमति टिप्पणी से कोई बात साफ़ नहीं होती । उन्होंने ट्रस्टीशिप का जो विचार रखा है, बड़े बड़े वाणिज्यिक समवाय व्यवहार में उस का पालन किस प्रकार करेंगे ?

मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि प्रशासन और मंत्रालय ने ५० मामलों में अधिक बढ़े हुए न्यूनतम पारिश्रमिक की मंजूरी दे दी है । इस का अर्थ यह है कि सरकार ने ५०,००० रुपये के पारिश्रमिक को बहुत कम समझा है । उसे बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसीलिये तो कि प्रबन्ध अभिकरण विशेष द्वारा प्रबन्धित समवायों को ५ लाख रुपये भी मुनाफा नहीं हो सका, जिस का दस प्रतिशत यानी ५०,००० रुपये, वह पारिश्रमिक के रूप में उस प्रबन्ध अभिकरण को दे सके । यदि प्रबन्ध अभिकरण इतना अकार्यक्षम है, तो उस का पारिश्रमिक बढ़ाने की फिर क्या आवश्यकता है ?

वार्षिक प्रतिवेदन में एक बड़े दिलचस्प मामले का उल्लेख है । एक समवाय विशेष ने निर्णय किया कि लाभांश नहीं दिया जायेगा, उस के बदले बोनस शेयर जारी कर दिये जायेंगे । कुछ समय बाद वह निर्णय बदल दिया गया और २० प्रतिशत लाभांश वितरित करने का निर्णय घोषित किया गया । लेकिन उसी बीच में १,८४,००० शेयर हस्तान्तरित कर दिये गये । इस तरह शेयरधारियों का शोषण किया जाता है । इस त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या किया है ?

वार्षिक प्रतिवेदन में अल्पसंख्यक शेयरधारियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं जुटाई गई अगले प्रतिवेदन में इस विषय से संबंधित एक अलग अध्याय होना चाहिये, जिस से कि हम अनुभव के आधार पर उस के सम्बन्ध में कोई ठीक निर्णय कर सकें ।

[श्री अशोक मेहता]

समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दे का प्रश्न हमारे लोकतन्त्र के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बड़े सिद्धान्त के व्यक्ति हैं। क्या वह यह पसन्द करेंगे कि कांग्रेस बड़े बड़े वाणिज्यिक समवायों के चन्दों के बल पर चुनाव जीते ? वह तो स्वयं कांग्रेस दल के लिये अहितकर है। मैं तो कहता हूं कि समवायों से चन्दा लिया ही नहीं जाना चाहिये। चन्दा व्यक्तियों से लिया जाना चाहिये। समवायों के निदेशकों को यह अधिकार होना ही नहीं चाहिये कि वे समवाय के मुनाफे का कोई भाग किसी राजनीतिक दल को चन्दे के रूप में दे सकें। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये बड़ी खतरनाक बात है।

मैंने कांग्रेस दल का नाम इसलिये लिया है कि कांग्रेस दल के सदस्य ही इस संशोधन के विरुद्ध हैं।

हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, शास्त्री जी, मंत्री होने के साथ-साथ, कांग्रेस दल के चुनावों के संगठनकर्ता भी हैं। मेरा उन से व्यक्तिगत अनुरोध है कि कांग्रेस दल के चुनाव-फण्ड के लिये वह बड़े बड़े समवायों के पास न जायें। क्या उन के बिना कांग्रेस को चुनाव जीतने की आशा नहीं ?

आशा है कि मेरा यह अनुरोध विफल नहीं जायेगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : पिछली बार जब यह संशोधन विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया था, तब मुझे बड़ी आशा बंधी थी कि सरकार देश में आर्थिक शक्ति का केंद्रीय-करण रोकने के लिये कोई प्रभावशाली कदम उठायेगी। लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई।

समवाय अधिनियम, १९५६ में पारित हुआ था। उस समय यह भय प्रकट किया था कि उस से संयुक्त स्कंध समवायों की प्रगति में बाधा आयेगी। लेकिन वह भय भी निर्मूल सिद्ध हुआ। प्रोफेसर बसु ने १९५८ में अपने एक अध्ययन में दिखाया था कि तब ३,९४४ प्रबन्ध अभिकरण ५,०५५ संयुक्त स्कंध समवायों का प्रबन्ध कर रहे थे। लेकिन इस से आम जनता की यह आशा भी विफल हो गई कि देश की अर्थ-व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जनता का नियंत्रण होगा।

१९५६ के इस अधिनियम का उद्देश्य यह था कि धीरे-धीरे प्रबन्ध अभिकरण प्रथा को खत्म कर दिया जाये। लेकिन उस के लिये इस विधेयक में कोई प्रभावशाली उपाय नहीं किया गया है। संयुक्त समिति ने जिन उपायों का सुझाव दिया है, उन से प्रबन्ध अभिकरण की प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकेगा।

धारा ३३२ का यह संशोधन अच्छा है कि १५ अगस्त, १९६० के बाद किसी भी प्रबन्ध अभिकर्ता को १० से अधिक समवायों का प्रबन्ध नहीं करने दिया जायेगा।

लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि धारा ३७० में भी ऐसा ही संशोधन क्यों न किया गया। पता नहीं संयुक्त समिति ने इस त्रुटि की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया।

अच्छा होता यदि संयुक्त समिति असार्वजनिक और लोक सीमित समवायों के प्रश्न पर अधिक गंभीरता से विचार करती। इसलिये कि देश में असार्वजनिक समवायों की संख्या १९५७–५८ में ८९६ से बढ़ कर १९५८–५९ में १,०३७ हो गई है। इस बीच में उन की अधिकृत पूंजी भी ४९ ९७ करोड़ से बढ़ कर २२५.६८ करोड़ रुपये हो गई है। जब कि लोक समवायों की संख्या १९५७–५८ में ६५ से घट कर १९५८–५९ में ५८ ही रह गई है। अब इन असार्वजनिक सीमित समवायों पर से कई प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं, और उन की संख्या अब बढ़ती जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

शास्त्री समिति न कहा था कि सार्वजनिक सीमित समवायों के लियेबनाया जाने वाला विधान सही ढंग के असार्वजनिक समवायों पर लागू नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन ऐसे सार्वजनिक समवाय साझेदारी से काम कर सकते हैं।

अब इस बात के काफी प्रमाण सामने आ चुके हैं कि कई असार्वजनिक समवाय बहुत से सार्वजनिक समवायों पर छाये हुए हैं।

उचित यही है कि सार्वजनिक समवायों पर लगाये जाने वाले सभी प्रतिबन्ध असार्वजनिक समवायों पर भी लागू किये जायें।

"दी इकोनोमिक वीकली" जैसी पत्रिका ने, जिस पर प्रगतिशील होने का संदेह भी नहीं किया जा सकता, मेरे इसी सुझाव का समर्थन किया है, १२ नवम्बर, १९६० के अंक में अपने सम्पादकीय द्वारा। उस के सम्पादकीय लेख में कहा गया है कि धारा ४३क को बड़ा उलझा दिया गया है। धारा ४ में भी शास्त्री समिति की स्पष्ट सिफारिश को अत्यन्त अस्पष्ट बना दिया गया है। संयुक्त समिति ने उसे जनता की समझ से बाहर कर दिया है, इतना बोझिल और उलझा हुआ रूप उसे दे दिया गया है।

हां मैं खण्ड ७० की व्यवस्था का स्वागत करता हूं। उस में विशेष लेखा-परीक्षा की व्यवस्था की गई है। यह जरूर है कि अब लेखा-परीक्षकों को अपना नया दायित्व समझना चाहिये। उन को बड़े-बड़े पूंजीपतियों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों को रोकना चाहिये। उन को अपने देश की अर्थ-व्यवस्था का भविष्य अपने सामने रख कर चलना चाहिये। लेखा-परीक्षकगण अब स्वयं इसे अनुभव कर रहे हैं। १९५६ के मई महीने में अधिकृत लेखापालों की संस्था का एक सम्मेलन लन्दन में हुआ था। उस के सभापति के अभिभाषण में कहा गया था कि लेखापालों का व्यवसाय सेवा करना है, समवायों के लेखों की त्रुटियों पर पर्दा डालना नहीं। हमारे वित्त मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि समवायों की अनिमितताओं को सामने लाने का दायित्व लेखापरीक्षकों पर है।

इसीलिये आवश्यक है कि सरकार भी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करे और लेखा परीक्षकों का एक अपना दल तैयार करे। सरकार को यह देखना चाहिये कि लेखा परीक्षक बड़े बड़े पूंजीपतियों और उन के समवायों की दया के आश्रित न रहें, उन को असुरक्षित न छोड़ दिया जाये। तभी वे ईमानदारी से अपना दायित्व निभा सकेंगे।

साथ ही समवाय विधि प्रशासन को भी समवायों द्वारा पेश की जाने वाली विवरणियों की जांच बड़ी सावधानी से करनी चाहिये। प्रशासन को अपनी शक्तियों का पूरा-पूरा प्रयोग करना चाहिये।

समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दे के प्रश्न पर इस सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। हमारे देश के न्यायालयों ने भी इस प्रथा को बुरा बताया है। देश की जनता भी इस के विरुद्ध है। अभी कुछ दिन पहले सभा में 'टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका पेश की गई थी। उस से पता चला था कि १९५७ में आम चुनाव के वर्ष में, टाटा कम्पनी ने कांग्रेस दल को १०,३०,००० रुपये चन्दे में दिये थे। न्यायाधीश छागला ने इस प्रथा के बारे में स्पष्ट कहा था कि यह प्रथा हमारे लोक तन्त्र के शिशु का गला घोंट डालेगी।

सरकार कहती है कि समवायों को ऐसे चन्दों की सूचना प्रकाशित करनी चाहिये। इतना काफी नहीं है। समवायों के प्रतिनिधि तो स्पष्ट कहते हैं कि कांग्रेस दल को चन्दा दे कर उस के बदले कुछ लाभ चाहते हैं। कांग्रेस भी यह नहीं कह सकती कि वह चन्दा तो लेती है, लेकिन उस के बदले में उन को कुछ लाभ देने की बात नहीं मानती। यही बात सभी राजनीतिक दलों पर लागू होती है। समवायों के निदेशक राजनीतिक दलों को चन्दे दे देते हैं, चाहे अल्पसंख्यक शेअरधारी उस के पक्ष में हों या नहीं। यदि उन को चन्दा देना ही है, तो उस के लिये अलग से चन्दा इकट्ठा करें, समवायों के मुनाफे में से

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

न दें । कार्मिक संघ अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि यदि राजनीतिक दलों को चन्दा देना हो तो, उस के लिये मजदूरों से एक विशेष चन्दा उघाया जाये, आम चन्दे में से न दिया जाये । इस कुप्रथा को बन्द किया जाना चाहिये । माननीय मंत्री को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

श्री मसानी ने अपनी विमति टिप्पणी में कहा है कि संयुक्त समिति ने संयुक्त स्कंध उपक्रमों की स्वायत्तता को सीमित बना दिया है। श्री मसानी जिस विचारधारा के समर्थक हैं, उसे देश की जनता ने ठुकरा दिया है । अब संयुक्त स्कंध समवायों की स्वायत्तता का जमाना नहीं रहा है । हो सकता है कि देश के राष्ट्रीयकृत उद्योग में बड़ी खामियां हों । लेकिन हमें उन को अधिक सक्षम बनाने की कोशिश करनी चाहिये । श्री मसानी को अपनी विचारधारा पर पुर्नविचार करना चाहिये । लेकिन शायद मेरी यह आशा पूरी नहीं होगी । मैं जानता हूं कि मेरी यह आशा भी पूरी नहीं होगी कि माननीय मंत्री समाजवादी समाज की रचना के लिये प्रभावशाली कदम उठायें । इसलिये कि समाजवाद के बारे में समूचे देश की जनता के एकमत होने पर भी, उन्होंने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है । आशा है कि कम से कम इस विषय में तो माननीय मंत्री संयुक्त समिति की सिफारिशों से कुछ आगे बढ़ेंगे ।

†**श्री मी० रू० मसानी** (रांची पूर्व) : संयुक्त स्कंध समवायों के संबंध में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो भी कहा उससे ऐसा ज्ञात होता था कि यह तरीका एक अनिवार्य बुराई की तरह है जिसको किसी प्रकार सहन किया जाना है । मैं इस प्रणाली के महत्व और उपादयता की ओर प्रकाश डालूंगा । इस समय हमारे सामने समस्या यह है कि इस प्रणाली को देश की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कैसे नियंत्रित और विकसित किया जाय ।

यह विधेयक शास्त्री समिति के नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन के फलस्वरूप प्रस्तुत किया गया है । तथापि समिति के निर्देशपद में जो विहित किया गया था उससे यह विधेयक कहीं व्यापक है । उसकी व्यापकता ऐसे सिद्धांतों का परिणाम है जिसके अनुसार हम सब इतने मूर्ख या दुष्ट हैं कि बिना समवाय विधेयक या पुलिस की सहायता से हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार यह प्रयत्न किया गया है कि धीरे धीरे इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय ।

संयुक्त पूंजी समवाय की परिभाषा क्या है । वस्तुतः संयुक्त पूंजी समवाय सहकारिता के सिद्धान्तों का उद्योग तथा वाणिज्य में प्रयोग करना है । जब देश के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि देश में अमुक वस्तु की कमी है और उन्हें उसकी मांग पूरी करनी चाहिये और यदि वे मांग पूरी करने में समर्थ हुए तो उन्हें लाभ होगा तब संयुक्त स्कंध समवाय की स्थापना होती है । इस दृष्टि से यदि हम इस विधेयक को देखें तो ज्ञात होगा कि इस विधेयक में कई ऐसी बातें हैं कि यदि उसको वर्तमान रूप में पारित किया गया तो इस से संयुक्त स्कंध उपक्रमों तथा देश के औद्योगिक विकास को हानि पहुंचने की ही अधिक संभावना है ।

उक्त सिद्धान्तों के अनुसार समवायों के अंशधारी समझदार और परिपक्व बुद्धि के व्यक्ति हैं वे अपने हितों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं अतः इस विधेयक के द्वारा उनके कार्यों के सम्बन्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप करना अनुचित है । संयुक्त समिति के समक्ष भी अंशधारियों की संस्था ने यह साक्ष्य दिया था कि वे सरकार के द्वारा अंशधारियों के हितों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं हैं । तथापि उनके द्वारा जिन संशोधनों के सुझाव दिये गये उन्हें अस्वीकार कर दिया गया ।

इस विधेयक में कितने अनावश्यक नियम रखे गये हैं इसे सिद्ध करने के लिये मैं आपका ध्यान खंड ७ की ओर दिलाना चाहता हूं । उसके अधीन यह कहा गया ह कि सरकार यदि कारणों से

†मूल अंग्रेजी में

संतुष्ट हो तो वह किसी भी समवाय की विशेष लेखा परीक्षा करवा सकती है। मेरे विचार से यह उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी संयुक्त स्कंध समवाय अपने मालिकों की सम्पत्ति है उस पर कुछ सरकारी अधिकारियों या मंत्री को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वे जब भी इस बात से संतुष्ट हो कि समवय का संचालन उचित तरीके से नहीं हो रहा है उसकी लेखा परीक्षा करवायें। वस्तुतः स्वतंत्र व्यवसाय का सिद्धान्त ही यह है कि व्यक्ति को अपनी पूंजी से लाभ या हानि उठाने की स्वतंत्रता दी जाए। अतः कुछ अधिकारी जो व्यवसाय के सिद्धान्तों से बिल्कुल अपरिचित हैं यह निर्णय नहीं कर सकते कि अमुक समवाय का संचालन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं इस प्रकार के निर्णय का अधिकार देना आपत्तिजनक है। कल को आप एक किसान से भी यह कह सकते हैं कि आप अपनी जमीन का उचित तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं अतः तुम्हें अपनी जमीन सहकारी फार्मों को दे देनी चाहिये। ऐसा करना संविधान का उल्लंघन करना है जिसके अधीन व्यक्तिगत सम्पत्ति को पूरी सुरक्षा प्राप्त है।

यह भी कहा गया है कि यदि यह ज्ञात होगा कि किसी समवाय का कार्य वाणिज्य उद्योग तथा राष्ट्र के लिये घातक है, तो उस समवाय के लेखाओं की भी परीक्षा हो सकती है। वस्तुतः यदि किसी समवाय के लेखाओं की परीक्षा की जायेगी तो इससे उस समवाय की प्रतिष्ठा पर गहरा धब्बा लगेगा और उसकी साख जाती रहेगी।

इसके सम्बन्ध में दूसरे परित्राण किये जा सकते हैं। पहिला यह है कि विशेष लेखा परीक्षा करने के पूर्व समवाय के निदेशकों को एक अवसर दीजिये और उन्हें बताइये कि यदि वे अमुक शिकायतों का उचित समाधान नहीं करेंगे तो उनके समवाय के लिये संविहित लेखा-परीक्षा की नियुक्ति की जायेगी। दूसरा परित्राण यह हो सकता है कि समवाय की संविहित लेखा परीक्षा हो जाने पर उसके प्रतिवेदन की एक प्रति समवाय को भी दी जाय जिससे कि वह अपने संबंध में हुए निर्णय से अवगत हो सके।

तीसरा परित्राण यह है कि सरकार के यह निर्णय कर लेने पर कि संविहित लेखा परीक्षा की जायेगी समवाय को यह अधिकार होना चाहिये कि वह न्यायालय में इसकी अपील कर सके कि क्या जांच किये जाने की वास्तव में आवश्यकता है।

अब मैं खंड ७९ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इसके द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अंशों को एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित करने पर रोक लगा सकती है। कारण यह बताया गया है कि यदि सरकार यह सोचती है कि ऐसा करना लोक हित के लिये घातक है तो वह अंशों के हस्तांतरण में रोक लगा सकती है। वस्तुतः यहां लोक हित में बाधा होने की बात पैदा ही नहीं होती है।

वर्तमान खंड के अधीन सरकार को यह अधिकार है कि अमुक अमुक शर्तों पर विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति की जाय। वह निविदा की शर्तें विहित कर सकती है, और वे ऐसी शर्तें विहित कर सकती है जिसके अनुसार समवाय अपना विक्रय अधिकारी नियुक्त करे। यह व्यापार में अनुचित हस्तक्षेप करने के बराबर है, क्योंकि विक्रय, प्रबन्ध और संचालन का एक अविच्छिन्न अंग है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे निर्यात की वृद्धि हो तथा हम अन्य देशों के साथ अपने व्यापार में प्रतियोगिता कर सकें तो इस क्षेत्र में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यह आभास दिया गया है कि इस उपबंध का लाभ उठा कर राज्य व्यापार निगम समवाय अधिनियम का उपयोग करेगा और सरकार समवायों से यह कह सकेगी कि उनके हित में यही अच्छा होगा कि वे राज्य व्यापार निगम को अपना विक्रय अभिकर्ता घोषित करें।

[श्री मी० रू० मसानी]

खंड १५४ के अधीन एक सलाहकार आयोग नियुक्त किया गया है। तथापि उसे पूर्ण शक्तियां न दे कर आंशिक शक्तियां सरकार को दी गई हैं। यह अनुचित है। क्योंकि इससे यह ज्ञात होता है कि सरकार को सलाहकार आयोग पर जिसे उन्होंने स्वयं ही नियुक्त किया है विश्वास नहीं है।

अब मैं राजनीतिक दलों के कोषों को चंदा देने सम्बन्धी विवादास्पद प्रश्न को लेता हूं। इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता ने मंत्री जी से लोकतंत्र के विकास तथा सच्ची राजमीति के नाम पर पुनर्विचार करने की अपील की है। वर्तमान स्थिति यह है कि कोई भी समवाय साधारण सभा की राय से किसी भी राजनैतिक दल के लिये जितनी चाहे उतनी राशि दे सकता है। खंड २९३ में कहा गया है कि समवाय के निदेशक को यह अधिकार है कि वह समवाय के विशुद्ध लाभ का ५ प्रतिशत या २५००० रु० बिना साधारण सभा की राय से किसी भी राजनैतिक दल को दे सकता है। मेरे विचार से ऐसा करना अंशधारियों के प्रति अन्याय करना है क्योंकि जब कोई समवाय अपना ज्ञापन प्रकाशित करता है तो उसमें यह कभी नहीं लिखता कि लाभ की अमुक राशि अमुक राजनैतिक दल को दे दी जायेगी, अतः ऐसा करना सरकार सरासर अंशधारियों के पैसे का दुरुपयोग करना है।

इस सम्बन्ध में मैं आप को अन्य लोकतंत्रात्मक देशों के उदाहरण देने का प्रयत्न करूंगा। ब्रिटेन में इस प्रकार समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान देने में कोई प्रतिबंध नहीं हैं, तथापि अभी हाल श्री गेट्सकिल ने यह मत प्रगट किया है कि इस पर रोक लगनी चाहिये। अमेरिका में किसी भी राजनैतिक आन्दोलन, समिति या कोष को निगमित निधियां देने पर प्रतिबन्ध है। वहां यह भी प्रतिबन्ध है कि व्यक्तिगत रूप से एक एक ही व्यक्ति एक वर्ष में एक राजनैतिक दल को ५००० डालर से अधिक नहीं दे सकता है।

वस्तुतः निगमित उपक्रमों की निधियों को राजनैतिक दलों के कोषों को नहीं दिया जाना चाहिये। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि ऐसा करना उस पूंजी को जो कि उत्पादन में लगायी जानी थी उसका गलत उपयोग करना है। दूसरा यह कि चंदे की राशि में दी गई रकम उपभोक्ता से वसूल की जायगी फल यह होगा कि इससे उपभोक्ता कीमत में वृद्धि होगी और कीमतों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा कारण यह है कि इसके द्वारा अल्प संख्यक अंशधारियों का रुपया उस दल को चला जायेगा जिस के वे पक्ष में नहीं हैं, वे यह नहीं कह सकते हैं कि कम से कम हमारे अंश का रुपया अमुक दल को न दिया जाय। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार का एक संशोधन पारित किया जाए कि अल्प संख्यक अंशधारियों को यह अधिकार हो कि वे अपने अंश का रुपया उस दल को दे सकें जिसके वे समर्थक हैं। चौथा कारण यह है कि इससे राजनैतिक दलबन्दियों का संयुक्त सम्बन्ध समवायों में भी प्रवेश हो जायेगा फल यह होगा कि दो राजनैतिक दलों के पक्षपाती एक दूसरे के लिये आन्दोलन प्रारम्भ कर देंगे। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जितनी राशि चाहे अपने पक्ष के राजनैतिक दल को दे सके, तथापि उसे यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये कि वह दूसरे अंशधारी का रुपया भी किसी ऐसे दल को दे जिसका वह समर्थक है।

हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले राज्य में रह रहे हैं। निसंदेह हमें स्वतंत्र व्यापार की आजादी है, तथापि सच्चे अर्थों में किसी भी उपक्रम का जीवन या मृत्यु सरकार के अधिकारियों या कुछ मंत्रियों के हाथों में है। इसी कारण पिछले चुनाव के दौरान कुछ समवायों से प्रति ट्रक या प्रति करघे के हिसाब से कांग्रेस दल ने चन्दा मांगा और कुछ न कुछ लाभ प्राप्ति की आशा से प्रत्येक समवाय को यह देना ही होता है।

श्री अशोक मेहता ने यह ठीक ही कहा है कि समवाय राजनैतिक दलों को इस कारण चन्दा नहीं देते कि वह किसी विशेष आदर्श के अनुयायी हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य रहता है और वह है लाभ कमाना अथवा उन्हें विवश हो कर चन्दा देना होता है। इस प्रकार निहित स्वार्थ वाले लोगों का गुट बन जाता है जो एक हो कर देश और समुदाय का शोषण करते हैं।

श्री छागला ने अपने एक निर्णय में वाणिज्यिक समवायों द्वारा दिये जाने वाले चन्दे के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि किसी बड़ी राशि को दिये जाने के पूर्व समवाय को न्यायालय की अनुमति ले लेनी चाहिये और दूसरी यह कि इस आशय का एक विज्ञापन दिया जाय कि अमुक राशि चन्दे के रूप में दी जायेगी जिससे कि सभी अंशध रियों को यह ज्ञात हो सके। विधेयक में केवल इतनी ही व्यवस्था की गई है कि संतुलन पत्र में इस चंदे का जिक्र रहेगा। संतुलन पत्र केवल वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रकाशित होता है और उसे केवल अंशधारी ही पढ़ते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से इस अवसर पर भी निवेदन करूंगा कि जैसे ही किसी समवाय का निदेशक बोर्ड किसी राजनैतिक दल को कुछ चन्दा देने का निश्चय करे तो उसकी सूचना विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को दी जाय। इससे सर्वसाधारण को ज्ञात हो जायेगा कि वास्तव में देश में पूंजीवादी संस्था कौन सी है जिसे पूंजीवादियों से अधिकतर चंदा प्राप्त होता है।

अतः सरकार को चाहिये कि हमने जिन संशोधनों को प्रस्तावित किया है वे स्वीकार कर लिये जांय। यदि सरकार उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती तो कोई भी व्यक्ति सर्वसाधारण को यह कहने से नहीं रोक सकता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पूंजीपतियों के चाटुकार हैं क्योंकि केवल उन्हीं का दल यह चाहता है कि निगमित निधियों का राजनैतिक दलों के लिये उपयोग किया जाय।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्वायंट कमेटी ने जो कम्पनी विधान के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की है और जिस पर आज इस सदन में बहस चल रही है, उस रिपोर्ट का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो कम्पनी एक्ट बानाया गया है वह इस उद्देश्य के लिये बनाया गया है कि कारखाने ठीक ढंग से चलें, वे देश जनता के हित में चलें, उनका मैनेजमेंट एफिशेंट और ईमानदार हो, अधिक उत्पादन हो, और अच्छी क्वालिटी का माल तैयार हो और देश की दौलत बढ़े। लेकिन इस कानून को बने हुये तकरीबन सौ बरस होने को आये हैं और तब से आज दिन तक इस कानून का उपयोग भी होता रहा है। गवर्नमेंट इस बात को समय समय पर महसूस भी करती रही है कि इस कानून को ईफैक्टिव बनाया जाये जिससे मिसमैनेजमेंट समाप्त हो जाता है। और इसका लाभ पूंजी लगाने वालों को, देश को और श्रमिकों को, सभी को बराबर मिले लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और यह एक चिन्ता का ही विषय है। ऐसे चन्द लोग हैं और उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उद्योग दूध देने वाली गाय उन्हीं के लिये बन गई है, ऐसा हमें अनुभव से देखने को मिला है। क्योंकि मिसमैनेजमेंट के सम्बन्ध में समय समय पर अक्सर शिकायतें गवर्नमेंट के सामने आती रही हैं। इस सम्बन्ध में जितनी भी कमेटियां कायम हुईं उनके सामने भी ये शिकायतें रखी गईं। मैं भी उन व्यक्तियों में से हूं जो समय समय पर गवर्नमेंट के सामने मिसमैनेजमेंट के उदहरण रखता रहा हूं। लेकिन नामालूम किन कारणों से गवर्नमेंट मजबूर थी और कोई एक्शन नहीं ले सकी।

मैं मानता हूं कि इस वक्त एमेंडिंग बिल कम्पनी कानून में जो पेश किया गया है, उसके लिये जो ज्वायंट कमेटी बैठी थी, उसके सामने भी एक खास चीज़ यही थी कि मिसमैनेजमेंट को कैसे रोका जाय और कम्पनी कानून को कैसे ईफैक्टिव बनाया जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस बिल में जितनी भी क्लाजिज़ हैं वे प्रोसीजरल नेचर की हैं। एक नई क्लाज़ इसमें डाली गई है और वह स्पेशल आडिटर्स मुकर्रर करने के बारे में है। जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

कम्पनी के हिसाब किताब की जांच कभी भी गवर्नमेंट करवा सकती है। यही एक महत्वपूर्ण क्लाज़ है। हमारे माननीय सदस्य श्री मसानी जी ने इसके विरोध में अपने नोट आफ डिसेंट में काफी कुछ लिखा है और दूसरे एम्पलायर्स लोग ज्वायंट कमेटी में थे और उसके सामने आए थे उन्होने भी काफी इसके बारे में विलाप किया है और ऐसा करना उनके लिये स्वाभाविक ही था। लेकिन मुझे डर लगता है और मुझे आशंका भी होती है कि क्या गवर्नमेंट जो यह नई क्लाज़ इसमें डाल रही है, इससे फायदा उठायेगी। यह बात न केवल शंका की दृष्टि से बल्कि अनुभव के आधार पर ही मैं कह रहा हूं। एसे उदाहरण हमारे सामने और मेरे सामने कितने ही आए हैं कम्पनी कानून के सम्बन्ध में जिनको कि गवर्नमेंट के सामने लाया गया है, लिखा गया है, चर्चा का विषय बनाया गया है लेकिन परिणाम आज दिन तक कुछ नहीं निकला है। मैं समझता हूं कि कप्पनी लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव आथोरिटी जो है, एम्पलायर के बजाय उसे ज्यादा ईफक्टिव बनाने की आज जरूरत है। सारी गड़बड़ी जो पैदा होती है वह वहीं होती है। जब इन गड़बड़ियों को उसके द्वारा रोका नहीं जाता है, इनको टाला जाता है तो फिर बाद में नौबत कारखाना-बन्दी की आती है, बेकारी की आती है, उत्पादन घटने की आती है और इस सब में नुक्सान देश का, गरीब जनता का होता है और फायदा अमीर का। मैंने बम्बई में एक मिल को देखा है जो कि मिसमनेजमेंट के कारण बन्द हुई और बन्द होने के बाद उसको बेचा गया। जितना भी कैपिटल उसमें लगाया गया था उससे भी ज्यादा कीमत में उसकी केवल जमीन बिकी। जो बिल्डिंग, मशीनरी, चूना, पत्थर इत्यादि बेचा गया है उसकी कीमत तो अलग से मिली लेकिन सारा का सारा कैपिटल जो उसमें लगा था उससे भी ज्यादा मालिकों को ज़मीन की कीमत से प्राप्त हो गया। इस वास्ते मैं समझता हूं कि स्पेशल आडिटर्स के बारे में जो क्लाज़ इसमें डाला गया है उसको अमल में लाना और उससे काम लेना गवर्नमेंट का काम है। वह सारी की सारी चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी गई है क्योंकि हमारे पहले कानून में भी ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें गवर्नमेंट के ज़रिये ही किया जा सकता था। मान लीजिये कि मुनाफा होने पर मैनेजिंग एजेन्ट्स, मेनेजिंग डाइरेक्टर या दूसरे डाइरेक्टर्स को १० परसेंट, ११ परसेंट और ७½ परसेंट मिल सकता है लेकिन अगर मुनाफा न हो तो मिनिमम ५०,००० रु० मिल सकता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो मुनाफा कम होने पर या नुकसान होने पर जो मिनिमम कमिशन ५०,००० का रखा है उससे भी अधिक लेने की मंजूरी दे सकती है। एक बैलेन्स शीट हमारे सामने है कारखाने की। उस में मैंने देखा कि सन् १९५७ में उसे लगभग १२ लाख रुपये का घाटा हुआ। लेकिन जो उसके डाइरेक्टर्स न थे उन्हें जो रकम कमीशन की मिली वह १ लाख २० हजार रु० थी। जब कि मिनिमम ५०,००० ही रक्खा गया है। ए डाइरेक्टर को २२ लाख के घाटे में भी ५४,०००, बी डाइरेक्टर को ३६,००० और सी डाइरेक्टर को ३०,०००। इस प्रकार से १ लाख २० हजार इन डाइरेक्टरों को दिया गया। मेरा यह निवेदन है कि गवर्नमेंट को यह अधिकार इसलिये दिया गया है कि कारखाना साउंड बेसिस पर चले, ईमानदारी स चले, और मिसमैनेजमेंट जहां हो वहां उत्पादन जनता को मिले और एम्प्लायीज़ को कम मिले। लेकिन यहां तो १२ लाख का घाटा हुआ, उस पर भी १ लाख २० हजार कमीशन में दे दिया गया। इस में क्या बात है इसे आप समझते हैं। कमीशन आप इसमें ५०,००० दे रहे हैं, आप इस को एक लाख भी कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप अगर कमीशन मैनेजिंग एजेन्ट को न भी दें तो भी उसे उस की चिन्ता नहीं है। चिन्ता तो दूसरे लोगों को होती है। मैं तो कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट स्पेशल आडिटर रक्खे जो कि जब चाहे चेकिंग कर सके, तो मैं इस काम को करने के लिये तयार हूं। एक कारखाना है जो कि नया बना और जब से वह बना तब से ही नुक्सान उठाता रहा। कई वर्ष तक बराबर वह नुक्सान उठाता रहा। मालिक ने वह कारखाना बन्द कर दिया। मैं यहां पर उद्योग मंत्री जी के पास आया और निवेदन किया कि यह जो नया कारखाना है वह चल सकता है, चूंकि इसको बंद कर दिया

गया है इसलिये मालिकों को मजबर किया जाना चाहिये कि वे उसे चलायें। वह कहने लगे कि हम क्या करें ? मैंने कहा कि उस को गवर्नमेंट चलाये, फिर भी वह कहने लगे कि इस में हम क्या करें ? मैंने कहा कि अच्छा, मैं चलाता हूं और प्राफिट पर चलाता हूं अगर गवर्नमेंट मंजूर करे उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में हेल्पलेस हूं। मैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब के पास गया, प्राइममिनिस्टर साहब के पास गया। लेकिन कुछ नहीं हो सका।

कारखाने में घाटा किस तरह से हुआ इस के भी कुछ फिगर्स मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। अगर गवर्नमेंट स्पेशल आडिटर मुकर्रर कर के जहां पर मर्ज हो वहां फौरन नश्तर लगाये तो कारखाना ठीक से चल सकता है और इस बिल का पूरा पूरा अमल हो सकता है। दो कारखाने एक ही स्थान पर हैं, एक बड़ा कारखाना है और एक छोटा कारखाना है। छोटे कारखाने की जो प्रोडक्शन कपैसिटी है बड़े कारखाने की कपेसिटी उस से दुगुनी से भी ज्यादा है। सारी चीजें एक ही तरह की लगती हैं, क्वालिटी एक ही है, मैटीरियल एक ही है। उनके फिगर्स मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और दिखलाना चाहता हूं कि कम्पनी ऐक्ट में जो गड़बड़ियां उत्पन्न होती हैं वे सारी मिसमैनेजमेंट के कारण उत्पन्न होती हैं। मैं बड़े कारखाने को ए कारखाना कहूंगा और छोटे कारखाने को बी कारखाना कहूंगा। ए पुराना कारखाना है और बी नया कारखाना है। ए कारखाने का प्रोडक्शन दूने से ज्यादा है वह चल रहा है और बी कारखाना बन्द हो गया। ए कारखाने में जो रुई खर्च होती है वह ११ आ० १.४१ पाई पर पाउंड की है और बी कारखाने में जो रुई स्तेमाल हुई उसी साल में वह थी १४ आ० १०.२ पाई पर पाउंड। एक पाउंड रुई पर ३ आ० ९ पाई का फर्क होता है। जहां तक बैलेंस शीट की बात है, आडिटर उसको आडिट करता है, रसीदें देख लीं, वाउचर देख लिये, उस पर दस्तखत भी हो गये, कम्पनी एक्ट के अनुसार तमाम हिसाब किताब बराबर है। रकम दिखला दी गई और वाउचर पर दस्तखत हो गये। इस समय गवर्नमेंट को यह देखना चाहिये कि जिस समय कारखाने के लिये रुई खरीदी गई उस समय किस काउन्ट की रुई खरीदी गई, और मार्केट का ट्रेंड क्या था, बाजार भाव क्या था। अगर इस तरह से एक पाउंड पर तीन आने ९ पाई का फर्क आ जाता है तो जिस कारखाने में लाखों पाउंड रुई का खर्च है वहां पर इसका उत्पादन खर्च पर क्या असर होगा ? यह तो एक साल का फर्क है। दूसरे साल का फर्क भी देखिये। ए कारखाने में रुई खरीदी गई १३ आ० ७ पाई पर पाउंड जब कि बी कारखाने में खरीदी गई १ रु० १ अ० २ पाई के हिसाब से। तीसरे साल ए कारखाने ने खरीदी १३ आ० ७.४ पाई पर पाउंड और बी कारखाने में खरीदी गई १ रु १० पाई पर पाउंड के हिसाब से। यह तो मैंने आपको रुई की बात बतलाई। इसी प्रकार से बिजली और पावर का खर्च भी है। ए कारखाना, जिसकी कपेसिटी बी कारखाने से दुगुनी से ज्यादा है, उस का बिजली का खर्च साल में आता है १४,२८० रु० ९ आ० ३ पाई और बी कारखाने का खर्च बिजली और पावर का आता है ३२,९३६ रु० ९ आ० १० पाई। जहां पर उत्पादन ज्यादा है वहां पर १४,००० के लगभग खर्च आता है और जहां पर उत्पादन कम है वहां पर ३२,००० के लगभग खर्च आता है। आखिर इसका मतलब क्या है ? इसका कोई तो कारण होना चाहिये, लेकिन इसको कौन देखे ? बैलेंस शीट, रसीद और वाउचर सब ठीक हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या ? सेठ जी के घर में लड़के की शादी थी, फिर लड़की की शादी थी। लड़के की शादी होने के कारण बड़ा भारी जुलुस निकलना चाहिये, सब जगह पर लाइट करनी है, सारा साज सामान करना है। सब कुछ कर लिया लेकिन खर्च डाला गया मिल के नाम पर। मिल के खर्च से लड़के और लड़की की शादी हुई है। सारी डिफ़ीकल्टी यह है जिसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

जब यह कारखाना बन्द हुआ तो मैं ने इसके लिये आन्दोलन चलाया क्योंकि गवर्नमेंट ने इस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर में हुआ क्या ? वह आन्दोलन सत्य और अहिंसा

[श्री राम सिंह भाई वर्मा]

के आधार पर इस तरह से चला कि छठवें दिन सेठ जी को हमसे समझौता करना पड़ा और उन्होंने कहा कि इस झगड़े को तय करने के लिये कोई आरबिट्रेटर मुकर्रर कर लिया जाय। मैं ने कहा कि मंजूर। टेक्सटाइल कमिश्नर को आरबिट्रेटर बना दिया गया। अगर वह ऐसा फैसला करेंगे कि एक भी मजदूर नहीं रहेगा या वह कहे कि उन का वेतन कम कर दिया जाय, तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं, लेकिन वह जो भी अपना फैसला दे उसे आप को भी मानना होगा। और कारखाना चालू करना होगा। टेक्स्टाइल कमिश्नर साहब ने आरबिट्रेशन दिया और फैसला दिया कि ३२ लाख रु० के लगभग जो सेठ जी ने नाजायज़ तौर पर लगाया है उस को कम्पनी को वापस किया जाय और जब तक कम्पनी प्राफिट नहीं करती है तब तक वे किसी तरह का कमिशन न लें। रामसिंह भाई जो हैं इन की सलाह से मैनेजमेंट को चलाया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे सेठ जी तो रवाना हो गये लेकिन उस जगह पर वह कारखाना आज भी प्राफिट कर रहा है। मेरे प्रदेश में इतना प्राफिट आज एक भी कारखाना नहीं कर रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दर्द कहीं होता है और मालिश कहीं और की जाती है। सवाल तो यह है कि जो प्वाइंट है उसे पकड़िए। मैं निवेदन करूं। एक बोनस का केस था। सेठ जी ने बताया कि कोई प्राफिट नहीं है इसलिए ट्राइबुनल के फारमूले के अनुसार मजदूरों को बोनस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जो फिगर रखे उनके अनुसार मजदूरों को बोनस नहीं मिल सकता था। उनके यहां एक टाइपिस्ट था जिसको गवर्नमेंट को दिखाने के लिए एक हिसाब रखना पड़ता था और अपने लिए दूसरा हिसाब रखना पड़ता था। जैसा कि मिनिट आफ डिस्सेंट में श्री तंगामणि जी ने कहा है केवल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ही नहीं है, एक परसनल सेक्टर भी है जो कि हर जगह चलता है। तो उस क्लर्क के पास जो सही हिसाब था उसको उसने कोर्ट के सामने पेश कर दिया। उस पर सेठ जी ने केस किया कि इसने हमारा हिसाब गायब कर दिया है। यह चीज़ गवर्नमेंट के सामने आयी। आखिर को सेठ जी से कह सुन कर केस को विदड्रा कराया, लेकिन जो हिसाब कोर्ट के सामने पेश किया गया था उसी के अनुसार मजदूरों को बोनस मिला। तो मेरा निवेदन मिसमैनेजमेंट के बारे में है। कई बार ये बातें मैं मिनिस्टर साहब के ध्यान में भी लाया हूं, लेकिन कहा जाता है कि हम देखते हैं, जांच करते हैं, और इस तरह वह मामला न जाने कहां गायब हो जाता है।

मैं आपको बैलेंसशीट के बारे में निवेदन करूं। एक कनसर्न का ३० जून को साल पूरा हो जाता है और उस दिन तक बैलेंसशीट पूरा समझा जाता है। अब ३० जून के बाद एक कारखाने में किसी प्रकार से दुर्घटना होती है, गोदाम का माल बिगड़ जाता है, सड़ जाता है और उस कारण उसकी वैल्यू में कमी हो जाती है। तो ३० जून तक का जो बैलेंसशीट है उसमें जो आगे के महीनों में कमी हुई है उसको दिखाया जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसा कानून कहीं भी नहीं है कि साल के क्लाजिंग और ओपिनिंग स्टाक में इस तरह से फर्क दिखाया जाए। लेकिन ऐसा किया जाता है। तो आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि यह एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटवाइज होना चाहिए जो कि हमारे यहां आज है नहीं। इसलिए जो भी बैलेंसशीट आते हैं उनमें इस तरह से हिसाब किताब में फर्क कर दिया जाता है और उसको कोई नहीं देखता।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। एक कम्पनी का बैलेंसशीट तैयार होता है और उसमें ३१ मार्च, १६५६ का क्लोजिंग स्टाक होता है। श्रीमान्, वह क्लाजिंग स्टाक ३१ मार्च, १६५६ का १ अप्रैल, १६५६ को किस तरह घट या बढ़ सकता है। रात के १२ बजे तक का क्लोजिंग स्टाक रात के १२ बजे के बाद दूसरे वर्ष नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसको बदल दिया जाता है और उसमें लाखों की कमी हो जाती है। यह चीज मेरी समझ में नहीं

आती । यह इस ख्याल से किया जाता है कि करेंट इअर में उनको फायदा दिखाना है या नुक्सान दिखाना है । अगले साल का ट्रेंड किस तरह का है उसे देख कर सारे का सारा हिसाब बनाया जाता है ।

१९४० में एक कोर्ट के अन्दर जब डिअरनेस एलाउंस का केस फाइल किया गया तो उसमें मिल ओनर्स ऐसोसिएशन के प्रेसीडें थे और नन्दा जी उस केस को प्लीड कर रहे थे और जब कोर्ट के सामने बैलेंशीट फायल किया गया और चर्चा की गयी तो मिल ओनर्स ऐसोसिएशन के प्रेसीडेंड कहते हैं कि यह तो हमारा अपना हिसाब है, हम जैसा चाहते हैं बैलेंशीट बनाते हैं, तो यह सारा कारो-बार इस तरह से चलता है । और बैलेंशीट तैयार होते हैं । इस प्रकार से एक साल नहीं, दो साल नहीं, लगातार कई सालों से होता आ रहा है । उस कम्पनी के क्लोजिंग स्टाक और ओपिनिंग स्टाक के अन्दर काफी फर्क रहा है । यह सारा काम मैनेजिंग डाइरेक्टर करते हैं और शेयरहोल्डर्स की बुरी हालत है । अधिकांश शेयर्स के ऊपर तो मैनेजिंग डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट और डाइरेक्टर कब्जा करके बैठे होते हैं । वही सब कुछ करने वाले हैं । फिर डिवीडेंड का सवाल आता है ।

मैं इस चीज का स्वागत करता हूं और मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्लाज आपने रखा है वह बहुत कीमती है । उसके ऊपर आपने ध्यान दिया तो मैं यह मानता हूं कि चाहे हम मिसमैनेजमेंट को बिल्कुल खत्म न कर सकें लेकिन हम उसको बहुत हद तक कम जरूर कर सकेंगे ।

दूसरा मेरा निवेदन वर्कर्स के सम्बन्ध में है । ५३० धारा के अन्दर कमेटी ने कुछ संशोधन किया है । और उसमें इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट के हिसाब से रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन और ले आफ कम्पेन्सेशन जोड़ दिया गया है । मूल कम्पनी ऐक्ट में यह रखा गया था कि अगर कोई कारखाना बन्द हो या लिक्विडेशन में जाए तो मजदूरों के वेतन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । लेकिन उसमें रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन और ले आफ कम्पेन्सेशन नहीं था । उस वक्त यह था कि वेतन की जितनी चार माह जितनी रकम हो या १००० हो । लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें ले आफ कम्पेन्सेशन और रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन की रकम को भी जोड़ दिया गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह जोड़ने पर फिर भी १००० रु० की रकम क्यों रखी गयी है । यह तो बहुत कम है और इससे मजदूरों को काफी नुक्सान होगा । मैं तो मानता हूं कि जो पहले १००० की रकम रखी गयी थी उसके हिसाब से भी मजदूरों को काफी नुक्सान हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से कहिए या सद्भाग्य से कि ऐसा मौका आया नहीं, और एक दो जगह आया भी तो उसके लिए आगे कोशिश की गयी । लेकिन अब सवाल यह है कि श्रमिकों के जीवन स्तर में फर्क पड़ गया है, उनके वेतनों में वृद्धि हो गयी है, डिअरनेस एलाउंस काफी बढ़ गया है । सन् १९५६ के अन्दर जब मूल कानून के अन्दर अमेंडमेंट किया गया उस वक्त जो वेतन और डिअरनेस एलाउंस था उससे ज्यादा बढ़ गया है । अभी टैक्सटाइल वेज बोर्ड की रिपोर्ट आयी, उसके अनुसार वेतनों में फर्क हुआ । सीमेंट वेज बोर्ड की रिपोर्ट आयी, उसके अनुसार वेतनों में फर्क हुआ । इसी तरह से हाल में शुगर इंडस्ट्री की रिपोर्ट आने वाली है, जूट इंडस्ट्री की रिपोर्ट आने वाली है, एक के बाद एक इस तरह की रिपोर्ट आने वाली हैं । उनसे वेतनों में फर्क पड़ेगा । लेकिन जो मुआवज़े की १००० की रकम पुराने जमाने में रखी गयी थी वही अब भी रखी गयी है यह मेरी समझ में नहीं आया । अब जो आप अमेंडमेंट करेंगे उसमें आप ले आफ कम्पेन्सेशन और रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन और जोड़ रहे हैं । मान लीजिये कि एक कारखाना बन्द हो और मान लीजिए कि किसी मजदूर की बीस साल की सरविस है तो बीस साल का कितना रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन और ले आफ कम्पेन्सेशन होगा । उसी हिसाब से आपको रकम निश्चित करनी चाहिए ।

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

अभी हमारे यहां एक कारखाना है। उसकी हालत बहुत डांवाडोल है। वह कभी भी बन्द हो सकता है। अगर वह गवर्नमेंट के भरोसे होता तो कभी का बन्द भी हो गया होता। लेकिन वह मजदूरों की मेहनत और ईमानदारी से अभी तक चल रहा है। तीन तीन चार चार महीनों से मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि घबराओ मत और काम बन्द न करो। मिल मालिक तो चाहता है कि मजदूर अपने आप काम बन्द कर दें तो उसे रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन न देना पड़े और ले आफ कम्पेन्सेशन न देना पड़े। लेकिन मैं तो मजदूरों से कहता हूं कि काम बन्द न करो। कारखानेदार इसलिए कारखाने को चला रहे थे कि उसे रिट्रेंचमेंट और ले आफ कम्पेन्सेशन न देना पड़े। बीस लाख रुपया प्रावीडेंट फंड का उस कारखाने वाले के पास जमा है। इसके अन्दर अमेंडमेंट है कि प्रावीडेंट फंड की रकम समय के ऊपर जमा करानी चाहिए।

यह अमेंडमेंट तो है और कानून भी है। पहले से भी आपकी कारपोरेशन का कानून है लेकिन महीने नहीं दो महीने नहीं साल नहीं दस साल नहीं आखिर यह क्या चीज है?

श्रीमान् ने नवम्बर ५८ में इस कारखाने के बारे में एक कमेटी मुकर्रर की थी और उस कमेटी की रिपोर्ट में यह बतलाया गया था कि ५ लाख रुपया प्राविडेंट फंड का कारखानेदारों ने जमा नहीं किया है और अब नवम्बर ६० में २० लाख रुपया जमा हो गया है। मेरा निवेदन है कि आप कानून बनाते हैं आप संशोधन करते हैं लेकिन आप उसके सही तौर से अमल होने का क्या इंतजाम करते हैं?

मेरा यह निवेदन है कि इस ऐक्ट की धारा ५३० के अन्दर जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें १००० रुपये की जो मुआविजे की रकम थी उसको वैसा का वैसा ही रक्खा गया है। इस मुआविजे की रकम को बढ़ाने की जरूरत है और मेरा सुझाव है कि वह रकम बढ़ा कर २००० कर दी जाय।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि अगर डैप्रीशिएशन न काटा जा सकता हो तो भी अगर केन्द्रीय सरकार वह चाहे तो डिवीडेंड बांटने का अधिकार दे सकती है, मेरी समझ में यह गलत है। डेप्रीशिएशन तो काटा ही जाना चाहिए। मैं यह बात मानता हूं कि गाय को चारा जरूर मिलते रहना चाहिए अगर हम दूध और बछड़ा चाहते हैं। डेप्रीशिएशन एक ऐसी जरूरी चीज है और डेप्रीशिएशन तो किसी भी हालत में काटा ही जाना चाहिए। सरकार को टैक्स और शेयरहोल्डर को डिवीडेंड न मिले तो भी कोई हर्ज नहीं लेकिन कारखाने को बरकरार बनाये रखना बहुत जरूरी है और यह भी देखना बहुत जरूरी है कि जो डेप्रीशिएशन निकाला जा रहा है उसका बराबर उपयोग होता है कि नहीं। हम यह खुद मानते हैं कि अगर कारखाने को डेप्रीशिएशन नहीं मिलता तो हम बोनस की मांग नहीं करेंगे। बोनस क्या चीज है? अगर प्रौफिट होता है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलना सारे देश और जनता को मिलना है। इसमें कोई एक मजदूर का सवाल नहीं है बल्कि सारे देश का सवाल आता है। इसी तरीके से डेप्रीशिएशन निकालना और कारखाने को बनाये रखना देश के उद्योग व्यवसाय को बढ़ाना है और उस को उन्नत करना है। लेकिन शेयर होल्डरों को १०० रुपये के ऊपर ६ रुपये न मिलें तो वह दुबले हो जाने वाले नहीं हैं लेकिन कारखानेदार अगर डेप्रीशिएशन नहीं निकालेंगे तो कारखाने बन्द हो जाने वाले हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर एक दो तीन नहीं बल्कि सैकड़ों कारखाने बन्द हो गये। लड़ाई के जमाने में अनाप शनाप प्राफिट इन लोगों ने किया। उस में से डेप्रीशिएशन तो निकाला नहीं है लेकिन डिवीडेंड १५० परसेंट तक बांट दिया। डेप्रीशिएशन न निकालते हुए ब्लाक की कीमत कम करते गये। इस से क्या होने को है। आज यह खराबी यूनिफार्म है। हमारे माननीय

मंत्री इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं लेकिन उस में यह कुछ आज भी पाने वाले नहीं हैं। मैं इन कारखानेदारों को बखूबी जानता हूं। उन की वही पुरानी बिल्डिंग है जिस में कि सांप बच्चे देते हैं और घुग्घू बोलते हैं। उन के पास पैसा नहीं है। मैं एक कारखाने की बाबत बतलाऊं कि एक कारखाने को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ने नई मशीनरी के लिये ८ लाख रुपया दिया था लेकिन उन्होंने वह तमाम रुपया तेल और डस्टर वगैरह में खत्म कर दिया और मशीनरी डाली ही नहीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह डेप्रीशिएशन प्रौफिट में से पहले गिना जाना चाहिये।

चौथी बात जिस की कि अभी यहां सदन् में थोड़ी चर्चा हुई वह पोलिटिकल पार्टीज़ को फंड्स देने के बारे में है। मुझे इस चीज का काफी कटु अनुभव हुआ है और हो रहा है। इस में किसी खास राजनैतिक पार्टी को रुपया मिलने का सवाल नहीं है मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस से कोई भी पार्टी बरी नहीं है सब को उन की शक्ति और काम के परिमाण में पैसा मिलता है। कोई भी देश की राजनैतिक पार्टी इस से बची नहीं है और सब को किसी को कम और किसी को ज्यादा पैसा मिलता रहता है। इस का इतना बुरा नतीजा हो रहा है कि कारखाने नुकसान कर रहे हैं और मैं ने देखा है कि लगभग कुछ ऐसे कारखाने हैं जो कि पोलिटिकल पार्टीज़ को तो २५ हजार या इस से कुछ अधिक रुपया देते हैं लेकिन मजदूरों को उन का वेतन का पैसा नहीं देते। अब इस में पोलिटिकल पार्टीज़ का ही सवाल नहीं है बल्कि ट्रेड यूनियंस का भी सवाल है। कुछ ट्रेड यूनियनें इसीलिये खत्म हो गईं कि मालिकों ने उन्हें अपनी जेब में डाल लिया और वे उन के हाथों बिक गई। अनुभव बतलाता है कि कोई भी अगर जरा मजदूरों के हक की बात करने लग जाय तो सेठ जी उस को अपने पास बुला लेते हैं और कहते तो यह हैं कि हम सब ठीक कर देंगे लेकिन होता यह है कि मजदूर बेचारे तो भगवान भरोसे रह जाते हैं और दुर्भाग्यवश सेठ जी रुपये के बल से उस का मुंह बन्द कर देते हैं और वह उन के हाथों बिक जाता है। मैं ने देखा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर ट्रेड यूनियन्स साउंड बेसिस पर नहीं चल पाईं और इस का कारण यह है कि इस तरह से उन को तोड़ा जाता है। जब उन्हें प्राफिट न होने पर भी मिनिमम ५०,००० रुपया मिलता है तो उस ५०,००० के अन्दर से १०,००० दे सकते हैं। मैं ने यह देखा कि गांधी स्मारक निधि में भी इन बड़े बड़े कारखानेदारों में से कितनों ही ने अपनी जेब से एक पैसा नहीं दिया लेकिन वह कारखानों से दिया और वाहवाही मालिकों को व्यक्तिगत मिलती है जबकि पैसा वह कारखाने में से देते हैं और वह पैसा मजदूरों का ही जाता है। मेरा यह निवेदन है कि पोलिटिकल पार्टीज़ हों या कोई भी हों, डोनेशन का सवाल आता है तो जैसा जिस की शक्ति हो डोनेशन दे लेकिन कारखाने में से मजदूरों का पैसा बतौर डोनेशन देना किसी तरह भी उचित नहीं है। मैं ने देखा है कि बहुत सी जगह एक खर्चा उस की ठीक जगह पर न लिखा जा कर दूसरी मद में लिखा जाता है। मैं नाम लेकर नहीं बतलाना चाहता लेकिन कई जगह इस तरह की गड़बड़ियां चलती हैं। आज जो हमारे कुछ नेता ट्रेड यूनियनों और कोआपरेटिव बेसिस पर कारखानों का मैनेजमेंट चलाये जाने का विरोध करते हैं तो वह जानते हैं कि अगर यह कारखाने प्राइवेट लोगों के पास किसी भी सेठ जी के पास रहते हैं तब तो उन को उन से डोनेशन मिल ही जायेगा लेकिन, अगर यह कारखाने कहीं राम सिंह भाई के पास चले गये तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिये वे गवर्नमेंट या इसी तरह की किसी कोआपरेटिव सोसाइटी के मातहत इन कारखानों का इंतजाम चलाने के विरुद्ध हैं।

अब वैसे तो यह कम्पनी ऐक्ट एक अथाह सागर है लेकिन मैं ने ज्वाएंट कमेटी की रिपोर्ट और जो अमेंडमेंट बिल आया है उस को देखते हुए कुछ जरूरी सुझाव सरकार के विचारार्थ पेश किये हैं और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे। यह मिस मैनेजमेंट की बात और स्पेशल औडिट की जो बात है उसे आप एफेक्टिव बनायेंगे। दूसरे धारा ५३० के अन्दर मुआविजे की रकम को १००० से बढ़ाकर २००० रुपये कर दें। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा कम्पनी ऐक्ट जो इस अमेंडिंग बिल के जरिए अमेंड किया जा रहा है इस के बारे में मैं दो, तीन तजवीज़ें हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

यह तो बात ठीक है कि यह जो हमारा मौजूदा सन् १९५६ का कम्पनी ऐक्ट है, हिन्दुस्तान में जब शुरू शुरू में सन् १८६५ में ज्वाएंट स्टौक कम्पनी ऐक्ट बनाया गया तो यह ज्यादातर उसी पर दारोमदार रखता था । कुछ समय गुजरने के बाद जो प्रैक्टिकल डिफ़कल्टीज़ आई उन को मद्देनजर रखते हुए तमाम कम्पनी ला को कंसौलिडेट करने के लिये सन् १९५६ में पहला ऐक्ट बनाया गया । इन ५, ६ सालों के तजुर्बे के बाद जो प्रेक्टिकल डिफ़कल्टीज़ आई और आये साल कम्पनी ला ऐड-मिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सालाना रिपोर्टें आती थीं उन रिपोर्टों की रोशनी में उन दिक्कतों और खामियों को दूर करने के लिए आज फिर इस ऐक्ट को अमेंड किया जा रहा है ।

इसलिए आज हमारे सामने सबसे अहम सवाल यह है कि इस ऐक्ट को एमेंड करने से क्या जो दिक्कत हमारे सामने हैं वे दूर हो जायेंगी ? और अगर वह दिक्कतें दूर नहीं होंगी और खामियां पूरी नहीं होंगी तो वह कौन सी चीजें हैं जो कि होने से बाकी रह गई हैं । हमें यह देखना है कि इस ऐक्ट को क्यों अमेंड किया जा रहा है? जैसा कि मैं ने आप से कहा कि इस ऐक्ट की वर्किंग में जो प्रैक्टिकल डिफ़-कल्टीज़ आई उन को मालूम करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई जो कि आमतौर पर शास्त्री कमेटी के नाम से पुकारी जाती है । उस कमेटी ने देश के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और उन प्रैक्टिकल डिफ़कल्टीज़ को मालूम करने की कोशिश की । जितनी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वे ज्यादातर उसी कमेटी की रिपोर्ट पर हो रही हैं । उस कमेटी का यह कहना है कि जन हित की दृष्टि से संयुक्त पूंजी समवायों पर सरकार का और अधिक नियंत्रण होना चाहिये । व्यवस्था और ईमानदारी का न्यूनतम स्तर तो कायम रखा ही रहना चाहिये । अब हम ने यह देखना है कि कमेटी का जो मकसद था, वह इस मौजूदा अमेंडिंग बिल से कहां तक पूरा होगा । सब से पहले मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि इस सिलसिले में क्या डिफ़िकल्टीज़ थीं । सालाना रिपोर्टें जो पेश की गईं, उन में भी इन बातों का ज़िक्र किया गया । सब से बड़ी डिफ़कल्टी यह थी कि पब्लिक कम्पनीज़ कुछ फ़ैसिलिटीज़ से एग्ज़ेम्प्टिड थीं, जो कि प्राइवेट कम्पनीज़ को मिली हुई थीं, इसलिए आम तौर पर यह टेंडेंसी थी कि पब्लिक कम्पनीज़ को प्राईवेट कम्पनीज़ में कनवर्ट किया जाता था । इस दिक्कत को दूर करने के लिये इस ऐक्ट को अमेंड किया जा रहा है । यह बड़ी खुशी की बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि सैक्शन १४ को अमेंड करने से कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन्ज लग जायेंगी ।

आडिटर का सवाल भी बड़ा अहम है । मुझ से पहले मेरे दोस्त, श्री राम सिंह भाई वर्मा, ने इस पर काफ़ी रोशनी डाली है । मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम यह चाहते हैं कि कम्पनीज़ का स्टैंडर्ड ऊंचा हो, तो कम्पनीज़ के एकाउन्ट्स और बैलैंसशीट पर पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस से हमारे बहुत से झगड़े ख़त्म हो सकते हैं और खास तौर से मालिकों और मजदूरों का जो झगड़ा है, वह काफ़ी हद तक निपटाया जा सकता है । मौजूदा लेबर एक्ट के तहत मज़दूरों को फ़ैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है और उन की तन्ख्वाहें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसलिये बनावटी तरीके से कम्पनियों को घाटे में दिखा कर सारा काम किया जाता है । अगर आडिटर्ज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाय, तो ये तमाम दिक्कतें दूर हो सकती हैं । इस बारे में एक नहीं हज़ारों किस्म की मिसालें पेश की जा सकती हैं और वे ऐसे कनसर्न्ज़ से ताल्लुक रखती हैं, जोकि हिन्दुस्तान के बिज़िनेस हाउसिज़ में से चोटी पर हैं । मैं उन तमाम बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि क्लाज़ ६६ के ज़रिये सैक्शन २४ को जो अमेंड किया जा रहा है, उस से हमारा यह मकसद पूरा नहीं होगा । इस को और ज्यादा सख्त करने की ज़रूरत है । इस को मद्देनज़र रखते हुए मैं ने एक अमेंडमेंट पेश की है । मुझे पूरा विश्वास हैं कि उस पर पूरा विचार होगा और उसको स्वीकार किया जायेगा ।

जहां तक एकाउंट्स का ताल्लुक है, उनको देखने के लिये और डाकुमेंट्स हासिल करने के लिये बड़ी दिक्कत आती थी। इस दिक्कत को दूर करने के लिये इस एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। इन तमाम बातों के लिये मैं मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि इस एक्ट के पास करने से कुछ न कुछ दिक्कतें ज़रूर दूर हो जायेंगी।

मैं हाउस के सामने तीन चार नई तजवीज़ें रखना चाहता हूं, जिन पर अमल करने की मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ज़रूरत ह अगर हो सके, तो इस बिल को पास करने से पहले उनको भी इस में शामिल किया जा सकता है।

मैं हाउस का ध्यान मौजूदा एक्ट के सैक्शन २७५ और ३१६ की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये सैक्शन्ज़ बहुत अहम हैं। इन सैक्शन्ज़ में इन बातों का ज़िक्र किया गया है कि डायरेक्टर्ज़ की क्या तादाद होनी चाहिये, एक आदमी कितनी कम्पनीज़ का मैनेजिंग एजेन्ट हो सकता है, उन के ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शन्ज़ होनी चाहियें। शास्त्री कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र किया हैं, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता हैं कि इन दो सैक्शन्ज़ को अमेंड करने के लिये न तो शास्त्री कमेटी ने सिफारिश की और न ज्वायंट कमेटी ने इस मसले पर विचार किया। इस रिपोर्ट में सफ़ा १०३ पर इस ओर इशारा किया गया है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश की तमाम दौलत इन इंडस्ट्रियल कनसर्न्ज़ के ज़रिये चन्द बड़े बड़े खानदानों में इकट्ठी हो रही है। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि डायरेक्टरशिप्स और मैनेजिंग एजेन्सीज़ पर जो कंट्रोल होना चाहिये वह इस वक्त मौजूद नहीं है। इस के बारे में मैं चन्द मिसालें भी हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि कमेटी का ध्यान इस तरफ़ नहीं गया है कि किस तरीके से चन्द बड़े बड़े खानदान तमाम इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, वर्ना इन सैक्शन्ज़ को भी अमेंड करने की ज़रूर कोशिश की जाती। मिसाल के तौर पर २५० इंडस्ट्रियल कनसर्न्ज़ को सिर्फ ९ लीडिंग ब्रिटिश मैनेजिंग हाउसिज कंटोल करते हैं। इसी तरीके से २२० इंडस्ट्रियल कनसर्न्ज़ को ११ इंडियन हाउसिज़ कंट्रोल करते हैं। यही १०० आदमी १७०० के करीब डायरेक्टरशिप की पोस्ट्स होल्ड करते हैं। १९५६ के इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन का भी यही मतलब था कि आय और सम्पत्ति की वर्तमान विषमता को दूर किया जाय। इसके लिये औद्योगिक एकाधिकार को कम किया जाना चाहिये। इसलिये मैं यह अपील करता हूं कि इन दो सैक्शन्ज़ को ज़रूर अमेंड किया जाये, क्योंकि ऐसा किये बग़ैर हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता है। इसके बारे में मैं एक आर्टिकल की तरफ इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। डा० एम० एम० मेहता ने अपनी किताब में एक जगह इसका जिक्र किया है और लिखा है कि आज हमारे देश का औद्योगिक भाग्य कुछ एक प्रमुख परिवारों के हाथ में है। जो देश के भाग्यविधाता बने बैठे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितने दुःख की बात है। मैं समझता हूं कि इन दो सैक्शन्ज़ को एमेंड करने की सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसा करने की कोशिश की जाए

तीसरी बात मैं फिक्टिशस शेयर्स के बारे में कहना चाहता हूं। इसका ज़िक्र जो सालाना रिपोर्टें हाउस के सामने पेश की गई हैं, उनमें भी किया गया है। एक सवाल मैंने पेश किया था और उसके जवाब में मुझे बताया गया था कि इस किस्म की बहुत सी कम्पनियां मौजूद हैं जिनके शेयर्स फिक्टिशस नामों से हैं, यानी शेयर किसी और के नाम से हैं और दरअसल में मालिक कोई और ही है। इस वास्ते इस ओर ध्यान देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा मैं समझता हूं कि जो बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं, उनके अन्दर जो मैलप्रैक्टिसिस चलती हैं, उनको नहीं रोका जा सकता है।

आखिर में मैं चंद लफ्ज डोनेशंस के बारे में कहना चाहता हूं। इसका हाउस में कई बार जिक्र आया है डोनेशंस का सवाल किसी एक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हिंदुस्तान की आम गरीब जनता पर बरा असर पड़े और वह

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

डिमारेलाइज़ हो। मैं ईमानदारी के साथ महसूस करता हूं कि जो डोनेशंस दिये जाते हैं ये पोलिटिकल पार्टीज़ को डिमारेलाइज़ करने के लिये दिये जाते हैं। इन पर जरूर रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिये। मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है और मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो उस पर इसका बुरा असर पड़ता है। उस पार्टी की, उस सरकार की जो पालिसी है, जो अ बजैक्टिव है, जो प्रोग्राम है, उसके अन्दर वे घुस कर उसको खराब करने की कोशिश करते हैं और इसको साबित करने के लिये कई मिसालें भी पेश की जा सकती हैं। लेकिन मैं मिसालें पेश करना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जो डोनेशन देने वाले हैं, जिस तरीके से वे अण्डर-हैंड मींस के जरिये से हमारी पालिसी और हमारे प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिये। इस वास्ते मैं च हता हूं कि इस किस्म की चीज़ों पर रोक लगाई जाए। यह बात इस वास्ते भी जरूरी है क्योंकि जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री रामसिंह भाई वर्मा जी ने कहा कि डोनेशन की रकम दरअसल में गरीब मजदूरों की कमाई का हिस्सा होता है और कोई भी मिल मालिक या कनसर्न अपनी जेब से, अपने परसनल मुनाफे में से एक पैसा भी डोनेशन के तौर पर नहीं देता है बल्कि और आगे बढ़ कर इस बात की जरूर कोशिश करता है कि दान अगर १०,००० का दिया गया हो तो कागजात के अन्दर एक लाख दिखलाया जाए ताकि नव्वे हजार रुपया नाजायज़ तौर पर उसकी पाकेट में जा सके। इसके बारे में मिसालें भी पेश की जा सकती हैं लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। इस वास्ते इस तरफ ध्यान देना भी बहुत लाजिमी है।

मैं समझता हूं कि जो दो तीन बातें मैंने आपके स मने रखी हैं उनकी तरफ जरूर ध्यान दिया जाएगा और जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। मैंने कहा है कि जहां तक प्राइवेट कम्पनियों का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल तौर पर प्राइवेट और पब्लिक कम्पनीज़ में कोई फर्क नहीं होना चाहिये और तमाम एग्जेम्पशंस, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस जो पब्लिक कम्पनीज़ पर लागू होती हैं, प्राइवेट कम्पनीज़ पर भी लागू होनी चाहियें। दूसरी बात मैंने आडिटर्ज के बारे में कही है कि उनकी एप्वाइंटमेंट्स का काम, हिसाब किताब चैक करने का काम, बैलेंस शीट्स को कंट्रोल करने का काम ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिये और मौजूदा सैक्शन को इस ढंग से एमेंड किया जाना चाहिये जिससे बैलेंस शीट्स में कम से कम गड़बड़ी हो। मैं आशा करता हूं कि मेरी इन सजैशंस पर गवर्नमेंट जरूर ध्यान देगी।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैं संयुक्त समिति का सदस्य था। संयुक्त समिति ने इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये पूरे एक वर्ष का समय लिया है। वहां बहुत से संशोधन प्रस्तुत हुये थे। बहुत से खंड तो निर्विवाद ही थे और कुछ विषय विवादस्पद भी थे। श्री ही० ना० मुकर्जी ने इस सम्बन्ध में चार पांच महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मैंने वहां जो अपना विरोध टिप्पण प्रस्तुत किया था, वहां मैंने जो बातें कही हैं उन्हीं का उल्लेख मैं संक्षेप में अब करूंगा।

मेरा निवेदन है कि यदि यह विधेयक संयुक्त समिति द्वारा उसी रूप में वापिस आ जाता जिस रूप में कि इसे मई १९५९ में प्रस्तुत किया गया था तो उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती जिस उद्देश्य से कि इसे पुरःस्थापित किया गया है। उस समय यह कहा गया था कि विशेष समिति की सिफारिशों के कारण इसमें कुछ संशोधन बड़े आवश्यक हो गये हैं। यह विशेष समिति श्री शास्त्री के सभापतित्व में स्थापित की गयी थी। इस समिति की सिफारिशों को विधेयक में सम्मिलित करके विधेयक का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। हो सकता है कि ऐसे हालात हों कि इसमें और अधिक संशोधन करने पड़ें। जो कि इस विधेयक के लिय सुसंगत न हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक के मूल खण्ड १५ में ४३क समवाय की परिभाषा की गयी है। वर्तमान खण्ड १४ जो खण्ड १५ में संशोधन करने वाला है अधिक भद्दा हो गया है। इसके अतिरिक्त खण्ड ३ आता है। यह मल विधेयक की तरह ही है परन्तु उसमें कुछ संशोधन किया गया है इससे यह और स्पष्ट हो गया है। असार्वजनिक समवायों तथा लोक समवायों का अन्तर धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। खण्ड ७० का, जिसमें विशेष लेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है, मैं स्वागत करता हूं।

इस बात का भी कोई कारण नहीं बताया गया कि सभापति के भाषण तथा कार्यवाही के सारांश को समवाय के खर्चे से परिचालित करने सम्बन्धी खण्ड को क्यों निकाल दिया गया है। इसका कुछ कारण नहीं बताया गया और मैंने इस खण्ड को इस प्रकार निकाल देने के लिये अपना विरोध प्रकट किया है।

मूल विधेयक के खण्ड १७९, जो कि संशोधन विधेयक का खण्ड १८१ है, के अन्तर्गत व्यवस्था यह है कि यदि किसी समवाय को बन्द करने का निर्णय किया जाय तो मजदूरों को छटनी का १००० रुपया प्रतिकर दिया जाना चाहिय। मेरा अनुरोध है कि इस प्रतिकर को बढ़ा कर १५०० कर देना चाहिये। आशा है कि सभा इसे अवश्य ही स्वीकार कर लेगी। क्योंकि इसे स्वीकार कर लेने से ही इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

राजनीतिक दलों को चन्दा देने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इन दलों को दिये गये चन्दे को सन्तुलन पत्र में प्रकाशित करने मात्र से न्याय नहीं होगा। शुद्ध लाभ का ५ प्रतिशत तक चन्दा देने के लिये निदेशक बोर्ड को जो व्यापक अधिकार दिया जा रहा है, इसका परिणाम यह होगा कि अंश-धारियों का गला काट कर कितनी ही राशि चन्दे के रूप में देने का द्वार खुल जायगा। कलकत्ता तथा बम्बई उच्च यायालय के न्यायाधीशों ने भी इस दिशा में इसी प्रकार क: मत व्यक्त किया है। संयुक्त समिति के सामने भी कुछ गवाहों ने इसी प्रकार की गवाही दी है।

अगली बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं वह मैनेजिंग एजेण्ट्स के बारे में है। यह बात कि मैनेजिंग एजेण्ट अपने को एकमात्र बिक्री एजेण्ट में बदल रहे हैं, यह बताती है कि जो प्रतिबन्ध बड़े व्यापारों पर लगाये जा रहे हैं, उनकी उन पर क्या प्र क्रिया होती है। वर्तमान प्रतिबन्धों से अधिक लाभ नहीं होगा और यह त्रुटियों पर नियन्त्रण करने में प्रभावी सिद्ध नहीं होंगे। अतः मैनेजिंग एजण्ट्स के अधिकारों पर प्रतिबन्ध अधिक लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। इसी प्रकार अवेक्षयण के लिये धन निकाले बिना लाभांशों का भुगतान करने के लिये खण्ड ५७ में जो उपबन्ध है वह उचित नहीं कहे जा सकते।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जो भी संशोधन किये गये हैं, उनमें कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे। अतः मुझ आशा है कि उन उपबन्धों को विधेयक से निकाल दिया जायगा जिनका कि प्रभाव बुरा होने की सम्भावना हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर बहस के दौरान मैं न सिर्फ़ उन सवालात को उठाया गया है, जोकि इस बिल से डायरेक्टली ताल्लुक रखते हैं, बल्कि कई मेम्बर साहबान ने तो इस डिस्कशन को इतना वाइड कर दिया है कि उन्हों ने इस किस्म के सवाल उठाये हैं कि गवर्नमेंट किस दायरे में काम कर सकती है, या कम्पनी को किस दायरे में काम करना चाहिये, या जो आदमियों के फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वे कम्पनीज़ के भी राइट्स हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। मसानी साहब की चन्द एक आर्ग्युमेंट्स को सुन कर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ। अगर उन आर्ग्युमेंट्स को मैं लाजिकली देखूं, तो मुझे नज़र आता है कि गवर्नमेंट को कोई हक नहीं

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

है कि वह किसी इन्सान के खिलाफ कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सके, इन्सान आज़ाद पैदा हुआ है, उस को परमात्मा ने बहुत सी पावर्ज़ दीं, जो उस में नैचुरल हैं और उन के साथ खेलना, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना शायद नैचुरल लाज़ के खिलाफ है और कुछ फ़ंडामेंटल उसूलों के खिलाफ है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इंडियन पीनल कोड में दफ़ा ३०९ बना दी है, जिस के तहत उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उस को कैद किया जा सकता है, जोकि मरना चाहता है, जो जिन्दा नहीं रहना चाहता है। ऐसा इन्तज़ाम किया गया है कि वह मर न सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो वे पाबन्दियां भी हटाई जा रही हैं आम मुल्कों में।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस हाउस में एक बिल आया था, जिस को निप इन दि बड कर दिया गया। उस को इंट्रोड्यूस करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह से और सोशल लाज़ भी बनाये गये हैं। हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ने यह कानून बनाया है कि कोई आदमी पब्लिक में शराब न पी सके और खुले-आम शराब न बेची जा सके। क्या हर्ज है अगर कोई शख़्स पब्लिक में अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है ? इस गवर्नमेंट ने औरतों के अपने जिस्म को इस्तेमाल करने के बरखिलाफ़ भी सख़्त कदम उठाये हैं, जिस से कोई औरत अपने जिस्म को इस्तेमाल न कर सके। क्या श्री मसानी साहब इन बातों में भी वही आबजेक्शन करना चाहते हैं, जोकि उन्हों ने अभी इस बिल के सिलसिले में पेश की हैं ?

आज अगर गवर्नमेंट यह रेस्ट्रिक्शन लगाये कि फ़लां शख़्स सैलिंग एजेन्ट न बन सके, या उस की टर्म्ज़ एंड कन्डीशन्ज़ को चेंज कर दे, या कई सैलिंग एजेन्ट्स के बजाय एक सैलिंग एजेन्ट्स मुकर्रर कर दे, तो श्री मसानी की राय में यह कम्पनीज़ के प्राइवेट राइट्स के साथ खेलना है। उन के मुताबिक कोई वजह नहीं है कि कम्पनीज़ जो चाहे न कर सकें और गवर्नमेंट उन के मामलात में दखल दे।

कम्पनी एक ऐसी बाडी है, जो इंडिविजुअल्ज़ की काम्बीनेशन है। अगर इंडिविजुअल्ज़ को कुछ फ़ंडामेंटल राइट्स हासिल हैं, तो फिर वही राइट्स कम्पनीज़ को क्यों न हासिल हों ? हर एक इन्सान को प्राईवेट प्रापर्टी का राइट हासिल है कि वह अपनी जायदाद को बेच सकता है, कुएं में डाल सकता है, बर्बाद कर सकता है, फिर भी गवर्नमेंट उस में दखल नहीं दे सकती है। अगर यह फंडामेन्टल राइट है, तो श्री मसानी क्यों कहते हैं कि किसी कम्पनी को किसी पार्टी को चन्दा देने का हक नहीं है। अगर यह इन्सान का हक है, तो फिर क्या सवाल है कि कोई कम्पनी किसी पोलीटिकल पार्टी को दिल खोल कर न दे सके ? दरअस्ल ये आर्ग्युमेंट्स एक दूसरे के कंट्रेरी हैं, एक दूसरे के बरखिलाफ हैं। अगर यह उसूल सही है कि कम्पनीज़ के मामलों में गवर्नमेंट को दखल नहीं देना चाहिये, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जितने भी बाकी एतराज़ात हैं, वे खत्म हो जाते हैं। आदमियों के मामले में हम ने यह ख्याल किया। हम ने एक्सपेंडिचर टैक्स लगा कर यह फ़ैसला कर दिया कि अगर कोई आदमी इस से ज्यादा रकम खर्च करेगा, तो सरकार को रुपया देगा। मैं नहीं समझता कि सरकार को रुपया देने से उस का आरिजिनल एक्ट कैसे जायज़ हो जायगा, लेकिन इस की वजह यह है कि जिस के पास दौलत है, वह उस को ऐसे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता कि आम पब्लिक को या सोसायटी को नुक्सान पहुंचे, या पहुंचने का एहतमाल हो। बिल्कुल इसी रीज़निंग पर गवर्नमेंट मुख़्तलिफ़ इन्ट्रेस्ट्स के दरमियान यह फ़ैसला करती है कि किस-किस इन्ट्रेस्ट को क्या हक है। एक एन्टरप्रेनर जिन मज़दूरों से काम लेता, है, उन की मिनिमम वेजिज़ मुकर्रर की गई हैं, उन के लिये

वेज बोर्ड मुकर्रर किया गया है। इस से ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट मामलों में भी दखल देने का अख़्तियार है। इसी तरह अपने कांस्टीच्यूशन में हम ने यह रखा है कि कनसेन्ट्रेशन आफ़ वैल्थ न हो, जोकि पब्लिक गुड के खिलाफ हो ! इसी उसूल पर सेलिंग एजेन्ट्स का सवाल उठता है। इसी सवाल पर यह सवाल उठता है कि मज़दूरों के लिये बोनस का रुपया नहीं रहेगा, अगर गवर्नमेंट दख़ल दे कर उन के हकूक कायम न करे। मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम कुछ आदमियों की आज़ादी में दखल देता है। क्यों ऐसा कानून बनता है कि मैनेजिंग एजेन्ट्स को इतना मुनाफ़ा मिलेगा ? सिर्फ़ इस वजह से कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में, जेनरल इन्ट्रेस्ट में उन को इतना अख़्तियार नहीं देना चाहिये, जोकि हमारे कांस्टीच्यूशन के प्रिंसिपल्ज़ के बरखिलाफ हो। मैं इस के हक में नहीं हूं कि हर एक आदमी को पूरा अख़्तियार हो कि जिस तरह से चाहे, वह अपनी दौलत को इस्तेमाल कर सके और हमारे कांस्टीच्यूशन के उसूलों और हमारे लाज़ के इनहिबिशन्ज़ को नज़र-अन्दाज़ कर दिया जाये।

श्री मसानी ने पहला क्वेश्चन दफ़ा ७० के बारे में उठाया है। मैं मानता हूं कि उस के अलफ़ाज़ बहुत वसीअ हैं--इतने वसीअ हैं कि जिन को मसानी साहब बिल्कुल बजा तौर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ ही वे अलफ़ाज़ छोटे भी हैं। यह तो उन को इन्टरप्रेट करने का सवाल है। अगर कोई कम्पनी इस तरह बिहेव करती है, जिस की वजह से बाकी कम्पनियों पर जिन को इस दुनिया में रहने का हक है, खराब असर पड़ता है, तो अगर आडिटर के ज़रिये कोई बात मालूम न हो सके और गवर्नमेंट को इत्तिला हो कि वह इस तरह बिहेव करती है और इस तरह से एकाउंट्स में कुछ छिपाती है, जिस से जेनरल पब्लिक को, सोसाइटी को, या उस पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट को, जिन में वह खुद भी शामिल है, नुक्सान पहुंचता है, तो गवर्नमेंट को कार्रवाई करने का अख़्तियार है। अगर वह कम्पनी खुद तबाह होने को तैयार है, या उस की सालवेंसी या एग्ज़िस्टेंस को ख़तरा है, तो गवर्नमेंट के दखल देने में क्या ख़राबी है ? मसानी साहब कहते हैं कि इस के मायने ये हैं कि गवर्नमेंट बेस्ट जज है, न कि प्राईवेट आदमी। दरअस्ल बात यह है कि जितने में ऐसे कानून बनते हैं, जिन से इन्डिविजुअल की लिबर्टी करटेल की जाती है, उन में गवर्नमेंट कहती है कि दूसरे लोगों की निस्बत वह बैटर जज है कि किस काम से दूसरों को नुक्सान पहुंच सकता है। मसानी साहब की आर्ग्युमेंट है कि गवर्नमेंट उन की लिबर्टी के साथ खेलती है। गवर्नमेंट कहती है कि साउंड मारेल प्रिंसिपल्ज़ हम जानते हैं, तुम से बेहतर जानते हैं, तुम इतना नहीं जानते कि तुम्हारे किस फ़ेल से तुम को तो फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरों को नुक्सान पहुंचेगा। इसी फ़ंडामेंटल उसूल पर सब गवर्नमेंट्स काम करती हैं। अगर हर एक आदमी **ला अन्टु हिमसैल्फ** होता और किसी दूसरे को इजाज़त न होती कि वह उस के फ़ैल को किसी तरह से कंट्रोल कर सके, तब तो उन की यह आर्ग्युमेंट दुरुस्त होती। लेकिन आदमी एक गवर्नमेंट के मातहत होता है, एक सिटिज़ेन है। जो कुछ उस के पास है, अगर वह सिक्योर है, तो उस गवर्नमेंट की वजह से, जिस का वह सिटिज़ेन है। अगर गवर्नमेंट न हो, तो कोई दस आदमी किसी एक आदमी से जो चाहे ले लें। मसानी साहब बड़े मालदार आदमी हैं। उन को देख कर ग़रीब आदमियों को इस तरह का लालच हो सकता है। अगर गवर्नमेंट बीच में न हो, तो वह स्वतंत्रता ही ख़त्म हो जायगी, जिस का ज़िक्र मसानी साहब करते हैं। लोगों के कन्डक्ट को कंट्रोल करने के गवर्नमेंट के आलमगीर उसूलों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती है।

इस में कोई शक नहीं है कि दफ़ा ७० के अलफ़ाज़ बहुत वसीअ हैं। यह भी सही है कि गवर्नमेंट का तो नाम है, सब कुछ एक डिप्टी सेक्रेटरी ही कंट्रोल करेगा, इसलिये बेहतर होता, अगर इन वसीअ अलफ़ाज़ को किसी तरह से करटेल किया जाता ? मैं इस के हक में हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अख़्तियार है कि ऐसी सूरत में, जबकि शक्ल ऐसी हो, जिस से वे नतायज पैदा हों, जो इस में लिखे हुए हैं, वह कंट्रोल कर सके। लेकिन मैं देखता हूं कि इस गवर्नमेंट की पावर्ज़ भी कानून ने करटेल की हुई हैं। यह पार्लिमेंट इसलिये बैठी है कि गवर्नमेंट के डिप्टी सैक्रेटरी को एब्सोल्यूट पावर्ज़ न हों कि वह चाहे जिस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

का गला घोंट दे, चाहे, जब करार दे दे कि तुम्हारा यह फ़ेल साउंड बिज़नेस प्रिंसिपल्ज़ के खिलाफ है। और साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्ज़ का पता नहीं है, उन प्रैक्टिसिज़ का भी पता नहीं है। **दे आर नाट डिफ़ाइन्ड**। इसलिये इतने जेनरल टर्म्ज़ में देखना मुनासिब नहीं। मैं जानता हूं कि श्री मसानी की इन्टलैक्चुअल पावर्ज़ बड़ी हैं। बेहतर होता अगर वह इस अलफ़ाज़ में तरमीम लाते। अगर वह ऐसा करते, तो मैं उन को सपोर्ट करता।

श्री मी० रु० मसानी (रांची पूर्व) : दिया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उन्हों ने तीन सेफ़गार्ड बताये हैं। वे सेफ़गार्ड इतने अच्छे और मुफ़ीद हैं कि वे किसी हद तक उस को करटेल करते हैं। उन अ.फ़ाज़ को तो वह रहने देते हैं, उन को तो मानते हैं लेकिन उन के साथ ही सेफगार्ड्स देते हैं और मैं उन सेफगार्ड्स को खुशामदीद कहता हूं। पहला सेफगार्ड यह है कि किसी शख्स के खिलाफ इस को तब तक यूज़ नहीं किया जायगा जब तक कि कम से कम उस को मौका न दिया जाय कि वह आ कर बताये कि यह रिपोर्ट उस के खिलाफ मिली है और इस की तहकीकात करने के लिये स्पेशल आडिटर्ज़ क्यों न एप्वाइंट किये जायें। यह नैचुरल सी चीज़ है जोकि होनी चाहिये। किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले उस को सफाई का मौका दिया जाना चाहिये। हां अगर कोई स्पेशल रीज़ंज़ हों और डर हो कि एविडेंस को खत्म कर दिया जायगा, एविडेंस को डिसएपीयर करवाया जायगा तो प्रापर केसिस में ऐसा भी किया जा सकता है कि पहले एक्शन ले लिया जाय और बाद में उस को सफाई का मौका दिया जाय। किसी भी हालत में एक्स-पार्टी फैसला नहीं किया जाना चाहिये। अगर इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप लिया जाता है और बिना ऐसी चीज़ को किये किया जाता है तो जो साख है वही खत्म हो जाती है। स्पेशल आडिटर्ज़ मुकर्रर होते हैं तो उस का मतलब यह है कि उस ने ये बातें आडिटर्ज़ को नहीं बताई हैं, वह बेईमान हैं और यह आडिटर्ज़ पर भी एक स्लर होगा और सारे काम को ही खत्म कर सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जो रिपोर्ट स्पेशल आडिटर्ज़ दें वह उन लोगों को जरूर मिलनी चाहिये जिन के खिलाफ वह दी गई हो और जिन के खिलाफ वह रिपोर्ट हो। उन को हीयरिंग का मौका न देना उन उसूलों के खिलाफ होगा जो आज तक हमारे सामने रखे जाते रहे हैं।

यह कह देना कि दुश्मनी की वजह से किसी ने इस तरह की खबर दी है, गलत खबर दी है और उसके बाद यह कह देना कि गवर्नमेंट किसी का गला घोंट देना चाहती है, ठीक नहीं होगा और इस तरह से अगर हम चलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। गवर्नमेंट इतने अच्छे कानून बनाती है कि जो खुद मरना चाहता है उसको मरने से रोकने के लिये भी कानून है, तबाह होना चाहता है तो तबाह होने के खिलाफ भी कानून है, तो यह कहना कि आर्बिट्रेरिली वह काम करेगी, सही नहीं है। इंसाफ का यह तक़ाज़ा है कि सेफगार्ड प्रोवाइड किये जायेंगे और मसानी साहब ने जो दो तीन सजैस्ट किये हैं, वे नेचुरल सेफगार्डस हैं।

आज यह भी देखने में आता है कि जो केसिस कोर्टस में जाते हैं उनमें से पचास फी सदी या उससे भी ज्यादा ऐसे होते हैं जो वहां जाकर फेल हो जाते हैं साबित नहीं होते हैं और ऐसे केसिस में झूठे कम्पलेनेंट के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है, उससे मुआवजा भी वसूल किया जाता है। यहां पर यह कहना कि जिसके खिलाफ झूठी कम्पलेंट की जायेगी उसको कोई रिलीफ नहीं दिया जायेगा, कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा, यह किसी भी रू से जायज़ नहीं है। यह कहना कि जिसके खिलाफ कम्पलेंट की जाती है वह अगर साबित हो जाती है तो उसके कंसिक्वेंसिस तो वह भुगते और अगर

साबित नहीं होती है तो जो कम्पलेंट करने वाला है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है जायज नहीं है। कहीं भी सी०आर० पी० सी० में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जिन के खिलाफ झूठी कम्पलेंट की जाती है उनको ऐसे लोगों से रिलीफ दिलाया जाता है जो उस कम्पलेंट को करते हैं।

जहां मैं समझता हूं कि दफा ७० के जो अल्फाज़ हैं वे निहायत साफ हैं, वे पब्लिक इंटिरेस्ट में हैं, देश के हित में हैं, कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ के हित में हैं, वहां मैं यह भी चाहता हूं कि किसी को भी अख्तियारात इतने लम्बे चौड़े अलफाज़ में नहीं दिये जाने चाहिये। फिर उसके अन्दर सेफगार्ड्स नहीं हैं जो कि होने चाहियें। मैं यह नहीं चाहता हूं कि प्रापर केसिस में स्पेशल आडिटर्ज़ एप्वाइंट करने का हक गवर्नमेंट का छीन लिया जाये लेकिन मैं सेफगार्ड्स के ज़रूर हक़ में हूं।

हमारे माननीय सदस्य श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा कि आडिटर्ज के फरायज़ में यह भी किया जाय कि, जैसे वकीलों में एक यह अनरिटन कनवेंशन है कि वे भी आफिसर्स आफ कोर्ट हैं, और वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कानून की खिलाफ-वर्जी होती हो, वहां जहां चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, उनके फर्ज प्रेसक्राइब्ड हैं, उनमें भी यह कन्वेंन्शन बने कि वे भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून की खिलाफवर्जी होती हो या जिससे पब्लिक इंटिरेस्ट को नुक्सान पहुंचता हो। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को यह अख्तियार देना कि जो कुछ उन्होंने कर दिया वह सफेद ही सफद है, काला नहीं हो सकता, जायज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। बेसिक उसूलों को मैं स्पोर्ट करता हूं, उनके अगेंस्ट जाने के मैं खिलाफ हूं लेकिन इतना मैं जरूर महसूस करता हूं कि सेफगार्ड्स प्रोवाइड किये जायें और अलफाज़ इतने लम्बे चौड़े न हों क्यों कि इन अल्फाज़ में से ऐसी बू आती है कि कोई इन पावर्ज़ को आर्बिट्रेरिलीं यूज़ कर सकता है।

अब मैं डोनेशंस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस पर बहुत चर्चा हुई है। मसानी साहब ने दरअसल इस सवाल को बहुत फंडामेंटल बना दिया है और साथ ही साथ कम्पलीकेटेड भी बना दिया है। लेकिन किसी भी शख्स ने अभी तक यह नहीं कहा है कि पोलिटिकल पार्टीज़ को दान देना किसी भी कम्पनीज़ के लिये जायज़ नहीं है। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं कहती है। क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा कहेगी कि उनके लिये दान देना जायज़ नहीं है जो न सिर्फ यहां से बल्कि दूसरे मुल्कों से भी दान लेती है और उन मुल्को को यह तक पता नहीं है कि उसकी गर्ज क्या है, क्या नहीं है? लेकिन मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। वे मुल्क दान देते हैं। और जानते भी नहीं है कि किस तरह से उसको खर्च किया जाएगा। क्या स्वतंत्र पार्टी के मेम्बर साहिबान कह सकते हैं कि दान लेना खराब है और किसी पार्टी को भी कांट्रीब्यूशन इस तरह का नहीं मिलना चाहिये? कौन सी पार्टी है जो दान नहीं लेती है? सभी लेती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई प्राइवेट आदमी यह समझता है कि ऐसा काम किया जाए जो निहायत नेक है, नेक काम के लिये रुपया खर्च होना चाहिये तो इसमें क्या नुक्सान वाली बात है? इसी तरह से अगर डाइरेक्टर्स या ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज़ यह समझती हैं कि किसी नेक काम में रुपया खर्च होना चाहिये, तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई बिलीव करता है कि नैशनलाइज़ेशन देश को तबाह कर देगा, या यह समझता है कि कांग्रेस पार्टी देश के लिये अच्छे कानून बना रही है, देश में ला एंड आर्डर को कायम रखने में सफल रही है, इस वास्ते उसकी पूरी पूरी मदद की जानी चाहिये तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा मारल कानून इसके खिलाफ है और यह वह कानून कहता है कि फलां शख्स को अपनी जायदाद या अपना रुपया या अपनी चीज़ इस पार्टी को नहीं देनी चाहिये? हम यह भी जानते हैं कि रूलिंग पार्टी को लोग ज़रूर बदनाम करेंगे चाहे उसको कोई शख्स नेकनीयती से ही क्यों पैसा न दे --

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : अपोज़ीशन को भी कम पैसा नहीं मिलता है। पैसा रूलिंग पार्टी को ही नहीं मिलता है, सभी को मिलता है। वे तो हिसाब किताब भी नहीं दिखलाती हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : रूलिंग पार्टी को कोई शख्स कितनी नेक-नीयती से ही और कितना थोड़ा पैसा भी क्यों न दें, लोग जरूर कहेंगे, कहने से बाज नहीं आयेंगे कि इस वास्ते पैसा दिया है कि गवर्नमेंट से कोई चीज़ लेनी है। जिन पार्टियों के पास कुछ है ही नहीं देने को उनको अगर कोई पैसा देता है, और चाहे वे कोअर्स करके भी लेती हैं तो भी लोग उनको बुरा नहीं कहेंगे। रूलिंग पार्टी को कोई कुछ दे या न भी दे, अगर कोई झुक कर सलाम करता है तो भी लोग यह कहेंगे कि खुशामद करता है। जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके बारे में देखा गया है कि कंट्रोवर्शल क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में, जिन का ताल्लुक खाने पीने की चीजों से नहीं होता है बल्कि जो नेशनल क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ किसी एक खास पार्टी को खुश करने के लिये या किसी दूसरी पार्टी को खुश करने के लिये अपनी पालिसीज़ तबदील कर देती हैं या ऐसे स्टेटेमेंट्स जारी कर देती हैं जो कि उनको नहीं करने चाहियें। पोलिटिकल पार्टीज़ क्या कुछ करती है और क्या कुछ नही करती हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है।

इसमें एक खराबी भी है। फर्ज़ कीजिये एक शख्स जा कर दो लाख रूपया इस गर्ज़ से दे देता है कि उसको लाइसेंस मिल जायेगा, परमिट मिल जायेगा या कोई रियायत मिल जायेगी तो यह वही जुर्म है जो दफा १६१ के अन्दर बनता है जिसके तहत लेने वाला और देने वाला दोनों मुजरिम हैं उसके खिलाफ आप चाहे जितना प्रोपेगण्डा करें, उसके खिलाफ चाहे जो लीगल एक्शन लें, लेकिन यह कहना कि रूलिंग पार्टी ही लेती है और उसके सबसे बड़े लीडर जो जवाहरलाल नेहरू हैं वह सब से बड़े मुजरिम हैं, जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे बड़े बड़े कमर्शियल हाउसिस हैं जो लोगों को एनगेज कर के रखते हैं ताकि वे उनके लिये प्रोपेगण्डा करें और जाकर अफसरों से मिलकर कुछ उनके लिये चीजें लायें। क्या वह कम जुर्म है ?

इस वास्ते अगर आप बेसिक उसूलों में जायेंगे तो आपको मालूम होगा कि फिल वाका इन्सान का हर एक काम फायदे के लिये होता है और जो पब्लिक के फायदे के लिये भी होता है उसके अन्दर भी कुछ न कुछ इस तरह का एलीमेंट जरूर होता है। मैं जानता हूं कि जहां तक रूलिंग पार्टी का सवाल है जब सन् १९५६ में यह ऐक्ट बना था, उस वक्त भी यह जिक्र हुआ था और उस वक्त दफा २९३ रक्खी गई थी कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को यह अख्त्यार है कि वह २५,००० रु० तक या फाइनेन्शल इअर के नेट प्राफिट का ५ परसेंट रकम तक दान दे सकते हैं। उसके लिये मेरे एक लायक दोस्त ने कहा कि वह फिलवाक्या चैरिटेबल परपज़ेज़ के लिये था पोलिटिकल परपज़ेज़ के लिये नहीं था। दफा २९३ के अन्दर तो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की पावर्स रेस्ट्रिक्ट की गई थीं, न कि कम्पनियों की। इस के अलावा न इस में पोलिटिकल परपजेज का जिक्र है और न गवर्नमेंट का जिक्र है। उन कामों का जिक्र है जो डाइरेक्टली लोगों के वेलफेयर से कनक्टेड न हों यह सब चीजों के लिये था और जहां तक इसका सवाल है, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की पावर्स उतनी ही हैं। यह इतना पैसा नहीं है जिस के लिये कहा जाय कि यह बहुत भारी रकम हो गई। यह गवर्नमेंट जो लोगों के हकूक से डील करती है, जो सब तरह के कायदे कानून ही नहीं बनाती बल्कि देश के ट्रेड और कमर्स सब के चार्ज में है, जिसकी पावर्स इतनी वसीय हैं कि जिस ट्रेड को चाहें चलने दें और जिस को चाहे कमजोर करदे, जिस तरह का टैक्स लगा दे, वह किसी से २५,००० रु० पाने के लिये इस तरह का काम नहीं करेगी जिस के ऊपर कोई नुक्ता चीनी कर सके। नेट प्राफिट का ५ परसेंट इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसके लिये गवर्नमेंट अपनी पालिसी तब्दील करदे। वैसे अगर इन्सान गिरना ही चाहे तो २५,००० रु० तो बहुत है, ५ रु० और ५ पैसे पर हिन्दुस्तान में कत्ल हो जाते हैं। इस लिये कोई वजह नहीं है कि कोई शख्स इस से ज्यादा किसी पार्टी को न दे सके।

मेरे लायक दोस्त श्री मसानी ने फरमाया कि इन कम्पनियों का रुपया प्रोडक्शन के वास्ते इस्तेमाल होना चाहिये। किसी को भी उनकी गरज से ऐतराज नहीं क्योंकि एक एक रूपया जो इस तरह

से खर्च होता है वह हमारे देश के प्रोडक्शन में खर्च होता है। बिना प्रोडक्शन के हमारे देश में प्रास्पेरिटी नहीं बढ़ती, बिना प्रास्परिटी के बढ़ने के देश गरीब होता है। लेकिन यह ऐसा आर्गुमेंट है जिसे आप किसी पर्सन के वास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स ५०० रुपया पाता है और उस में से १० रु० चैरिटी में देता है या किसी पोलिटिकल पार्टी को दे देता है तो इस हद तक जरूर वह अनप्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल होता है कि उसके बच्चों को खाने को कम मिलता है। उस शख्स को चाहिये कि वह सारा रुपया ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों पर लगा दे, वर्ना उसको अपने ही ऊपर खर्च करना चाहिये। लेकिन मैं इस लाजिक को नहीं समझा। कोई प्रोडक्शन या कोई काम ऐसा नहीं है जिस की वजह से वह इन चीजों पर न खर्च करे क्योंकि वह सोसायटी के ऐसे कामों के वास्ते खर्च करता है जो उसके ख्याल में नेक हैं। लेकिन जो सरकार हर एक आदमी के खर्च के ऊपर कन्ट्रोल करती है, जो सरकार हर एक अदमी के बहुत से कामों को जकड़े हुए है, हमारी सरकार ही नहीं, दुनिया की हर एक सरकार उनको जकड़े हुये हैं, उस को इस ओर ध्यान देना चाहिये। एक उसूल हम ने रखा है कि हर एक आदमी जिस तरह से चाहे अपनी प्राइवेट प्रापर्टी को डिस्पोज़ आफ कर सकता है। बहुत सी चीजों के अन्दर रखा है कि डिस्पोज़ आफ नहीं कर सकता, वह निकम्मे काम नहीं कर सकता। शो के काम नहीं कर सकता। इस के अन्दर कोई हर्ज भी नहीं है। यहां पर भी सरकार वही सुनहरा उसूल इस्तेमाल करे जो उस ने हर एक काम के अन्दर सामने रखा है। जहां तक पब्लिक गुड का सवाल है यह उसूल सामने रखना चाहिये कि अगर कोई नेक काम में चन्दा देता है, किसी सोसायटी को देता है जो कि अच्छा काम करती है, तो उस के ऊपर ऐसी कोई रोक नहीं होनी चाहिये जिस से वह अपने नेक खयालात को ठीक से एफेक्चुएट न कर सके।

लेकिन जैसा मैं ने अर्ज़ किया अगर किसी बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के लिये लिखा हुआ है कि वह जो चाहे कर सके, अगर गवर्नमेंट उस को कंट्रोल नहीं करती तो पता नहीं उस का क्या असर होगा। शायद कानूनी असर तो हो लेकिन कितने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स हैं जो शेअरहोल्डर्स की परवाह करते हैं, कितने शेअरहोल्डर्स ऐसे हैं जो उन के इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हमारा देश जैसा है उस में मैं जानता हूं कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स जैसा चाहते हैं वैसा पास करवा लेते हैं। बिचारे शेअरहोल्डर्स तो यह भी नहीं जानते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इस देश के अन्दर यह जरूरी है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाय। कम्पनी पर फिर भी हम ने अंकुश नहीं लगाया। सेक्शन २९२ में लिखा है कि उन की कंसेंट से जो चाहे हो सकता है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार को सब चीजों को देखते हुए एक ऐसा रास्ता ऐडाप्ट करना चाहिये जो कि नोबल सेंटिमेंट्स को एफेक्चुएट करने में रोक न लगाये पर साथ ही ऐसे अख्त्यार भी न हों जिस से जो शेअरहोल्डर्स हैं जिन को उन के बखिलाफ ही बचाया जाना चाहिये उन को हम न बचा सकें। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स किसी भी मीटिंग में जो चाहें पास करा सकते हैं और खुद भी ऐसे काम कर सकते हैं किसी जोश में आ कर कि अपने आप को विध्वंस कर के पब्लिक इंटरेस्ट में सब कुछ दे सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट भी वहीं तक ठीक है जहां तक इल्लिटरेट आदमी अपना पूरा इंटरेस्ट न समझते हों और जोश में आ कर कुछ कर जाते हों और बाद में दुखी होते हों। इसलिये दोनों चीजों का खयाल कर के जिन लाइन्स पर सेक्शन २९३ के अन्दर रखा गया है उन्हीं लाइन्स पर कोई वाया मीडिया (golden mean) ले कर उस पर अमल करना चाहिये। फर्ज कीजिये एक आदमी कहता है कि गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिये या जो दूसरे गवर्नमेंट के फिलैंथ्रपिक काम हों, उन के लिये मैं अपनी सारी जायदाद देता हूं, तो नतीजा क्या होगा ? गवर्नमेंट को सब की सब चीज मिल जायगी। अगर ज्वायेंट फैमिली में कोई आदमी एलीनेशन करता है तो बेटों को हक होता है कि वह कह दें कि वह किसी निकम्मे काम के लिये एलीनेशन की इजाजत नहीं देते। इसलिये हम वाया मीडिया निकाल कर माडरेशन से चले हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस तरह से तब्दील कर दे कि जहां तक बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स का सवाल है उन के लिये तो इन्हिबिशन मौजूद है, बाकी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सारी कम्पनियों पर भी अंकुश लगा दे कि इस हद्द तक वह डोनेशन दे सकेंगी, इस से आगे नहीं । लेकिन यह पाबन्दी हर एक कम्पनी और हर एक सोसायटी पर लगाये । यह पोलिटिकल डोनेशन का सवाल नहीं है, दरअस्ल सवाल यह है कि जैसा सरकार ने रक्खा कि हर एक आदमी के लिये अपने और अपने कुनबे को, जिस की जिम्मेदारी उस के ऊपर है, बचाने का सवाल है, उसी तरह से यहां पर भी कोई सीलिंग मुकर्रर कर दे । जैसे गवर्नमेंट सीलिंग मुकर्रर करती है इनकम के ऊपर, जैसे सीलिंग मुकर्रर करती है लैंड ओनरशिप के ऊपर, उसी तरह से वह कम्पनियों पर भी डोनेशन की सीलिंग मुकर्रर कर दे जैसा कि सेक्शन २९३ का प्रिंसिपल है कि इतने से ज्यादा किसी पोलिटिकल पार्टी को नहीं दिया जा सकेगा ।

जो पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग इस पर झगड़ा करते हैं वे अगर खुद अपने गरेबां में मुंह डाल कर देखें तो खुद उन के लिये मुसीबत आ जायेगी । इस देश के अन्दर पोलिटिकल पार्टीज़ के वास्ते चन्दा देना आम बात नहीं है । यहां और तरह की चैरिटी होती है । अब चूंकि मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ बनी हैं इसलिये हम लोग इस तरफ भी चन्दा देने लगे हैं । मैं समझता हूं कि इस स्पिरिट को क्रश नहीं होने देना चाहिये । लेकिन इसलिये कि इस में कोई नाजायज फायदा न उठाये हमें पूरा ध्यान देना चाहिये । आज एक ईविल चल रही है, लोग शिकायत करते हैं, इस चीज का फायदा उठा कर, कि लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं । यह एक ब्राड क्वेश्चन है । अगर आप को खराबी को रोकना है तो कम्पनियों और इन्सानों दोनों पर पाबन्दी लगाइये कि पोलिटिकल पार्टीज़ को इस से ज्यादा रुपया नहीं दिया जा सकेगा ।

जहां तक इस का सवाल है कि कोई शख्स फायदा न उठाये और गवर्नमेंट इस टेमप्टेशन को रिसीव कर के **क्विड प्रो** को न दे, इस के वास्ते इलाज हैं जोकि पेनल कोड में दिये हुए हैं । जहां तक पब्लिक ओपीनियन को एजुकेट करने का सवाल है अगर उस में यह दिखलाई पड़ता है कि उस की कार्रवाई को लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं तो उस की इजाज़त हम न दें । लेकिन यह सब चीजें जो हम कानून के जरिये से करना चाहते हैं वे ऐसी हैं जिन को पब्लिक ओपीनियन को क्रिएट कर के या प्रोपैगैन्डा कर के करना चाहिये । जब उस तरह से होगा तभी पब्लिक एजुकेट होगी । ऐसी चीज हो सकती है कि कोई ऐनानिमस दे दे और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं । इस के लिये मेरे लायक दोस्त ने कहा कि कानूम होना चाहिय लेकिन किसी ने यह बयान नहीं किया कि इसे कैसे रक्खा जय । इस का रखना बड़ा मुश्किल है । प्राइवेट आदमी किसी बात से बहुत इंफ्लुएंस्ड हो गया और किसी लीडर से कहा कि मैं यह करना चाहता हूं, तो उस की ख्वाहिश रोकना कहां तक जायज है ? अगर रोकना है तो सब से पहले यह रोकिये कि दूसरे मुल्कों से कोई आदमी चन्दा न ले सके, दूसरे मुल्कों से कोई कंट्रिब्यूशन न ले सके ताकि उस की लायल्टी हमारे मुल्क तक ही महदूद रहे । किसी दूसरे एग़राज़ के वास्ते भी दूसरे मुल्कों से चन्दा न ले सके । हिन्दुस्तानी पोलिटिकल पार्टीज़ होते हुए और मुल्कों से चन्दा लेना हमारे लिये ज़िल्लत की बात है, इसलिये ऐसा करना मुनासिब नहीं है, लेकिन वही पार्टीज़ जो इस के लिये सब से ज्यादा क्लेमरस हैं वही सब से ज्यादा चन्दा बाहर से लेती हैं । पता नहीं वह किस गर्ज के लिये वह लेती हैं और क्या काम करती हैं । बहर हाल अब वक्ता आ गया है जब इस चीज को रोका जाय । जो दूसरी पार्टियां चन्दा बाहर से लेती हैं वह यहां आ कर कहती हैं कि कांग्रेस ऐसा करती है, लेकिन यह उन के मुंह में लाई नहीं करता, और न उन को इस का हक है । लेकिन वह हर चीज़ को अच्छा और बुरा कह सकते हैं, जैसे कि अशोक मेहता साहब ने कहा मसानी साहब के बारे में कि वे दो काम कर सकते हैं । इस का वह फायदा भी उठाते हैं और कंडेम भी कर रहे हैं । अगर कोई कमेटी बैठे और पता लगाये कि किस-किस पार्टी को कितना रुपया दिया गया तो म समझता हूं कि बड़े-बड़े राज़ अफशां होंगे । अगर आप सही मानों में इस को रोकना चाहते हैं तो एक बिल लायें । हर एक मेम्बर को इस तरह का बिल लाने का अख्तियार है । मुझे मालूम है

कि कांग्रेस के बहुत से मेम्बर यह चाहते हैं कि जो लोग आज यह बात कह कर कांग्रेस को बदनाम करते हैं उसका मौका ही न रहे। लेकिन साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि जो राइट माइंडेड आदमी कांग्रेस को मदद करना चाहते हैं वह भी पैसा न द सकें और जो लोग इस को भी रोकना चाहाते हैं वह इस के लिये बिल ला सकते हैं। अगर ऐसा बिल पास भी हो जाय तो भी कांग्रेस को उस की परवाह नहीं क्योंकि वह तो उसूल पर कायम है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : वह जमाना अब नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: वह जमाना अभी है लेकिन आप को यह कहने का मौका मिल गया है। आप अपने गरेबां में तो ज़रा मुंह डाल कर देखें कि क्या हालत है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्रिटिसाइज़ करना आसान है। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस पर कोई अंगुली उठाये और यह कह सके कि चन्दा ले कर काम करते हैं। हम ने तो रिश्वत के बारे में एक नया कानून पास किया है कि जो रिश्वत देगा और जो लेगा उस को दोनों को, सजा दी जायगी। हम यह नहीं कहते कि करप्शन नहीं है। लेकिन कांग्रेस उस को हटाने के लिय कोशां है। और अगर मेम्बर साहिबान समझते हैं कि यह काफी नहीं है तो वे एक बिल ला सकते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : इसी में यह प्रावीजन कर दें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस में पहले किसी ने कोई तजवीज़ पेश नहीं की। इस वक्त आप को एक मौका हासिल हो गया है कि आप कांग्रेस को गालियां दे सकते हैं। इन गालियों में मैं भी शामिल हो सकता हूं। लेकिन मैं इस को मुनासिब नहीं समझता।

आज जो मसानी साहब ने और दूसरे मेम्बरान ने मिनिस्टर साहब की तारीफ की है, तो मैं उन से अर्ज करना चाहता हूं कि आप उन के हाथ मजबूत कीजिय। कोई ऐसी चीज लाइये कि जो इस को रोक सके।

और भी बहुत से मामले हैं, लेकिन चूंकि और बहुत से मेम्बर बोलना चाहते हैं, इसलिये मैं इन दो बातों के सिवा और कुछ अर्ज़ नहीं करना चाहता।

[**श्री मूल चन्द दुबे** पीठासीन हुए]

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन): सभापति जी, यहां पर जिस प्रश्न पर खास तौर से चर्चा हो रही है वह पोलीटिकल पार्टीज़ को चन्दा देने के सम्बन्ध में है। मेरी समझ में नहीं आया कि इस एतराज का आधार क्या है। मूल कानून पास होने के पहले स्थिति यह थी कि कम्पनियां बिला लिहाज तादाद के जितना रुपया चाहती थीं वह किसी भी काम के लिये धरमादा के नाम पर, चाहे किसी धार्मिक संस्था को दें या शैक्षणिक संस्था को दें, या राजनीतिक संस्था को दें, दे सकती थीं। शासन ने उस पर प्रतिबन्ध लगाया और पहले जब यह कानून पास हुआ तो उस में यह प्रावीजन रखा गया कि कोई बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स २५ हजार से ज्यादा रुपया किसी चैरिटबिल या कोई सरे फंड की तरफ नहीं दे सकता। लेकिन इस की प्रशंसा करने के बजाय . . .

श्री ब्रजराज सिंह : कम्पनियां तो कितना भी दे सकती हैं।

श्री राधे लाल व्यास : मैं ने अपने को करेक्ट कर लिया था और मैं ने ऊपर कहा है, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स। पहले जो ये मनमाना खर्च किया करते थे उस पर प्रतिबन्ध लगाया गया। पहले तो पोलीटिकल पार्टीज़ को चन्दा देने के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन अब जो शासन ने संशोधन किया है उस में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा है कि अगर कोई पोलीटिकल पार्टी को चन्दा दे तो उस को प्राफिट एंड लास एकाउंट में दिखाना चाहिये, और यह जरूरी था। कांग्रेस के बारे में अक्सर

[श्री राधे लाल व्यास]

ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं जो निराधार होती हैं कि फी ट्रक इतना लिया जाता है आदि । मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का पुराना इतिहास और अभी का भी इतिहास ऐसा रहा है कि वह इतने नीच स्तर पर जा कर इस प्रकार की कार्रवाई करे । कांग्रेस ने राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया तब भी करोड़ों रुपया प्राप्त किया होगा ।

श्री ब्रजराज सिंह : उस समय आप का इजारा नहीं था ।

श्री राधे लाल व्यास : पूंजीपतियों ने उस समय भी चन्दा दिया था लेकिन कांग्रेस उन के हाथ में तब भी नहीं थी । आज जब कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर आ गयी है तब भी कांग्रेस उन के हाथ में नहीं है और पूंजीपति शिकायत करते हैं कि कांग्रेस उन के अधिकारों को और उन की आमदनी को कम करती जा रही है, उन पर ज्यादा टैक्स लगाती है । मेरे मित्र मसानी जी की सहानुभूति आज-कल स्वतन्त्र पार्टी की ओर होती जा रही है । और उसको पूंजीपति ही सहारा दे रहे हैं । पूंजीपतियों की ताकत पर ही उन की संस्था पनप रही है । उन की संस्था को पूंजीपति, राजा, महाराजा और जागीरदार सहायता कर रहे हैं ।

श्री मी० रु० मसानी : हमने तो नहीं देखा ।

श्री राधे लाल व्यास : आपने न देखा होगा । लेकिन जो देख सकते हैं कि प्रकाश किधर है उनको मालूम होता है, वह चीज छिप नहीं सकती ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन ने जो संशोधन रखा है वह उपयुक्त है । पूंजीपति चोरी छिपे देते थे, वे कांग्रेस विरोधी और राष्ट्रविरोधी संस्थाओं को भी देते थे । उस का पता नहीं चल सकता था । अब यह चीज सामने आ जाएगी । अब अगर कोई किसी राजनीतिक संस्था को कुछ देगा तो वह ईमानदारी से लोगों के सामने आ जाएगा कि किसने किसको कितना दिया । यह अमेंडमेंट पहली दफा आया है । इस पर अमल होने दीजिये तो मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस को कितना मिलता है और दूसरों को कितना मिलता है । ये चीजें अब सामने आयेंगी । मूल चीज तो यह है कि २५ हजार से ज्यादा नहीं दे सकेंगे । कम्पनी चाहे तो सब कुछ दे सकती है लेकिन जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स हैं, जो कम्पनी का काम करते हैं, वे सीमा के बाहर नहीं जा सकेंगे । इस प्रकार देने को बिल्कुल बन्द नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि देश में बहुत सी शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं, बहुत सी धार्मिक संस्थाएं चलती हैं, उनको देने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री ब्रजराज सिंह : कानून नहीं रोकता ।

श्री राधे लाल व्यास : लेकिन कानून में अब तक गोलमोल बात थी । अब जो एक्सप्लेनेशन रखा गया है उसके कारण यह जरूरी हो गया है कि जो चन्दा पोलीटिकल पार्टीज को दिया जाए वह एकाउण्ट में दिखाया जाए ।

मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग यह बात करते हैं कि इस तरह नहीं लेना चाहिये, वे संस्थाएं जो इस तरह की बात करती हैं, वही विदेशों तक से पैसा लेती हैं । कांग्रेस ने कभी विदेशों से पैसा लेकर देश को बेचने की कोशिश नहीं की । ऐसी संस्थाएं जो कि इस प्रकार की डींग मारती हैं वे विदेशों तक से पैसा लेती हैं । जो बातें कांग्रेस के लिये कही गयी हैं मैं समझता हूं कि वे शोभास्पद नहीं हैं । कांग्रेस को अगर कोई देता है तो इसलिये नहीं देता कि उसके हाथ में शासन है, कांग्रेस को कोई डर के नहीं देता क्योंकि यह कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, यह न्याय और कानून का शासन है और लोग

समझते हैं कि वे ना भी दें तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर लोग कांग्रेस को पैसा देते हैं तो वे इसलिये देते हैं कि वे देखते हैं कि उनका अपना हित और देश का हित इसी में है कि देश का शासन कांग्रेस के हाथों में रहे। वे अपने स्वार्थ के लिये देते हैं, वे देश के लिये देते हैं। वह समझते हैं कि आज देश में कांग्रेस के सिवा कोई और दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके हाथ में देश का और समाज का हित सुरक्षित रह सके। लोग यह समझ कर कांग्रेस को पैसा देते हैं। यह कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, और न कोई भय है जिसके कारण लोग कांग्रेस को पैसा देते हैं। कई अपने मतलब के लिये भी देते होंगे। लेकिन आज जिन लोगों के हाथ में शासन है उन पर कोई इस प्रकार का लांछन नहीं लगा सकता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो शासन यहां चल रहा है वह करप्ट है और चन्दे के कारण कुछ लोगों के या संस्थाओं के हाथ बिक कर उनको लाभ पहुंचाता है। यह तो बिल्कुल निराधार बात है और इस तरह की कल्पना करना और इस तरह के विचारों का रखना गलत बात है......

एक माननीय सदस्य : श्री मसानी ने कहा है।

श्री राधे लाल व्यास : मसानी साहब तो कहेंगे ही। जो हमारे विरोधी दल के सदस्य लोग हैं वे आखिर केवल कांग्रेस की और कांग्रेस के शासन और उसके कार्यों की बुराई करके ही तो जिन्दा रह सकते हैं और पनप सकते हैं। सिवाये कांग्रेस की आलोचना करने के उनके पास है ही क्या? उनका तो काम ही यह है कि जैसे भी हो निरीह जनता को, भोली भाली जनता को झूठ सच इधर उधर की कह कर बहकायें ताकि वे उनके चक्कर में आकर अगले चुनाव में उनको वोट दे दे। लेकिन मैं उनको यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अब हमारी जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही है जो उनके फुसलाने में आ जाय और गलत रास्ते पर भटक जाय। पिछले आम चुनावों ने यह भली भांति सिद्ध कर दिया कि देश की जनता का कांग्रेस पर अटूट विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में भी ऐसा ही होने वाला है।

जिन माननीय सदस्यों ने इस कम्पनी एमेंडमेंट ऐक्ट का इतना विरोध किया है उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया कि बिल में पूंजीपतियों के अधिकारों पर कहां कहां प्रहार किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर कांग्रेस की आलोचना करके ही सन्तोष कर लिया। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि अब तक यह रिश्तेदारों के नाम पर जो इतना अधिक पैसा उड़ाया करते थे तो इस बिल में रिश्तेदारों की तारीफ करके इसका मुनासिब इन्तजाम कर दिया गया है और अब वे मिल मालिक इसका बेजा फायदा नहीं उठा सकेंगे। मैं अपने उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि यह पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना है क्योंकि उनका आरोप है कि कांग्रेस को पूंजीपती बहुत पैसे से मदद करते हैं जबकि वास्तव में हकीकत यह है कि उनको उन क्वार्टर्स से रुपया पैसा मिलता है। इसकी तरफ किसी ने इशारा नहीं किया कि किस तरह से यह अमेंडिंग बिल लाकर उन मिल मालिकों के अधिकारों पर रोक लगा दी गई है और जरूरत पड़ने पर स्पेशल औडिट करने की व्यवस्था का इसमें जिक्र किया गया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या यह व्यवस्था पूंजीपतियों के हित में है? लेकिन वे इन बातों की ओर कोई संकेत नहीं करते हैं।

मुझे जिस विशेष बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना था उसको दिलाते हुए और अधिक समय न लेते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व-खानदेश) : इस विधेयक पर जो चर्चा हुई है उससे पता लगता है कि माननीय सदस्यों ने इस विषय को दलगत विषय बना लिया है। माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिये कि राज्य को ऐसी नीति का सहारा लेना है जिसके द्वारा औद्योगिक संस्थाओं पर उसका पूरा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरुचा]

नियन्त्रण भी हो सके तथा उसका उसके प्रतिदिन के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप भी न हो। ऐसा करना बड़ा कठिन काम होता है परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति ने इस समस्या को इतनी अच्छी तरह से सुलझाया है कि वह इसके लिये धन्यवाद की पात्र है। मैं यह कह कर यह कहना नहीं चाहता हूं कि संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में जो कुछ कहा है उसको उसी रूप में विधि बना दिया जाये। परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि यदि इसके अनुसार ही काम किया गया तो औद्योगिक संस्थाओं में जो गड़बड़ियां हैं वह कुछ तो निश्चित रूप से ठीक हो जायेंगी।

संयुक्त समिति में हमने एक नई धारा ४३-क बना कर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है अर्थात् एक नये प्रकार का समवाय बनाया है जिसकी २५ प्रतिशत प्रदत्त पूंजी को विशेष प्रकार से रोका जायेगा। ऐसा देखा गया है कि बहुत से निदेशक समवायों की अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। उन निदेशकों से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कराना बड़ा कठिन होता है और इसीलिये हमें इसके बारे में कई उपबन्ध बताने पड़े हैं। परन्तु इतने उपबन्ध बना कर इतना अब निश्चित हो गया है कि समवायों की बहुत सी गड़बड़ियां अब दूर हो जायेंगी।

संयुक्त समिति में इस विधेयक के कई खण्डों का विरोध भी किया गया था जैसे प्रबन्धकों के पारिश्रमिकों का प्रश्न तथा पर्याप्त लाभ न होने पर भी प्रबन्धक के पारिश्रमिक का प्रश्न। यदि हम प्रबन्धकों के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देते तो ऐसा करना मात्र पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक था कि हम प्रबन्ध कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की एक साथ नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दें। मैं समझता हूं कि अभी भी जो उपबन्ध किये गये हैं उनसे सभी बुराइयां दूर होने की सम्भावना नहीं हुई है।

उदाहरण के लिये समवाय के प्रवर्तकों को लीजिए। हमने प्रबन्धकों के पारिश्रमिक तो निश्चित कर दिये परन्तु प्रवर्तकों के पारिश्रमिकों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो क्या लाभ हुआ। हाल में ही एक समवाय का मामला सामने आया था जिसमें प्रवर्तक का पारिश्रमिक १५ लाख रुपये था। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अंशधारियों को नुकसान न हो परन्तु जिस समवाय के प्रवर्तक के पारिश्रमिक के बारे में मैंने अभी बताया है जब इस समवाय ने जनता से अंशों को खरीदने को कहा तो इसके ९८ करोड़ रुपये के अंश बिक गए जबकि इसको आवश्यकता केवल १६० लाख रुपये की थी। हमें इसी गड़बड़ी को दूर करना है जिससे अंशधारियों को नुकसान न हो तथा इस ९८ करोड़ रुपये पर जो सूद मिले वह केवल प्रबन्धकों अथवा प्रवर्तकों की जेब में ही न चला जाये।

हमने इसमें एक और महत्वपूर्ण उपबन्ध किया है कि समवाय के लाभांशों की घोषणा अवक्षयण घटा कर लाभ में से की जानी चाहिये। मैं ऐसे समवायों को जानता हूं जिनमें निदेशकों ने समवाय की स्थिति नाजुक होने पर भी १० प्रतिशत लाभांश की घोषणा कर दी और इसी कारण उस समवाय के अंशों के मूल्य बढ़ गए और उन्होंने अंशों को बढ़े हुए मूल्य पर बेच डाला। हमने यह उपबन्ध इसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिये रखा है।

मैं भारतीय व्यापारी संघ द्वारा वाणिज्य मन्त्रालय के सचिव को लिखे गये एक ज्ञापन को पढ़ रहा था। उसमें कहा गया है कि खण्ड ५९ के अधीन एक सरकारी अधिकारी को जो लेखों के निरीक्षण के अधिकार दिये जाने की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। क्योंकि इस प्रकार हम समवायों के कामों में हस्तक्षेप करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के उपबन्धों को रखा जाना नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार सरकार समवाय के खिलाफ की गई शिकायतों की पूरी जांच कर सकती है। परन्तु इस उपबन्ध की भाषा मुझे कुछ ठीक नहीं लगी है और इसीलिये इसकी भाषा में परिवर्तन करने के लिये

मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैंने एक संशोधन यह प्रस्तुत किया है कि समवायों के लेखों की पुस्तकों को एक शाखा से दूसरी शाखा में अथवा अन्य किसी स्थान पर ले जाने के बारे में जो रजिस्ट्रार की अनुमति लेने की व्यवस्था है उसको हटा दिया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे संशोधनों पर पूरी तरह विचार करेगी।

विशेष लेखापरीक्षा के खण्ड पर आपत्ति उठाई गई है। श्री मसानी ने कहा है कि लेखा परीक्षा होने से पहले समवाय की बातें सुनी जानी चाहियें, सरकार को अपना निर्णय समवाय को बताना चाहिये तथा समवाय को विधि न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि विशेष लेखा परीक्षा विशेष समिति में ही की जाती है इसलिये समवाय की बात सुनने का प्रश्न ही नही उठता है। मैं उनकी दूसरी बात से सहमत हूं तथा तीसरे मैं नही चाहता कि समवाय को न्यायालय में जाने का अधिकार दिया जाये क्योंकि यदि समवाय को यह अधिकार दिया गया तो विशेष लेखा परीक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। समवाय विधि को ठीक प्रकार से लागू करने के लिये आवश्यक है कि इस प्रकार की जांच के उपबन्ध उसनें रखे जायें। मैं तो इसका भी पक्षपाती हूं कि समवाय की पुस्तकों को जब्त करने के अधिकार सरकार को दिये जाने चाहिये जिससे मुकदमा होने पर गवाही के रूप में उनको प्रस्तुत किया जा सके।

एक इस बात पर आपत्ति उठाई गई है कि समवाय की हालत ठीक न होने पर सरकार को अधिकार होगा कि वह तीन वर्ष तक अंशों के हस्तांतरण को रोक दे। मैं बताना चाहता हूं कि कोई गड़बड़ी होने पर अंशों के स्वाभाविक स्वामित्व का बड़ा महत्व होता है क्योंकि इसी से तो निदेशकों का गठन किया जाता है। इस लिये सरकार को हस्तक्षेप के अधिकार होने चाहियें। यदि समवाय को इस बारे में कभी कोई शंका हो तो वह न्यायालय में जाकर अपनी शंका का समाधान कर सकता है। ऐंसी व्यवस्था करने के लिये मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री मसानी ने बताया कि भारतीय वाणिज्य संघ को खण्ड ९९ से भी बड़ी आपत्ति है कि यदि सरकार समवाय के सैलिंग एजेंट को निश्चित करेगी तो दूसरे शब्दों में वह समवाय के अन्दरूनी कामों में हस्तक्षेप करेगी। मैं उनकी बात से सहमत हूं परन्तु साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कि प्रबन्ध अभिकर्ता ही सैलिंग ऐजेंट बन सकते हैं और बड़ी मात्रा में कमीशन हथिया सकते हैं। जबतक सरकार यह अधिकार अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिये आवश्यक है कि सैलिंग ऐजेंटों के उपबन्ध को इसी अवस्था में रखा जाना चाहिये जिस से गड़बड़ी की कोई आशंका न हो।

अन्तर-समवाय विनियोजनों का प्रश्न भी हमारे सामने आता है। संयुक्त समिति ने यह व्यवस्था की है कि समवाय १० प्रतिशत का विनियोजन कर सकती है। मैंने इसका बहुत अध्ययन किया है और मैं यह समझता हूं कि इस खण्ड के द्वारा समवाय के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

सलाहकार आयोग के क्षेत्राधिकार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह बताया गया कि संयुक्त समिति ने धारा ४११ के द्वारा सलाहकार आयोग के कुछ क्षेत्राधिकारों को कम कर दिया है।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य अभी और समय लेना चाहते हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : जी हां।

इस के पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०
२५ कार्तिक, १८८२ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२४१–६१
तारांकित प्रश्न संख्या	
९५ बोकारो और रानीगंज के कोयला निक्षेप .	२४१–४५
९६ पाकिस्तान से सुई गैस .	२४५–४८
९७ कोयले का स्टाक .	२४८–५०
९८ जैसलमेर में पानी . .	२५०–५२
९९ विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा .	२५२–५४
१०० खानों का बन्द होना . .	२५४–५७
१०१ नागा विद्रोही	२५७–६०
१०२ नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति	२६०–६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०३ केन्द्रीय अधिनियम हिन्दी अनुवाद आयोग .	२६१–६२
१०४ 'व्हिटले' परिषदें . .	२६२
१०५ तेल उत्पादों की खरीद .	२६२
१०६ गुरुकुलों को वित्तीय सहायता . . .	२६३
१०७ हिन्दी आयोग . .	२६३–६४
१०८ दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार . .	२६४
१०९ राष्ट्रीय एटलस संगठन . .	२६४–६५
११० इस्पात संयंत्रों को कच्चे लोहे का संभरण	२६५
१११ निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता .	२६५
११२ तेल समवायों के साथ करार .	२६६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
११३	जैसलमेर में तेल-सर्वेक्षण	२६६
११४	दुर्गापुर में नेप्थेलीन संयंत्र	२६६–६७
११६	रद्दी लोहे का निर्यात . . .	२६७
११७	एस० एस० रूथ एवरेट द्वारा तस्कर व्यापार	२६८
११८	कोयले की कमी . .	२६८–६९
११९	फ्लीट एयर आर्म बेस . .	२६९
१२०	बरौनी का तेल शोधक कारखाना	२६९–७०
१२१	एवरो-७४८ विमान का उत्पादन .	२७०
१२२	भारतीय फर्मों के लिये अमरीकी ऋण	२७०–७१
१२३	अशोधित देल के मूल्य . .	२७१
१२४	इस्पात कारखानों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी .	२७१–७२
१२५	प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा .	२७२
१२६	रूस से आयात किया गया तेल .	२७३–७४
१२७	टैगोर जन्म शताब्दी समारोह . . .	२७४
१२८	नाट्यशाला संगठनों को सहायता .	२७५
१२९	बोर्ड आफ कन्ट्रोल फॉर क्रिकेट	२७५
१३०	भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा .	२७६
१३१	सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण . .	२७६
१३२	नव बौद्ध .	२७६–७७
१३३	धातुकर्मिक कोयला . .	२७७
१३४	हेलीकाप्टरों और विमानों की खरीद . .	२७७–७८
१३५	समवाय निर्माण संगठन . .	२७८
१३६	आयुध कारखानों में इस्पात निर्माण . .	२७८
१३७	पश्चिम बंगाल के लिये पब्लिक लॉ ४८० के अधीन निधियां .	२७८–७९
१३८	निर्यात उपकर	२७९
१३९	हिन्दी टेलीप्रिन्टरों और टाइपराइटरों के की-बोर्ड .	२७९–८०
१४०	काश्मीर में विमान दुर्घटना . . .	२८०
१४१	दिल्ली में गुण्डों का आतंक	२८०–८१
१४२	मथुरा के पास पुराने खण्डहर . . .	२८१
१४३	मिट्टी के तेल के मूल्य . .	२८१–८२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
तारांकित प्रश्न संख्या	
१४४ कांगो को मेडिकल मिशन	२८२
१४५ इंडिया आफिस लाइब्रेरी	२८२-८३
१४६ हिन्दमहासागर के लिए समुद्र-वर्णना अभियान	२८३
१४७ भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यकीय सेवा	२८३
१४८ केरल को आवंटित कच्चा लोहा और इस्पात	२८४
१४९ लौह-अयस्क	२८४
१५० कांगों में अस्पताल	२८५
१५१ दिल्ली में बिक्री-कर अपवंचन	२८५-८६
१५२ विद्यार्थियों को दोपहर का मुफ्त भोजन	२८६
१५३ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा जमीदारी बांडों की खरीद	२८६
१५४ दिल्ली क्षेत्र में छोटे बैंक	२८७
१५५ भेदात्मक बोनस योजना	२८७
१५६ पलाई सेन्ट्रल बैंक का पुनः चालू किया जाना	२८८
१५७ पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियां	२८८
१५८ पुरातत्व विभाग का पश्चिमोत्तर सर्कल	२८८-८९
१५९ सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति	२८९
१६० विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी	२८९
१६१ इनामी बॉडों के नतीजे	२८९-९०
१६२ एयर फोर्स सिग्नल सेन्टर, गुड़गांव	२९०-९१
१६३ विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	२९१-९२
१६४ पश्चिमी जर्मनी पूंजी का भारत में लगाया जाना	२९२
१६५ विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां	२९२
१६६ कृत्रिम तेल का उत्पादन	२९३
१६७ कुम्भलगढ़, मेवाड़ के विध्वस्त स्मारक	२९३
१६८ कोयला खानों द्वारा अर्जित लाभ	२९३-९४
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१३९ उड़ीसा में केन्द्रीय "बाद की देखभाल"-गृह	२९४
१४० कोणार्क में संग्रहालय	२९४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१४१ उड़ीसा में युवक छात्रावास . २९४–९५

१४२ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग २९५

१४३ पाकिस्तान को कोयले का निर्यात . . २९६

१४४ अलीगढ़ विश्वविद्यालय . . . २९६

१४५ हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन कृषि-श्रमिक . . २९६

१४६ जम्मू तथा काश्मीर को सहायता . . २९६–९७

१४७ 'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट' लिमिटेड में उत्पादन . २९७

१४८ अन्तर्राज्यीय समवबोध में वृद्धि . . . २९७

१४९ पंजाब में भूतपूर्व सैनिक २९८

१५० कर्जन रोड, नई दिल्ली में श्रमजीवी महिला होस्टल . २९८

१५१ राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों की बस्तियां . . . २९८

१५२ मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां २९९

१५३ लौह-अयस्क २९९–३००

१५४ कोयला ३००–०१

१५५ स्कूल-शिक्षा सम्बन्धी सुविधा प्राप्त बच्चे . ३०१–०२

१५६ स्कूल . . ३०२–०३

१५७ इंजीनियरिंग कालेज . . ३०३–०४

१५८ पालीटेक्नीक ३०४

१५९ त्रिपुरा के आदिम जाति विद्यार्थियों के लिये छात्रावास ३०५

१६० पुस्तकालय आन्दोलन . . ३०५

१६१ उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल ३०५

१६२ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता . . ३०६

१६३ नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के अधीन अध्यापक . ३०६

१६४ लघु उद्योगों को अमरीकी ऋण ३०६–०७

१६५ पुस्तकाध्यक्षों की सेवा ३०७

१६६ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन ३०७

१६७ हाई टेन्साइल स्टील . ३०७–०८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**

अतारांकित प्रश्न संख्या

१६८	महाराष्ट्र में प्रविधिक शिक्षा	३०८
१६९	महाबलीपुरम् में स्मारक	३०८
१७०	भारत-जापान सांस्कृतिक आदान-प्रदान	३०९
१७१	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी	३०९
१७२	न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना	३०९-१०
१७३	भाखड़ा जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार	३१०
१७४	महाजनों की बैठक	३१०
१७५	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	३१०-११
१७६	कोठागुडियम में खनन संस्था	३११
१७७	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल	३११-१२
१७८	खनन स्कूल	३१२
१७९	केरल को लोहा और इस्पात का आवंटन	३१२-१३
१८०	छुट्टियों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें	३१४
१८१	सोने का तस्कार व्यापार	३१४
१८२	पंजाब में पंजाबी और हिन्दी प्रादेशिक समितियां	३१५
१८३	खड़िया-मिट्टी से गन्धक	३१५
१८४	श्री डांगे के विरुद्ध कार्रवाई	३१५-१६
१८५	नागा विद्रोही	३१६
१८७	संघ राज्य-क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क का खत्म किया जाना	३१६
१८८	भारतीय बाल कल्याण परिषद्	३१७
१८९	नेपाल विदेशी मुद्रा लेखा	३१७
१९०	भारत में मुद्रा तथा उधार सम्बन्धी प्रणाली	३१७-१८
१९१	सिपाहियों की गिरफ्तारी	३१८
१९२	कनाट प्लेस में हत्या	३१८
१९३	दिल्ली में कालेज	३१८-१९
१९४	केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी	३१९
१९५	फाउंटेन पैनों और घड़ियों के फीतों का पकड़ा जाना	३१९
१९६	अल्प बचत अन्दोलन	३१९-२०
१९७	अंडमान में गंधक के निक्षेप	३२०-२१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१९८ उपहार पार्सल	३२१
१९९ नागा विद्रोही	३२१
२०० कम्पनियों द्वारा अपनी पूंजी में वृद्धि	३२२
२०१ सैनिक कर्मचारी	३२२
२०२ हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व शासक	३२३
२०३ श्री सी० एम० गुहा का देहान्त	३२३
२०४ कुरुक्षेत्र में उच्च इंजीनियरिंग संस्था	३२३–२४
२०५ त्रिपुरा में आदिम जाति की छात्राओं को अधिछात्रवृत्तियां	३२४
२०६ त्रिपुरा में झूम फसलें	३२४
२०७ नागार्जुनकोंडा में खुदाई	३२४–२५
२०८ दिल्ली में चोरी से लायी गयी चीज़ों का पकड़ा जाना	३२५–२६
२०९ आर्य हायर सेंकडरी स्कूल, लोदी कालोनी नई दिल्ली	३२६
२१० इमारती लकड़ी की नीलामी द्वारा बिक्री	३२६
२११ मनीपुर में एक परीक्षणाधीन कैदी की मृत्यु	३२६–२७
२१२ वैस्टमिनिस्टर बैंक, लन्दन में हैदराबाद राज्य का धन	३२७
२१३ जीवन बीमा निगम के बोनस की घोषणा	३२७
२१४ प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती	३२७–२८
२१५ औद्योगिक वित्त निगम की रिपोर्ट	३२८
२१६ वन्दे मातरम्	३२८
२१७ सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय ऋणिता	३२८–२९
२१८ कोल्हापुर बैंक का परिसमापन	३२९
२१९ विदेश जाने वाले भारतीय छात्र	३२९
२२० बंगाल में पायी गयी प्राचीन वस्तुयें	३२९–३०
२२१ प्रतिरक्षा संस्थापनों में कार्मिक संघ	३३०–३१
२२२ ग्वालियर डिविज़न में प्रतिरक्षा मन्त्रालय की भूमि	३३१
२२३ सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, देवलाली के कर्मचारी	३३१–३२
२२४ सरकारी अधिकारियों की राय	३३२
२२५ प्रविधिक पुस्तकों की कमी	३३२–३३
२२६ त्रिपुरा को कोयले का संभरण	३३३
२२७ त्रिपुरा की कोयले की मांग	३३३

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर: (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२८	मध्य प्रदेश में आदिवासी लड़के	३३३–३४
२२९	पंजाब में अफीम का तस्कर व्यापार . .	३३४
२३०	पंजाब की सीमा पर अफीम का तस्कर व्यापार	३३४
२३१	राज्यों से अफीम की खरीद . .	३३५
२३२	कृषकों को दिया गया अफीम का मूल्य	३३५
२३३	सोने की खानें .	३३५
२३४	कच्चा लोहा . . .	३३६
२३५	भारत में राजनैतिक दल	३३६
२३६	अफीम की खेती . . .	३३६
२३७	नूनमती में तेल शोधक कारखाना .	३३६–३७
२३८	तेल पर संरक्षण-शुल्क का खत्म किया जाना . .	३३७
२३९	पचायतों के कार्य	३३७
२४०	अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का सम्मेलन	३३८
२४१	औद्योगिक वित्त निगम	३३८
२४२	सोने का तस्कर व्यापार .	३३८–३९
२४३	द्वारिका में भगवान कृष्ण का मन्दिर .	३३९
२४४	सोने तथा बहुमूल्य रत्नों का तस्कर व्यापार	३३९

स्थगन प्रस्ताव . . . . . . ३३९—४१

अध्यक्ष महोदय ने सिंधु नदी के पानी सम्बन्धी सन्धि के अनुसमर्थन के बारे में प्रधान मन्त्री द्वारा १४ नवम्बर, १९६० को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री नारायण गणेश मोरे ने दी थी, पेश करने और एक विशेषाधिकार के प्रश्न की, जिस की सूचना श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी, उठाने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३४२—४५

(१) भारत सरकार और नेपाल नरेश की सरकार के बीच हुई व्यापार तथा पारगमन सम्बन्धी सन्धि की एक प्रति सन्धि के मूल रूप (प्रोटोकोल) भारत और नेपाल की सरकारों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये पत्रों और पार जाने वाली वस्तुओं पर लागू होने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी ज्ञापन के साथ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १६५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) छड़ों तथा सलाखों के परिवर्तन मूल्यों के पुनरीक्षण और पंजीबद्ध पुनर्वेल्लकों द्वारा उत्पादित इलैक्ट्रिक फर्नेस बिलेट्स के उचित धारण मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१६५८)।

(दो) दिनांक २४ सितम्बर, १६६० का सरकारी संकल्प संख्या एस० सी० (सी)-२(१८२)/५६ एक शुद्धि पत्र के साथ।

(तीन) ऊपर (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में नियत अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों न रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण।

(३) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २ . ग्यारहवां सत्र, १६६०
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७ . दसवां सत्र, १६६०
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १० . नवां सत्र, १६५६
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १२ . आठवां सत्र, १६५६
(५) अनुपूरक विवरण संख्या १६ . सातवां सत्र, १६५६
(६) अनुपूरक विवरण संख्या १६ . छठवां सत्र, १६५८
(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३२ . चौथा सत्र, १६५८
(८) अनुपूरक विवरण संख्या २६ . तीसरा सत्र, १६५७

(४) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १६५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २७ अगस्त, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८४ में प्रकाशित राजस्थान चिकित्सा परिषद् आदेश, १६६०।

(ख) दिनांक १ अक्तूबर, १६६० के जी० एस० आर० ११२४ द्वारा संशोधित दिनांक १४ सितम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८६ में प्रकाशित बम्बई बोर्ड और आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली विभाग (पुनर्गठन) आदेश, १६६०।

(५) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १६५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तगत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १६५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

२४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९४ की एक प्रति ।

(६) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक ३१ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २११६ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) आदेश, १९६० की एक प्रति ।

(७) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अंतर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १००८
(ख) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १००९
(ग) दिनांक १० सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०४५
(घ) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०६५
(ङ) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०६६
(च) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०६८
(छ) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०९९
(ज) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० ११००
(झ) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० ११०१
(ट) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० १२०८
(ठ) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० १२०९ ।

(८) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०१३

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्र (क्रमशः)

(ख) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०१४

(ग) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११२८

(घ) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११६७

(ङ) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११८५।

(९) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०९६

(ख) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११३२।

(१०) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०११

(ख) दिनांक १० सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०४६

(ग) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०७०

(घ) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०७१

(ङ) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० १०७२

(च) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० का जी० एस० आर० ११०३

(छ) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० ११८४

(ञ) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० का जी० एस० आर० १२१२।

(११) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत चिकित्सा

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमशः)

तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३ सितम्बर, १६६० की जी० एस० आर० १००६

(ख) दिनांक ८ अक्तूबर, १६६० की जी० एस० आर० ११७८

(१२) चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १६५६ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १० सितम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०४४ की एक प्रति ।

(१३) भारतीय आय-कर अधिनियम, १६२२ के अन्तर्गत निकाली गयी दिनांक १५ सितम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०६० की एक प्रति ।

(१४) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १६४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत ३० जून १६६० को समाप्त होने वाली छमाही के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(१५) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू किये गये बंगाल वित्त बिक्री कर अधिनियम, १६४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री नियम, १६५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ सितम्बर, १६६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३ (४२) ६०—फिन (३) की एक प्रति । . . . .

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन —उपस्थापित ३४५

इकहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ३४६

छप्पनवां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

विधेयक—विचाराधीन ३४६–८३

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार १७ नवम्बर, १६६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1314 (Ai) LSD—2-12-60—115.